CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka) No. 12, Wednesday, August 17, 2011/Sravana 26, 1933 (Saka)

PAGES

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER	
Arrest and indefinite fast of Shri Anna Hazare in connection with the Lokpal Bill	2-8
Dr. Manmohan Singh	
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Procedure regarding allegation against any person during discussion	10-14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 240	15-70
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	71-463

SUBJECT

 $^{^{*}}$ Due to continuous interruptions in the House, starred questions could not be taken up for oral answers. Therefore, these starred questions were treated as unstarred questions.

PAPERS LAID ON THE TABLE	464-469
COMMITTEE ON ESTIMATES Statement	469
COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 9 th and 10 th Reports	469
STANDING COMMITTEE ON ENERGY (i) 17 th to 19 th Reports (ii) Statements	470 470-471
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS (i) 10 th and 11 th Reports (ii) Statement	471 472
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES (i) 7 th and 8 th Reports (ii) Statement	472 472-473
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 13 th to 15 th Reports	474
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 171 st and 172 nd Reports	475
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2154 DATED 9.3.2011 RE: "UTILISATION OF SPECTRUM" ALONG WITH REASONS FOR DELAY	
Shri Milind Deora	476

DISCUSSION UNDER RULE 193

Statement made by the Prime Minister regarding setting up of Lokpal and certain events that took place on 16.08.2011 in New Delhi	481-624
•	481-486
Shrimati Sushma Swaraj	
Shri Sanjay Nirupam	487-497, 515-518
Shri Mulayam Singh Yadav	519-522
Shri Dara Singh Chauhan	523-524
Shri Sharad Yadav	525-532
Shri T.K.S. Elangovan	533-534
Shri Basu Deb Acharia	535-539
Shri Bhartruhari Mahtab	541-546
Dr. M. Thambi Durai	547-548
Shri Gurudas Dasgupta	549-555
Shri Lalu Prasad	556-561
Shri Sanjay Singh Chauhan	562-564
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	565-568
Yogi Adityanath	569-572
Kumari Meenakshi Natarajan	573-576
Shri Prasanta Kumar Majumdar	577-578
Shri Hansraj G. Ahir	579-582
Shri Naranbhai Kachhadia	583
Shri Narahari Mahato	584-585
Dr. Tarun Mandal	586-587
Shri Arjun Ram Meghwal	588
Shri Kapil Sibal	589-596
Shrimati Poonam Veljibhai Jat	597
Dr. Kirit Premjibhai Solanki	598
Shri N. Kristappa	599-600

17.08.2011 4

	Shri Thol Thirumaavalavan	601-603
	Shri Satpal Maharaj	604-606
	Shri Virender Kashyap	607
	Shri Ram Singh Kaswan	608
	Shri S.S. Ramasubbu	609
	Shri P. Chidambaram	613-624
MAT	TTERS UNDER RULE 377	498-514
(i)	Need to start border trade with Bangladesh through Murshidabad in West Bengal	
	Shri Adhir Chowdhury	498
(ii)	Need to announce a Central Health Package for eradication of waterborne and vector borne diseases in Kerala particularly in Alappuzha district	
	Shri Kodikunnil Suresh	499
(iii)	Need to expedite lifting of rice from camp stores of rice sellers by FCI in Punjab particularly in Hoshiarpur district	
	Shrimati Santosh Chowdhary	500
(iv)	Need to provide accommodation to Chairman and members of Vamsadhara Water Disputes Tribunal from General Pool Residential Accommodation to facilitate the functioning of the Tribunal	
	Dr. Kruparani Killi	501
(v)	Need to convert railway line between Nathdwara to Marawar in Rajasthan into broad-gauge	
	Shri Gopal Singh Shekhawat	502

17.08.2011 5

(vi)	Need to upgrade the Madan Mohan Malviya Engineering College in Gorakhpur, Uttar Pradesh at par with Indian Institutes of Technology	
(vii)	Yogi Adityanath Need to develop Jalgaon in Maharahstra as a tourist place of national importance	503
	Shri A.T. Nana Patil	504
(viii)	Need to construct a bye-pass on National Highway passing through Dhanbad, Jharkhand	
	Shri Pashupati Nath Singh	505
(ix)	Need to take measures to stop the water and gas eruptions occurring in human habitations in Surat Parliamentry Constituency, Gujarat	
	Shrimati Darshana Jardosh	506
(x)	Need to release funds for Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana in Uttar Pradesh particularly in Etawah Parliamentary Constituency	
	Shri Premdas	507
(xi)	Need to provide compensation and irrigation facilities to betel leaf growers in Mahoba Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Vijay Bahadur Singh	508
(xii)	Need for dredging of river Panchane in Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Kaushalendra Kumar	509
(xiii)	Need to provide forest land for construction of a new road from Adilmalaikadu to Kemmampatty in Salem District, Tamil Nadu	
	Shri R. Thamaraiselvan	510

(xiv) Need to provide adequate infrastructure facilities and security to pilgrims of Amarnath Shrine in Jammu and Kashmir				
(xv)	Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar Need to set up a Real Estate Regulatory Authority to protect the interests of home buyers	511		
	Shri Jayant Chaudhary	512		
(xvi)	Need to increase the frequency of passenger trains with AC coaches from Cuttack and Bhubaneswar to Paradip in Odisha			
	Shri Bibhu Prasad Tarai	513		
(xvii)	Need to include Vembanad Lake of Kerala in the list of Lakes identified under the National Lake Conservation Programme			
	Shri Jose K. Mani	514		
<u>ANNE</u>	EXURE – I			
Memb	er-wise Index to Starred Questions	640		
Member-wise Index to Unstarred Questions				
ANNE	EXURE – II			
Minist	ry-wise Index to Starred Questions	647		
Minist	Ministry-wise Index to Unstarred Questions 648			

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES	
LOK SABHA	

Wednesday, August 17, 2011/Sravana 26, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

Arrest and indefinite fast of Shri Anna Hazare in connection with the Lokpal bill

MADAM SPEAKER: Hon. Prime Minister.

... (*Interruptions*)

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Hon. Madam, Speaker, it is my painful duty to report to this august House certain events that took place yesterday in New Delhi.

Hon. Members are aware that after extensive consultations and discussions including deliberations in a Joint Drafting Committee and a meeting of all political parties represented in Parliament, the Government has introduced a Bill in the Lok Sabha on the setting up of the Lok Pal. The Bill has been referred to the Standing Committee concerned.

Madam, notwithstanding the introduction of the Bill, Shri Anna Hazare and his supporters have persisted with their demand that the Jan Lok Pal Bill drafted by Shri Anna Hazare should be introduced in Parliament and that the Jan Lok Pal Bill should be the Bill that must be passed by Parliament. In support of this demand, Shri Anna Hazare had announced some time ago that he would undertake an indefinite fast beginning 16th August, 2011.

On 2nd August, 2011, an application was made to the Delhi Police by an organization called India Against Corruption for permission to hold a month-long fast beginning August 16, 2011 at New Delhi. Delhi Police held discussions with the applicants in order to identify a suitable place and to formulate the conditions under which permission could be granted for holding a fast at that place. Eventually, on August 13, 2011, Delhi Police informed the applicants that permission would be granted for the protest at Jai Prakash Narayan Park, near

Ferozshah Kotla, subject permission being granted by the land owning agency and subject to certain conditions.

Delhi Police also informed the applicants that they would have to give an undertaking to abide by the conditions.

However, on August 15, 2011, the organizers refused to accept six of the conditions, including the condition that the protest fast would be limited to three days. Hence, Delhi Police informed the applicants that, since they had declined to accept some of the conditions and refused to give the undertaking to abide by all the conditions, permission would not be granted to hold the protest fast at Jai Prakash Narayan Park. Prohibitory orders under Section 144 of the Criminal Procedure Code were also imposed on August 15, 2011 in and around Jai Prakash Narayan Park and some other areas.

On the evening of August 15, 2011, Shri Anna Hazare, through public statements, made it clear that he and his supporters would converge at Jai Prakash Narayan Park and defy the prohibitory orders under section 144 of the Criminal Procedure Code. Yesterday morning, the Delhi Police reviewed the situation. The Delhi Police came to the conclusion that it was clear that Shri Anna Hazare and his supporters would commit a cognizable offence and there was a likelihood of a breach of peace. ... (Interruptions) Hence, Shri Anna Hazare and six others were arrested, as a preventive measure, under section 151/107 of the Criminal Procedure Code. They were taken to the Delhi Police Officers' Mess at Alipur Road and, subsequently, produced before a Magistrate. The Delhi Police did not seek the police remand of the arrested persons. ... (Interruptions) The Magistrate offered to release the arrested persons on their personal bonds subject to the condition that they would undertake not to violate the prohibitory orders. However, Shri Anna Hazare and others refused to give such an undertaking or furnish personal bonds. Hence, the Magistrate remanded the arrested persons to seven days' judicial custody.

Meanwhile, during the course of yesterday, 2,603 persons were detained in Delhi when they were proceeding to or were in areas where prohibitory orders under section 144 of the Criminal Procedure Code were in force. ... (*Interruptions*) All of them were released later in the evening yesterday.

Late yesterday evening, the Delhi Police received information that Shri Anna Hazare intended to move the Supreme Court challenging the orders of the Delhi Police. The Delhi Police also received information that the petition was likely to be mentioned before the Supreme Court on Wednesday, i.e. today, for urgent hearing. Since there were reasonable grounds to believe that Shri Anna Hazare had opted to seek legal remedies, the Delhi Police did not apprehend any imminent breach of peace or imminent disturbance to tranquility if the arrested persons were released. ... (Interruptions) Let me finish. ... (Interruptions) Hence, the Delhi Police moved the Magistrate concerned to review his earlier order and the Magistrate was pleased to release Shri Anna Hazare and the other arrested persons at about seven p.m. yesterday. The jail authorities informed Shri Anna Hazare and others that orders for their release had been received. However, Shri Anna Hazare and others (except one) declined to leave the jail premises unless the Government gave an undertaking that they would be permitted to hold their protest fast at Jai Prakash Narayan Park without any condition. ... (Interruptions)

Madam, our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protests. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, let him complete.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

DR. MANMOHAN SINGH: In fact, the Delhi Police have allowed several such protests, but in each case appropriate conditions have always been imposed and

_

^{*} Not recorded

the organizers were always required to give an undertaking to abide by all the conditions. ... (*Interruptions*) Shri Anna Hazare and his supporters would have been allowed to hold their protest fast if they had accepted the conditions under which the permission was granted and had undertaken to abide by those conditions. ... (*Interruptions*) Since they declined to do so, Delhi Police was obliged to refuse permission to hold the protest fast. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Who is running the Government? Are you running it or the Delhi Police is running it? ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ... *

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I will request the hon. Leaders to allow the hon. Prime Minister to complete his statement. ... (*Interruptions*) Let the hon. Prime Minister complete his statement and after that they can speak. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seats. Please sit down. Let the hon. Prime Minister complete the statement.

... (Interruptions)

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, the Government wishes to stress that the issue before the nation is not whether a Lok Pal Bill is necessary or desirable. All of us in this House are agreed that a Lok Pal Bill must be passed as early as possible. The question is, who drafts the law and who makes the law? I submit that the time-honoured practice is that the Executive drafts a Bill and places it before Parliament and that Parliament debates and adopts the Bill with amendments if necessary. ... (*Interruptions*) In the process of adoption of the Bill, there will be opportunities for Shri Anna Hazare and others to present their views to the Standing Committee to which this Bill has been referred by the hon. Speaker. The Standing Committee as well as Parliament can modify the Bill if

^{*} Not recorded

they so desire. However, I am not aware of any constitutional philosophy or principle that allows any one to question the sole prerogative of Parliament to make a law. ... (*Interruptions*) In making a law on Lok Pal, the Government has faithfully adhered to the well-settled principles. As far as I am able to gather, Shri Anna Hazare questions these principles and claims a right to impose his Jan Lok Pal Bill upon Parliament. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please allow the statement to be completed.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Prime Minister is saying.

(Interruptions) ...*

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, I acknowledge that Shri Anna Hazare may be inspired by high ideals in his campaign to set up a strong and effective Lok Pal. However, the path that he has chosen to impose his draft of a Bill upon Parliament is totally misconceived and fraught with grave consequences for our parliamentary democracy. ... (*Interruptions*)

Our Government does not seek any confrontation with any section of the society. But when some sections of society deliberately challenge the authority of the Government and the prerogative of Parliament, it is the bounden duty of the Government to maintain peace and tranquility.

Delhi Police, as the authority charged with the responsibility, took the minimum steps necessary to maintain peace and tranquillity in the Capital City... (*Interruptions*) Inevitably, though unfortunately, it led to the arrest and subsequent release of Shri Anna Hazare and some of his supporters. I sincerely hope that the incidents of yesterday will not be repeated today or in the future.... (*Interruptions*)

_

^{*} Not recorded

Madam, I should also make it clear that the issue between the Government and Shri Anna Hazare is not one of different attitudes to fighting corruption. In my Independence Day Address, I spoke at length about the need to deal effectively with corruption... (*Interruptions*) I would like to assure the House that we are determined to provide a Government that is transparent, accountable and responsive at all times and determined to fight corruption. But as I said on 15th August at the Red Fort, there is no magic wand by which, in one stroke, we will get rid of the menace of corruption... (*Interruptions*) We have to work simultaneously on several fronts. In my 15th August Address, I have outlined some of the measures we intend to put in place to strengthen our fight against corruption... (*Interruptions*) I invite all sections of this House to join hands with us to deal with the cancer of corruption.... (*Interruptions*)

Madam, with respect to the events of yesterday, I will only say that a functional and functioning democracy must allow multiple voices to be heard. But difference of opinion must be resolved through dialogue and consensus... (*Interruptions*) Those who believe that their voice and their voice alone represents the will of 1.2 billion people should reflect deeply on that position. They must allow the elected representatives of the people in Parliament to do the job that they were elected for.... (*Interruptions*)

Madam, India is an emerging economy. We are now emerging as one of the important players on the world stage. There are many forces that would not like to see India realize its true place in the Comity of Nations. We must not play into their hands. We must not create an environment in which our economic progress is hijacked by internal dissension. We must keep our mind focussed on the need to push ahead with economic progress for the upliftment of the 'aam aadmi'... (Interruptions)

Madam, I appeal to all sections of this august House to ensure that the Government and its processes, and the Parliament and its processes function smoothly and effectively. There is no substitute for that. If some people do not

agree with our policy, there will be a time when they will have an opportunity to present their points of view to the people of India.... (*Interruptions*)

Madam, I request all the political parties to ensure that Parliament functions smoothly. There are very important legislative measures that are required to be passed. If we do not pass them, we will do great injustice to the people of India and, in turn, hurt the 'aam aadmi'.

We are willing to debate every issue in Parliament, and we have demonstrated that we are cooperating with the Opposition in every possible way to ensure that Parliament functions smoothly.

We, as elected representatives of our people, should do nothing to weaken our people's faith in the capacity of our democracy, our institutions and our social ideals and values to overcome all difficulties. We should have faith that we can build a promising future for ourselves. Let us unite in that faith.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Now, we start with the Question Hour.

Q. No. 221, Shri Hansraj G. Ahir.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): प्रधान मंत्री जी ने अपनी बात को रखा है, हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमने भी नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप एक मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, हम लोग स्ट्रक्चर्ड डिसकशन बाद में करेंगे। ...(व्यवधान) स्ट्रक्चर्ड डिसकशन तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी सब को बोलने का मौका मिलना चाहिए।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: हम सब को बोलने का मौका दे देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

11.21 hrs.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Procedure regarding allegation against any person during discussion

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Let the Leader of the Opposition initiate the discussion. We can have structured debate on the statement of the PM. ... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): You can start immediately. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am making a point. Please take you seat.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as you know, there is no rule for allowing discussion immediately after the statement. If the sense of the House is to have a discussion, a structured discussion, as a special case, I will allow it under Rule 193.

Shrimati Sushma Swaraj.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I want to make an observation before your start.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): What is your observation?

MADAM SPEAKER: Before I call Shrimati Sushma Swaraj to initiate the discussion, I would like to inform the House that the Constitution guarantees freedom of speech to the Members on the floor of the House. At the same time, we have our own self-imposed restrictions on this freedom of speech. Accordingly, we have Rule 353 which prescribes the procedure regarding making of allegations against any person. I would, therefore, request the hon. Members not to make any allegation of a defamatory or incriminatory nature against any person during the debate on the statement.

Now, Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, मुझे नहीं मालूम, इस ऑबजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग इस सदन के नियमों से वाकिफ़ हैं और कभी भी बात करते समय उन नियमों का उल्लंघन नहीं करते।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कहना चाहूंगी कि नेता सदन ने जो बात रखी है, हम उस वक्तव्य पर स्ट्रक्चर्ड डिसकशन बाद में करेंगे, लेकिन आज पांच-पांच मिनट सभी नेताओं को बोलने का मौका दीजिए, जो इस पर प्रतिक्रिया देते, अगर प्रधान मंत्री जी जा ही रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। वे राज्य सभा में स्टेटमेंट देने गये हैं।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, the Prime Minister has to make the statement in the Rajya Sabha also. ... (Ingruptions) श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, मैं प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर दे रही हूं, इसलिए प्रोप्रायटी का तकाज़ा है कि प्रधानमंत्री यहां मौजूद हों। अगर प्रधानमंत्री को राज्य सभा में वक्तव्य देने के लिए जाना है तो आप 10-15 मिनट के लिए हाउस एडजर्न कर दें, लेकिन हम अपनी बात तभी कहेंगे, जब प्रधानमंत्री यहां होंगे। बयान उनका है, वे पढ़कर चले जायें और हमारी प्रतिक्रिया सुनें नहीं, बिना प्रतिक्रिया सुने वे चले जायें। अगर उनको राज्य सभा में बयान देना है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 10 मिनट के लिए

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, पहले अपोजीशन की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं कही गई, जो आज कही है। ऐसी बात सुनने को कभी नहीं मिली कि प्रधानमंत्री राज्य सभा में नहीं जा सकते। क्या राज्य सभा से एकदम फिर वे वापिस आयें?...(व्यवधान) मैडम, ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली, जो आज माननीया नेता विपक्ष कह रही हैं। हमें हाउस में कभी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली, जो आज नेता विपक्ष कह रही हैं। वे यह कहती हैं कि राज्य सभा में प्रधानमंत्री नहीं जायें, हर वक्त यहीं रहें।...(व्यवधान) जब इन्होंने मांग की थी, इनके सदस्यों ने राज्य सभा में भी मांग की थी, उस वक्त हमारी तरफ से तय हुआ था कि 11 बजे यहां और 11.30 बजे वहां वह वक्तव्य देंगे और आज ये चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दे भी दिया, तब भी हाउस एडजर्न होता रहे। ये हाउस को एडजर्न करना चाहते हैं।...(व्यवधान) ये परम्पराएं हमारे

हाउस एडजर्न कर दें। प्रधानमंत्री सदन में आ जायें, तब हम अपनी बात कह देंगे।...(व्यवधान)

लिए तय करते हैं और इस बात पर इनको आपित है। अगर आपने एक रूल पढ़कर भी सुना दिया, उस बात पर भी इनको आपित है और उसके बाद ये कह रहे हैं, बात वही है कि पार्लियामेंट चलेगी नहीं। पार्लियामेंट की जो एक रेलेवेंस है, आज उस पार्लियामेंट की रेलेवेंस को ये खत्म करने में लगे हुए हैं। आज नेता विपक्ष पार्लियामेंट की रेलेवेंस को खेलम करने में लगे हुए हैं। आज

अध्यक्ष महोदया: प्रधानमंत्री जी अभी आ जाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तब तक आप हाउस एडजर्न कर दें। जिनका वक्तव्य है, मैं उस पर प्रतिक्रिया दे रही हूं तो वे बैठें तो सही।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, यह बात कभी देखने को नहीं मिली।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, मैंने आपसे कहा, संसदीय कार्य मंत्री गुमराह कर रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वे राज्य सभा में न जायें। वे राज्य सभा में जायें, मगर तब तक आप हाउस को एडजर्न कर दें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी बोल रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि कल की जो घटना थी, वह हमारे मन में बहुत चिन्ता पैदा करती है और 1975 का स्मरण दिलाती है।...(व्यवधान) कल आपने निर्णय दिया और आपने विपक्ष की नेता को बोलने की अनुमित दी तो संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी बात का विरोध किया और इनको बोलने नहीं दिया। मैंने पहली बार आपके कक्ष में आकर आपको कहा कि इस समय आपको इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। हम सरकार को विपक्ष की आवाज को दबाते हुए अनुभव करते रहे हैं। बाहर उन्होंने अन्ना हजारे और उनके साथियों की आवाज को दबाया, लेकिन आज तक इमरजेंसी को छोड़कर के, अध्यक्षा जी, विपक्ष की आवाज सरकार ने कभी दबाने की कोशिश नहीं की।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय आडवाणी जी, आप गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने कल क्या कहा था, वह रिकार्ड में है। ...(व्यवधान) मैंने आपसे विनती की थी कि ऐसा न हो कि उनके बोलने के बाद वे ही हाउस न चलने दें। ...(व्यवधान) और आज आप ऐसा ही करने पर तुले हुए हैं। ...(व्यवधान) मैडम, यह साजिश है। ...(व्यवधान) यह मदद करना चाहते हैं कि दूसरों की आवाज न आ सके? ...(व्यवधान) ऐसे ये हालात बना रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भूलिए मत कि इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, आप का हाल, फिर से वैसा ही हाल होगा।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, these are ... * (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : मेरा यह अनुरोध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, he should withdraw his words... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : जो भी आपत्तिजनक है, वह रिकार्ड से निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It has been taken out of the record.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : जो भी ऑब्जेक्शनेबल है, उसे रिकार्ड से निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हो गया, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने कह दिया है, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गयी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 Noon.

11.32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker <u>in the Chair</u>)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table; Shri V. Narayanasamy. THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri Vayalar Ravi, I beg to lay on the Table a copy of the Airports Authority of India (Major Airports) Development Fees Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 597(E) in Gazette of India dated the 2nd August, 2011 under Section 43 of the Airports Authority of India Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT 4832/15/11)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to lay on the Table a copy of the Statement (Hindi and English versions) regarding proposal to reject the Award given by the Board of Arbitration in Compulsory Arbitration Reference No. 5 of 1993 announced on 09.07.1999 for grant of Cash Handling Allowance to certain Post Office Staff.

(Placed in Library, See No. LT 4833/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 442(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 9th June, 2011 making certain amendments, mentioned therein, in the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005 under sub-section (3) of Section 24 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4834/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2009-2010.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4835/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Kangra, for the year 2009-2010.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Kangra, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Himachal Pradesh, Kangra, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 4836/15/11)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year 2009-2010.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the years 2008-2009 and 2009-2010, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year 2009-2010.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 4837/15/11)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, for the year 2008-2009.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, for the year 2008-2009.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 4838/15/11)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Chandigarh, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Chandigarh, for the year 2009-2010.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 4839/15/11)

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata for the year 2009-2010.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No. LT 4840/15/11)

- (13) A copy of the Consolidated Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visva-Bharti, Santiniketan, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in Library, See No. LT 4841/15/11)

- (15) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(Placed in Library, See No. LT 4842/15/11)

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission Chhattishgarh, Raipur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission Chhattishgarh, Raipur, for the year 2009-2010.
- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in Library, See No. LT 4843/15/11)

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in Library, See No. LT 4844/15/11)

(21) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report for the year 2008-2009 and Annual Report and Audited Accounts of the University of Delhi for the year 2009-2010 within the stipulated period of nine months after the close of respective the accounting years.

(Placed in Library, See No. LT 4845/15/11)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदया, मैं अधिनियम, 2008 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहता हूं:

- (एक) सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धित और प्रक्रिया तथा संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े अथवा सूचना) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिदान) नियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT 4846/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI PRATIK PATIL): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Neyveli Lignite Corporation Limited and the Ministry of Coal for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4847/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Telecommunications Consultants India Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4848/15/11)

(2) Memorandum of Understanding between the Mahanagar Telephone Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4849/15/11)

12.0½ hrs.

COMMITTEE ON ESTIMATES Statement

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): I beg to lay on the Table statement (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Action Taken Report of Committee on Estimates (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on their First Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Drought Management, Foodgrain Production and Price Situation' pertaining to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation).

12.0½ hrs.

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 9th and 10th Reports

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (JODHPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2010-2011):-

- (1) Ninth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in their Sixth Report (15th Lok Sabha) on the subject 'Women in Paramilitary Forces'; and
- (2) Tenth Report on the subject 'Women in Armed Forces'.

12.0¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

(ii) 17th to 19th Reports

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2010-11):-

Seventeenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Eleventh Report on 'Renewable Energy for Rural Applications'.

- (2) Eighteenth Report on Demands for Grants in respect of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2011-12.
- (3) Nineteenth Report on Demands for Grants in respect of the Ministry of Power for the year 2011-12.

(ii) Statements

SHRI P.C. CHACKO: I beg to I on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2010-11):-

- (1) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter –V of the Fourth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken on Thirtieth Report (14th Lok Sabha) on the subject 'Role of Central Electricity Regulatory Commission and State Electricity Regulatory Commissions in Protection of Interests of Consumers'.
- (2) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter –V of the Eighth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken on the First Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants in respect of the Ministry of Power for the year 2009-10.

(3) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I of the Twelfth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken on the Fifth Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants in respect of the Ministry of Power for the year 2010-11.

(4) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I of the Thirteenth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken on the Sixth Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants in respect of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2010-11.

12.01½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS (i) 10th and 11th Reports

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:

- (1) Tenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations of the Committee contained in their Eighth Report (15th Lok Sabha) on 'Protection and Security of Railway Property and Passengers'; and
- (2) Eleventh Report on 'Demands for Grants 2011-12 of the Ministry of Railways'.

(ii) Statement

SHRI T.R. BAALU: I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the Ninth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Seventh Report (15th Lok Sabha) of Standing Committee on Railways on 'Demands for Grants-2010-11' of the Ministry of Railways.

12.01¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES (i) 7th and 8th Reports

SHRI DIP GOGOI (KALIABOR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources (2010-2011):-

- (1) Seventh Report* of the Standing Committee on Water Resources on 'The Dam Safety Bill, 2010'; and
- (2) Eighth Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Water Resources.

(ii) Statement

SHRI DIP GOGOI: I beg to lay on the Table Statement (Hindi and English versions) showing Further Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Sixth Report (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in

^{*} The Report was presented to Hon'ble Speaker on 04.06.2011 under Direction 71(A) when the House was not in Session.

the Second Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-2011) of the Ministry of Water Resources.

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 13th to 15th Reports

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel:

- (1) Thirteenth Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the Fourth Report on "Demands for Grants(2010-11)" of the Ministry of Coal;
- (2) Fourteenth Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the Fifth Report on "Demands for Grants(2010-11)" of the Ministry of Mines; and
- (3) Fifteenth Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Sixth Report on "Demands for Grants(2010-11)" of the Ministry of Steel.

12.02½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

171st and 172nd Reports

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- (1) One Hundred Seventy-first Report on the Functioning of Sahitya Akademi, Lalit Kala Akademi, Sangeet Natak Akademi and National School of Drama; and
- (2) One Hundred Seventy-second Report on the Development of Tourism in North-Eastern Region.

12.03 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO 2154 DATED 09.03.2011 REGARDING "UTILISATION OF SPECTRUM" ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): I beg to lay the statement in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 2154 on 9th March, 2011 regarding " Utilisation of spectrum", a mistake had crept in inadvertently.

Replies given in respect of part (a) to (b) of the answer may be amended to read as under:

(a) to (b) In case of fresh Unified Access Service Licensees (UASL), the allotted spectrum could be underutilized till such time a sufficient subscriber base is reached and / or roll out obligation gets completed. In respect of other Government and private users, the spectrum may be under utilized in some geographical locations.

DELAY IN STATEMENT

The correcting reply could not be submitted within stipulated time because, it needs detailed examination based on number of facts/ records and collection of data. Details of the question is as mentioned below:

	S.No.		Date of answer	Name of the Member of
		Number		Parliament who asked the
				Question
Ī	1.	LOK SABHA	09.03.2011	SHRI S.R.JEYADURAI
		UNSTARRED		AND OTHERS
		QUESTION		
		NO. 2154.		

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 4850/15/11

MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj ji, would you like to initiate the discussion?

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, भैंने प्रारंभ में कहा कि हमने बीएसी में भ्रष्टाचार पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन मांगी है और उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है, इस पर हम सभी नेता आज प्रतिक्रिया देना चाहेंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We are doing it under Rule 193, as I have announced.

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं यह कहना चाहूंगी...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): We want to make our point.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. I had announced it in the beginning.

... (*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी के बाद मुलायम सिंह जी की बात सुन ली जाए।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): We can have a structured debate later on... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is what I had said. On the Statement, usually, immediately after that there is no discussion but as a special case, today I have said we will have it under Rule 193.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, आज मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पर इसलिए भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि आपको मालूम है कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर आए हुए हैं और मैं इंडो-यूके पार्लियामैंट्री फ्रैंडिशप ग्रुप की चेयरपर्सन हूं। इसलिए मैंने उनके लिए एक लंचियन मीटिंग रखी है। मुझे जाना होगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Then, shall we take-up 'Zero Hour'? We shall take 'Zero Hour' in that case.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको यह मालूम है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: फिर हम ज़ीरो आवर ले लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अभी आप हमें प्रारंभिक प्रतिक्रिया देने दीजिए। सभी लोगों को बोलने दीजिए और नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हम बाद में ले लेंगे।...(व्यवधान) इससे पहले कि मैं अपनी बात इस वक्तव्य पर रखूं, मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Yesterday, I had only said and made a request to you that let a debate and discussion begin. What else is being done now? You have given a ruling that we begin the discussion under Rule 193. ... (*Interruptions*) That will give a chance to them as also to our members and everybody to speak on that.... (*Interruptions*) Madam, you have given that ruling. They have asked for a discussion under Rule 193. The hon. Leader of the Opposition can speak for one hour. I am sure she does not take more than 40 minutes. She can speak for one hour also. Let other Members also speak thereafter.... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: 12.45 पर मेरी मीटिंग उनके साथ शुरू है। आप एक घंटे की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि संसदीय कार्य मंत्री ...(<u>व्यवधान</u>) संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सदन को चलाने की होती है। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करने की रूलिंग दी है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा 📰 ज : अध्यक्ष महोदया, आप पहले उन्हें बैठाइये। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, यह हर बार खड़े हो जाते हैं और बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, अपनी बात शुरू करने से पहले ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर लंच के बाद नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, इस वक्तव्य पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम 193 के अन्तर्गत बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में अभी बोलना चाहती हैं, तो अभी बोल दीजिए, नहीं तो बाद में बोलिये। अभी हम दूसरा बिजनेस ले लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, सबसे पहले मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहती हूं। ...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष महोदया: आप टिप्पणी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: इस वक्तव्य से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है। वे शांत रहकर, कम बोलकर और सबसे समन्वय करके सदन चलाते हैं। लेकिन इस सदन का यह अनुभव है कि सबसे ज्यादा व्यवधान संसदीय कार्य मंत्री के आचरण के कारण पैदा होता है। ...(व्यवधान) कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ। ...(व्यवधान) कल उन्होंने आपकी रूलिंग को चैलेंज किया। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up the discussion on the Prime Minister's Statement. If you are not prepared now, we can take it up later, and we can proceed with 'Zero Hour'.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Madam, I am prepared. ... (*Interruptions*)
MADAM SPEAKER: Please start the discussion now. सुषमा जी यह चर्चा शुरू कर रही
हैं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : क्या आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रही हैं? ...(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, मैं नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर रही हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कौन से नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सबसे पहले आप नियम बताइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please tell me the Rule.

... (Interruptions)

श्री शरद यादव: मैं नियम 193 के ऊपर ही बोल रहा हूं। ...(<u>व्यवधान</u>) मेरा निवेदन है कि आपने पूरे सदन की भावना की देखकर सुषमा जी और बाकी लोगों को बोलने की इजाजत दी। मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया ने नियम 193 पर चर्चा शुरू करने की इजाजत दी है। ...(व्यवधान) श्री शरद यादव: जी हां, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करने की इजाजत दी है और हम इसे मान गये हैं। ...(व्यवधान) उनका फैसला सिर माथे है। मैं आपके माध्यम से सब पक्षों से कहना चाहता हूं कि आज देश बहुत ही विकट स्थिति में है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे। आप और हम सब मिलकर यदि इस डिबेट को ठीक से चलायेंगे, तो आपकी बात भी ठीक आयेगी और विपक्ष के लोगों की बात भी ठीक आयेगी। इसमें आपको क्या एतराज है? ...(व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, तब आप उन्हें क्यों नहीं बोलने दे रहे थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। किसी को कोई एतराज नहीं है। सुषमा जी अब आप बोलिये।

12.06 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Statement made by the Prime Minister regarding setting up of Lokpal and certain events that took place on 16.08.2011 in New Delhi

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं इस वक्तव्य पर अपनी बात प्रारम्भ करूं ... (व्यवधान) मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। आपने यह चर्चा प्रारम्भ करने से पहले पीठ से एक विशेष टिप्पणी की थी। शायद कोई संदर्भ आपके दिमाग में जरूर रहा होगा, जो आपने वह टिप्पणी की। लेकिन उसका सबसे पहला उल्लंघन आज संसदीय कार्य मंत्री ने किया। ... (व्यवधान) आडवाणी जी, इस सदन के वरिष्ठतम सांसद हैं। ... (व्यवधान)

सबसे ज्यादा अनुभवी और आदरणीय हैं। उन्होंने खड़े होकर बहुत शिष्टता के साथ अपनी एक बात आपके सामने रखी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री ने खड़े होकर जो कहा ... * ...(व्यवधान) आप रिकॉर्ड में देखिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उसी समय मैंने कह दिया था कि इसको निकाल दिया जाए, तो उसे निकाल दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बीच-बीच में 15 बार से ज्यादा बार शोर उधर से हुआ था। 15 बार से ज्यादा बार और एक बार भी माननीय नेता विपक्ष ने पीछे की ओर इशारा कर देती हैं लोगों को आगे आने के लिए, एक बार भी इशारा करके नहीं कहा कि आप मत बोलिए।...(व्यवधान) उसमें इनके विरुठ नेता...(व्यवधान) उनको उखाड़ के फेंक रहे थे...(व्यवधान) मैडम, मैं उनको हर वक्त मानता हूं, लेकिन ऐसे हालात में कोई आदमी क्या व्यू बनाएगा। हम नहीं चाहते थे।...(व्यवधान) इन्होंने मांगा था, इन्होंने कहा था कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य नहीं देंगे, हाउस नहीं चलेगा। यह फैसला करते हैं, हमने इनकी बात मानी, प्रधानमंत्री जी ने बात मानी। प्रधानमंत्री ने आकर अपना वक्तव्य दिया। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री को राज्य सभा में जाना था।...(व्यवधान) जब वह राज्य सभा में जाने के लिए खड़े हुए, उधर से यह कहा गया कि जब तक वह यहां नहीं पहुंचते, हाउस को स्थिगित कर दिया जाए।...(व्यवधान) मैडम, क्या ऐसे फैसले होते हैं? लोकतंत्र यही है? ...(व्यवधान) क्या

^{*} Not recorded

लोकतंत्र में ऐसे ही फैसले होते हैं? हम तो बार-बार इनके पास गए।...(व्यवधान) जब ऐसी बातें हमारे सामने होती हैं, संसद में होती हैं, तो आदमी क्या कहेगा?...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैडम, कल जब आपने सुषमा जी को बोलने का अवसर दिया, उसके बाद भी इन्होंने सदन नहीं चलने दिया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं स्वयं संसदीय कार्यमंत्री रही हूं और संसदीय कार्यमंत्रियों का पहला लेसन यही होता है कि वे स्वयं नहीं बोलते हैं...(व्यवधान) और सदन को चलने देते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप डिसकशन चलने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, यहां तो संसदीय कार्यमंत्री स्वयं बोलकर व्यवधान डालते हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य कल के घटनाक्रम पर...(व्यवधान) अच्छा है या बुरा, यह आप देखें। आप अच्छा कहिए, हमें जो कहना है, वह हम कहेंगे। आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य, विस्तृत वक्तव्य...(व्यवधान) सदन के सामने रखा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी यह इतना लंबा-चौड़ा वक्तव्य सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है।...(व्यवधान) अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कन्धों से उठाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस के कन्धे पर डाल दी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इस देश में भ्रष्टाचार की मुहिम बहुत तेजी से कई दिनों से चल रही है।...(व्यवधान) आप स्वयं साक्षी हैं।...(व्यवधान) आप स्वयं साक्षी हैं कि संसद का पूरा शीतकालीन सत्र इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष के तीन-तीन लोग आज जेल के भीतर हैं। यह उसी का परिणाम है।...(व्यवधान) आज इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया समझ से परे हैं। सरकार एकदम असंतुलित व्यवहार कर रही है और यह असंतुलित व्यवहार बार-बार देखने में आ रहा है। आज प्रधानमंत्री इस वक्तव्य के लगभग चार-पांच पैराग्राफ्स में पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी की बात करते हैं।...(व्यवधान) सदन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं।...(व्यवधान) यह बात सही है,...(व्यवधान) में भी कह रही हूं कि यह सही है।...(व्यवधान) पार्लियामेंटरी प्रोसेस की बात करते हैं।...(व्यवधान)

संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात करते हैं। पहला प्रश्न प्रधान मंत्री जी आपसे है कि पार्लियामेंट प्रोसेस को दरिकनार करने का काम किसने किया?...(व्यवधान) सारे के सारे विपक्ष को दरिकनार करके अण्णा हजारे की टीम के साथ बात करने का निर्णय किसने किया?...(व्यवधान) नेता सदन



समते पांच विष्ठ मंत्री इस सरकार के अण्णा हजारे की टीम के साथ बैठे। जब अण्णा हजारे हमसे मिलने आए, तो हमने उनसे पूछा कि आपने विपक्ष के बाकी लोगों को इसके बाहर क्यों रखा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा था कि इसमें बाकी विपक्ष के लोग भी होने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम और आप ही ठीक हैं।...(व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि तब तो हम और आप ही ठीक हैं, उस समय तो आप और वे ही ठीक थे, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो सरकार का सुर बदल गया। सरकार को पार्लियामेंट प्रोसेस याद आया। तब सरकार ने हमें चिट्ठियां लिखीं, तब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सारे नेता जो यहां बैठे हैं, एक-एक नेता ने उन्हें वहां कहा कि उस समय आपको हमारी याद क्यों नहीं आई।

अध्यक्ष जी, वह कपिल सिब्बल जो सबसे ज्यादा बैठते थे उनके साथ, बाद में उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, जो इसी सदन के सदस्य हैं, वह कहते हैं कि अण्णा हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने उनका नाम लिया है, वह स्पष्टीकरण देंगे।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have taken his name.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am not yielding.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): You have taken my name. You have named me. I am sorry. She has taken my name.

MADAM SPEAKER: You have taken his name.

श्रीमती सुषमा स्वराज: बशीर बद्र साहब का एक शेर है -

दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं, तो शर्मिंदा न हों।

अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या बोलने दूं।

अध्यक्ष महोदया: आपने नाम लिया है उनका सुषमा जी। इसलिए वह अपनी बात रख रहे हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: The distinguished Leader of the Opposition has taken my name and alleged that I have called some people corrupt. I am afraid that that is not true. At no stage, at no point in time, I have ever made any allegations against any members of the Anna Hazare team. I do not know where you have got that information from. It is most unfortunate that you have made that allegation.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, ए कम्पनी किसने कहा था? मैंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता, इसी सदन के सदस्य हैं, बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूं मनीष तिवारी जी को, कि आपका राजनैतिक जीवन अभी शुरू हुआ है, पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। यह शेर मैंने आपके लिए ही पढ़ा कि

दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं, तो शर्मिंदा न हों।

अध्यक्ष जी, अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग हुई, सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अण्णा हजारे पर निजी हमला नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। आप जानती हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। निजी हमला तो हो चुका, व्यक्तिगत हमला तो हो चुका। उसके बाद बचा क्या था, लेकिन मैं आज प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी ही सरकार ने किया है। और आज आप हमारे से बात कर रहे हैं।

में दूसरी बात कहना चाहती हूं। प्रधान मंत्री जी आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं।

'Our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protest'.

इससे ज्यादा असत्य बात कौनसी हो सकती है? चार जून की रात को, स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए लोगों पर, भजन-कीर्तन करते हुए लोगों पर जो लाठियां बरसाई गयीं, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि अभी 9 अगस्त को, अंग्रेजो भारत छोड़ों के दिन, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसाकर, एक अपंग को पूरा विकलांग कर दिया गया, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? मैं पूछना चाहती हूं कि बिना धारा विकलांग कर विहार के रेसिडेंस से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था?...(व्यवधान) वे कह रहे थे कि वक्तव्य अच्छा है, मैं कहना चाहती हूं कि उनका वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है।

अध्यक्ष जी, जिस तरह से कल देश भ्रष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं ये सरकार उन पर अत्याचार करती है, ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी है। ... (व्यवधान) अभी उस तरफ से कोई कह रहा था कि आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस का समर्थन किसी आंदोलन को मिल जाए, तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वे उत्तेजित हो जाते हैं। प्रधान मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इसी दिल्ली के अंदर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर भाषण देकर चले जाते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस चूं भी नहीं करती। उनके नागरिक अधिकारों के रक्षक आप जरूर हैं, लेकिन अगर कोई भगवावेश में साधु आ जाए, अगर कोई गांधी टोपी लगाए गांधीवादी आ जाए और अगर कोई आरएसएस का समर्थक आ जाए, तो आव देखा न ताव, बस लाठियां चलाओ। यही काम करने की आपने बात की है। ... (व्यवधान) वे जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपको आरएसएस से चिद्ध क्यों है? अरे, आरएसएस तो एक देशभक्त संस्था है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इस सदन के 116 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस सदन के 45 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आप समझते हैं कि आरएसएस को देश का समर्थन नहीं है? लेकिन एक बार अगर किसी आंदोलन को आरएसएस का समर्थन मिल जाए तो पूरी की पूरी सरकार उत्तेजित हो जाती है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं पूछना चाहती हूं प्रधान मंत्री जी कि आपने बार-बार इस वक्तव्य में दिल्ली पुलिस का नाम लिया। कल इस सरकार के चार-चार मंत्री चैनलों पर जाकर सरकार का बचाव क्या कहते हुए कर रहे थे कि हमें क्या मालूम, पुलिस किमश्नर जाने। जब माननीय चिदम्बरम जी से पूछा गया कि अन्ना हजारे कहां हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पुलिस किमश्नर से पूछो? माननीय मंत्री जी, आप सदन से जा क्यों रहे हैं, आपने कहा था कि मुझे नहीं पता, पुलिस किमश्नर से पूछो। ... (व्यवधान) कल रात को चैनल पर नारायण सामी, अम्बिका सोनी बार-बार कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट से पूछो कि क्यों उनको बंद किया, क्यों उनको रिहा किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही की वही बात यहां लिख दी। सुबह तो मजिस्ट्रेट को यह लग रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे शांति भंग कर देंगे, उनका आंदोलन हिंसक हो जाएगा, इसलिए उन्हें सात दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। लेकिन शाम को दिल्ली पुलिस को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक याचिका डाल दी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। अध्यक्ष जी, यह सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और यह सरकार अपने लिए निर्णय भी ओट नहीं पाती।

महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई आपके इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेगा, क्या देश इसे स्वीकारेगा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं कि

कहां अनशन होगा, कितने दिन का अनशन होगा, कितने लोग आएंगे और मैजिस्ट्रेट तय कर रहा है कि वे सात दिन तक जेल में रहेंगे या शाम तक जेल में रहेंगे। आपने इसमें कहा है कि हमने कंडीशन्स लगाई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कंडीशन्स कौन-से कानून के तहत लगाई हैं। आप कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को मानते हैं, लेकिन वह प्रोटेस्ट कितना बड़ा होगा, यह आप तय करेंगे। अनशन कितने दिन का होगा, यह आप तय करेंगे। वहां कितनी कारें आएंगी, यह आप तय करेंगे। कोई 3 दिन के लिए अनशन करे या 9 दिन के लिए अनशन करे, क्या यह सरकार तय करेगी। हमने अभी देश की आजादी के 64 वर्ष पूरे किए हैं। इस देश ने संविधान बनाया और संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट दिया है।

जहां तक बिल का सवाल है, सरकारी बिल पर हमारी आपित्तयां हैं, वहीं जन लोकपाल के तमाम प्रावधानों से भी हम सहमत नहीं हैं। हम कह चुके हैं कि लड़ाई बिल की नहीं है, लड़ाई जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल की नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल एक निष्प्रभावी विधेयक है, यह बिल के इंट्रोडक्शन के समय मैंने कहा था। उसे प्रभावी बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह लड़ाई नागरिक अधिकारों के हनन की है। जब आडवाणी जी वर्ष 1975 की बात कहते हैं, तो उन्हीं नागरिक अधिकारों के हनन की बात कहते हैं और जो अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के बाहर अपनाती है, वही अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के अंदर अपना कर विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम करती है।

सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को आपने भंग करने का काम किया है। सी एंड ऐजी पर आपके लोग सदन के बाहर ही नहीं सदन के अंदर भी प्रहार करते हैं। पीएसी के अंदर आपके लोग हुल्लड़ मचाते हैं। एक संस्था, स्पीकर की पीठ बची थी, कल संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर की रुलिंग को चुनौती दे कर आपने उस संस्था की मर्यादा को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए कल आडवाणी जी आपके पास गए और हमारे विष्ठ लोग अंदर गए तथा उन्होंने कहा कि कम से कम आपकी रुलिंग का सम्मान तो संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए, लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, उस पर हम लोगों ने अलग से चर्चा मांगी है। भ्रष्टाचार के विषय पर हम लोग 193 के तहत चर्चा करके इस सरकार की पूरी पोल खोलेंगे, लेकिन आपके यहां से यह जो वक्तव्य आज आया है, उसमें जिस तरह से सच्चाई को छिपाया गया है, कल अन्ना हजारे जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, अगर वे कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होऊंगा। देश आपको माफ नहीं करेगा और देश सड़कों पर उतरा हुआ है। बच्चे यूनिवर्सीटी छोड़ कर, कैम्पस छोड़ कर बाहर आ गए हैं। वकील अदालतें बंद करके बाहर हैं। जेल के अंदर अन्ना हजारे जी का अनशन चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस पार्लियामेंटरी प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंटरी प्रोसेस के साथ हम हैं। हम सुप्रीमेसी आफ

पार्लियामेंट को किसी तरह अंडरमाइन न होने देंगे और न पहले होने दिया है। वर्ष 1975 में इसी संसद की सुप्रीमेसी को आपने खंडित करने का काम किया था। हम न ज्यूडीशियरी की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे और न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, लेकिन नागरिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। देश आज आजाद है। आज वतन आजाद है और इस आजाद वतन में नागरिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करेगी, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे तथा आपके इस वक्तव्य को मैं सिरे से नकारती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह से मत करिए। कृपया शांति से सुनिए। शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान) मशहूर समाजसेवी आदरणीय अन्ना हजारे जी की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है, उसके संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज जो लोक सभा में बयान दिया, उस बयान के ऊपर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता, विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा कि यह जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not do it.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have a discussion. You wanted a discussion, and let us have a discussion in the House.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, नेता, विपक्ष ने कहा कि जो कल पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, वह पुलिस वालों की कार्रवाई नहीं, सरकार की कार्रवाई थी।...(व्यवधान) उन्होंने प्रश्न खड़े किये कि नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके पीछे कौन हैं? मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि देश में सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं लागू करने की जवाबदारी क्या प्रधान मंत्री के ऊपर होती है? इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री के ऊपर होती है? सुषमा जी जा रही हैं, मुझे मालूम हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर साहब आए हुए हैं, उनके साथ भोजन पर जा रही हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं।...(व्यवधान) लंच आपका दुरुस्त हो, सुंदर हो और स्वादिष्ट हो। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है? चारों तरफ से कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us have a discussion.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए। इतना उत्तेजित नहीं होते। इतना उत्तेजित कैसे हो गये? बैठिए। शांत हो जाइए। अब आप क्यों खड़े हैं? बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो विषय निकलकर आए। नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इमर्जेन्सी की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं चैलेंज करता हूं, कल जितने व्यक्ति प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत गिरफ्तार हुए, क्या किसी भी नागरिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस या मुम्बई पुलिस ने एक लाठी भी चलाई? पूरे सम्मान से उनको गिरफ्तार किया गया।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What has happened to you?

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। यह आपसी वार्तालाप बंद करिए और शांतिपूर्वक सुनिए। इतना शोर नहीं करते। आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हुक्मदेव नारायण जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बार-बार आरोप लगाते हैं कि आपकी जुबान बंद की जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। कृपया आप अपने आस्तीन में झांककर देखिए। मैं बोल रहा हूं, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया मुझे बोलने दिया जाए क्योंकि सबको बोलने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग पर आप ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं।...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, he should be allowed to speak. ... (*Interruptions*)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME
MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Why are you shouting?
How can he speak like this? ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : क्या हो गया? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अशोक अर्गल जी, आप क्यों खड़े हैं? आप एकदम बैठिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb him. Let him speak.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अशोक अर्गल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पूरे सदन की सहमति ली गई और पूरे सदन की मंशा थी कि डिबेट हो और अब यह डिबेट हो रही है। यह स्वाभाविक है कि आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे लेकिन आप उत्तेजित मत हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप हर समय उत्तेजित मत हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, देश में और संसद में कल की एक और कई गिरफ्तारियों के ऊपर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी खुशी मनाने का मौका नहीं होता है। जो लोग कल गिरफ्तार किए गए वे सब हमारे अपने हैं।...(व्यवधान) हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ...(व्यवधान) अन्ता हजारे भी हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, देश के समाज सेवी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। इतना उत्तेजित मत होइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बोलने देंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए। आप फिर क्यों खड़े हो गए? आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, इन्हें आपकी तरफ देखकर बोलना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हमारी तरफ देखकर बोलेंगे। मुंडे जी, कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBBAL: What are you doing? Please do not do it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Every time, they are getting up and shouting slogans. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: संजय जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि किसी की भी गिरफ्तारी बहुत खुशी मनाने का वक्त नहीं होता है खासकर जब अन्ना हजारे जैसे अच्छे समाजसेवी, बुजुर्ग की गिरफ्तारी होती है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई, यह विषय है, विवाद का विषय है और इस पर सदन में चर्चा हो रही है, होनी चाहिए और मुझे भी बोलने का हक मिलना चाहिए। ... (व्यवधान) एक ज्वाइंट कमेटी बनी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप थोड़ा धैर्य रखिए।

...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: महोदया, वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, वह नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहती हैं और उनकी पार्टी तुरंत नियमों का उल्लंघन कर रही है और संजय जी को बोलने नहीं दे रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़ी हो गई हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इतना उत्तेजित मत होइए।

...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): He should teach about parliamentary democracy to Sanjay Nirupam also. They do not have to teach us about parliamentary democracy. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग जी, आप बैठिए। थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा अनुरोध सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महोदया, पूरे सदन से मेरा निवेदन है कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा, कृपया मुझे शांति से बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान) अप्रैल महीने में अण्णा जी ने जन लोकपाल विधेयक का आग्रह लेकर जंतर-मंतर पर अनशन रखा। उस अनशन में मुख्य तौर पर यह बात निकल कर आई कि हमारा जन लोकपाल विधेयक का एक ड्राफ्ट है, प्रारूप है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने कहा कि कानून बनाने का हक संसद के पास है तो संसद का हक संसद के पास रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बैठकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद सरकार ने परम्पराओं से थोड़ा सा हटकर सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स ग्रुप के मान-सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई। श्री अण्णा हजारे जी के जो साथी थे, उनकी तरफ से चालीस सुझाव दिये गये, चालीस में से 34 सुझावों को सरकार ने माना। कहा कि ठीक है, इन सुझावों को देश के हित में माना जाना चााहिए, छः सुझाव नहीं माने गये। लेकिन अण्णा जी, जो लोकपाल विधेयक के लिए इतने ज्यादा आग्रह रखते हैं, उन्हें वचन दिया गया कि इसी सत्र में हम लोकपाल विधेयक लेकर आ रहे हैं। ...(व्यवधान) जो लोकपाल विधेयक 42 वर्षों तक संसद, स्थाई समिति का सिर्फ चेहरा देखकर घुमता रहा, उस लोकपाल विधेयक के लिए हमने वायदा किया, कमिटमैन्ट किया और We are committed to pass this Bill in this House. अब जब लोकपाल विधेयक का ड्राफ्ट बनाकर सरकार ने सदन में रखा और सदन ने उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा तो अण्णा जी और उनके साथियों ने कहा कि नहीं, इसमें जो बातें हमने कही थीं, वे आपने नहीं मानी। हमने पूछा कि कौन सी बात नहीं मानी, जरा बतायें तो मुख्य तौर पर यह सामने आया कि संसद को इसमें शामिल किया जाए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइये।

श्री संजय निरुपम: सांसदों के कामकाज और कंडक्ट को...(व्यवधान) Members of Parliament should also be included in it. प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया जाए, हायर ज्युडिशियरी को शामिल किया जाए। हमारी सरकार की तरफ से एक तर्क रखा गया कि देखिये, हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान को परम पूज्य बाबासाहब अम्बेडकर ने बनाया है और उस संविधान ने प्रशासन के तीन अलग-अलग अंग तैयार किये हैं। तीनों अंगों को एक-दूसरे पर चैक रखने की एक व्यवस्था की गई है। ऐसे

में यदि लोकपाल के तहत आप इन तीनों अंगों को डाल देंगे तो संविधान की बुनियादी व्यवस्था चरमरा जायेगी। यानी बाबासाहब अम्बेडकर ने जो कल्पना की थी, जो संविधान बनाया है, उस संविधान के खिलाफ जाने का हक किसी को भी नहीं है, ऐसा हमारी सरकार ने कहा। फिर भी हमने कहा कि यह पूरा विषय पार्लियामैन्ट की प्रोपर्टी है। संसद की जो स्थाई समिति, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वह एक मिनी पार्लियामैन्ट होती है। हमारी सरकार ने कहा, ठीक है, अण्णा जी और आपके तमाम साथियों को अगर लगता है कि अभी भी इस लोकपाल बिल में बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है तो आप स्टैंडिंग कमेटी में जा सकते हैं, वहां अपनी बात रख सकते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को अपनी बात से कनविन्स कर सकते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब यह स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी ने टीम अण्णा के लोगों को बुलाया, खुद अण्णा जी और उनके साथी भी गये, उन्होंने पहली बातचीत में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि हमें वक्त कम मिला था, अगली बार हम ज्यादा अच्छी तैयारी करके आयेंगे, यह एक विषय था।

उसके बाद अण्णा जी और उनके साथियों की तरफ से बार-बार यह आग्रह हुआ कि हम अनशन पर बैठेंगे। हमने कहा कि अनशन पर किसके खिलाफ बैठना है, आप सरकार से डिसएग्री कर सकते हैं। सरकार से नाराज होने का हक इस देश के हर नागरिक को है। लेकिन संसदीय व्यवस्था के खिलाफ जाने का अधिकार शायद किसी को नहीं है, यह कम से कम हमारा संविधान कहता है। हमने कहा कि आप किसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं, आप पार्लियामैन्ट के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, पार्लियामैन्ट की प्रक्रिया के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। उन्होंने नहीं माना, हमने कहा ठीक है। अब इसके आगे का जो कामकाज या बातें थीं, वे सरकार के पास नहीं थीं। इसके आगे की बातें दिल्ली पुलिस के पास थीं, क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थापना करना दिल्ली पुलिस, मुम्बई पुलिस और पुलिस महकमे के पास होती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जंतर-मंतर के पास आपको अनशन पर नहीं बैठने देंगे। हमने वहां धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अण्णा जी की टीम को दो-तीन सुझाव दिये और उसके तहत जे.पी. पार्क का नाम तय हुआ कि जे.पी. पार्क में आपका अनशन 16 अगस्त को शुरू हो सकता है, सरकार को कोई ऐतराज नहीं था। हम अपना एक तर्क रख रहे थे।

लेकिन हर व्यक्ति को इस देश में अनशन पर बैठने का हक है, विरोध करने का हक है, प्रदर्शन निकालने का हक है, नाराज़ होने का हक है, डिस्एग्री होने का हक है, असहमित व्यक्त करने का हक है। संविधान का दिया हुआ यह अधिकार इस देश के आम नागरिकों को है। इसमें अण्णा जी और उनके टीम के लोग भी शामिल हैं। अब जब जेपी पार्क में बैठने की बात आई तो दिल्ली पुलिस ने शर्तें रखीं। सुषमा जी



ने पूछा कि किस कानून के तहत आपने शर्ते रखीं। वे शर्ते हमने नहीं रखीं थी, वे शर्ते दिल्ली पुलिस की शर्ते थीं। ...(व्यवधान) दिल्ली पुलिस का अपना मैन्युअल है। ...(व्यवधान) हर शहर की पुलिस अपने मैन्युअल के हिसाब से काम करती है। ...(व्यवधान) दिल्ली पुलिस ने अपने मैन्युअल के हिसाब से बीस शर्ते रखीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में याद दिलाया कि बीस में से छह शर्ते उन्होंने मानने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आप सारी शर्ते नहीं मानेंगे तो हम आपको यहां पर अनुमित नहीं देंगे। अण्णा जी एक आदरणीय व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह बात खुद सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं। Everybody is equal before the law. This is the law of this country, law of this nation. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आप हमारी शर्ते नहीं मानते हैं तो हम आपको जेपी पार्क में अनशन पर नहीं बैठने दे सकते। अण्णा जी और उनके साथियों ने कहा कि हम 16 अगस्त को अनशन पर तो बैठेंगे ही। उसके बाद दिल्ली पुलिस मयूर विहार और सुप्रीम एन्क्लेव जाती है। कल मैंने किसी चैनल पर फ्लैशेज़ देखे कि दिल्ली का डीसीपी पहले अण्णा जी के पैरों में झुक कर नमस्कार करता है फिर उनको कहता है कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। ...(व्यवधान) क्या यह अपमान है? क्या यह नागरिक अधिकारों का हनन है? ...(व्यवधान) उसके बाद पूरे सम्मान के साथ ...(व्यवधान) उनको ऑफीसर्स मेस में ले जाया गया ...(व्यवधान) उसके बाद राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन ले जाया गया ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया जी, ...(<u>व्यवधान</u>) इस बात में दो मत नहीं है कि कल लोग अलग-अलग शहरों में सड़कों पर उतरे और लोगों में नाराजगी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग नाराज हैं।...(<u>व्यवधान</u>) लेकिन याद रखिएगा कि कोई एक पक्ष भ्रष्ट नहीं है। हर पक्ष में भ्रष्टाचार है। ...(<u>व्यवधान</u>) अण्णा जी ने खुद कहा कि ...(<u>व्यवधान</u>) एक तरफ लोग भ्रष्टाचार में ग्रेजुएट हैं तो दूसरी तरफ लोग भ्रष्टाचार में पीएचडी कर के बैठे हुए हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) यह अण्णा जी का बयान है। ...(<u>व्यवधान</u>) अब मेरा मुद्दा है कि आपने कहा कि नागरिक अधिकारों हनन् हुआ। ...(<u>व्यवधान</u>) पूरे देश में सम्मानीय नागरिकों का सम्मान करते हुए ...(<u>व्यवधान</u>) आदर करते हुए पुलिस ने प्रिवेन्टिव अरेस्ट किया। लेकिन किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई, किसी को मारा-पीटा नहीं गया। मुझे लगता है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस और मुम्बई पुलिस को बधाई देनी चाहिए, उनका अभिनन्दन करना चाहिए। अब उसके बाद का जो विषय निकल कर आता है कि ...(व्यवधान) अब लोकपाल में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग ठाकुर जी, बैठिए, उन्हे अपनी बात रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have called his name and he is speaking. Please sit down. If you want to speak, tell your party to send your name. Please sit down.

... (Interruptions)

श्री संजय निरुपम: अनुराग जी, प्लीज़...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनुराग ठाकुर जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया जी, यह कहना आसान है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, लेकिन... * कम से कम स्वीकार कर लीजिए ...(<u>व्यवधान</u>) खुले मन से ...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष जी, कल दिन भर ...(<u>व</u>्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नीरज जी, आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महोदया, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो तो मैं उसे वापस ले लेता हूं।...(<u>व्यवधान</u>) इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है,...(<u>व</u>्यवधान) लेकिन अपने सीने पर हाथ रखकर बता दें कि उन्होंने कभी

-

^{*} Not recorded

भ्रष्टाचार नहीं किया।...(व्यवधान) बता दें कि एनडीए के जमाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ...(व्यवधान) बता दें कि यूटीआई का घोटाला नहीं हुआ...(व्यवधान) बता दें कि सीएम घोटाला नहीं हुआ।...(व्यवधान) यह भी बता दें कि अण्णा हजारे शिवसेना-बीजेपी सरकार के समय महाराष्ट्र में किन-किन मंत्रियों पर आरोप लगाते थे?।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट आप हमें बोलने दीजिए।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have called for the records. If there is anything objectionable, it will be deleted.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have called for the records.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महोदया, अगर रिकॉर्ड में मैंने कोई भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है तो बेशक उसे निकाल देना चाहिए।...(व्यवधान) मेरी कोई जिद नहीं है।...(व्यवधान) मेरा कोई आग्रह नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने कह दिया है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He has said it.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: मैंने अपनी बात वापस ले ली है।...(व्यवधान) क्षमा कीजिये।...(व्यवधान) आप लोग बहुत बड़े ईमानदारी के पुतले हैं, मैंने मान लिया है।...(व्यवधान) मैंने अपनी बात वापस ले ली है।(व्यवधान) अब येदिरूप्पा नहीं हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: अब आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): महोदया, जो कुछ भी संजय निरूपम जी ने कहा है, उनकी सारी बातों को गौरपूर्वक हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने जिस तरीके से सारे राजनीतिज्ञों को ... बना दिया है...(व्यवधान) महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत की राजनीति में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो मूल्यों की राजनीति करने वाले हैं, उसूल की राजनीति करने वाले हैं, सिद्धांत की राजनीति करने वाले हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया आप उन्हें निर्देश दें कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसे वापस करें और यदि वे वापस नहीं करते हैं तो कृपया उसे एक्सपंज कराने का निर्देश देने का कष्ट करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सुशील सिंह जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हो गया, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सुमित्रा जी, हरिन पाठक जी, आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let me say something. हम कुछ कह रहे हैं। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि जो भी उन्होंने कहा है, वह उसे वापस ले रहे हैं और मैंने भी कहा है कि जो भी ऑब्जैक्शनेबल होगा, मैं उसे डिलीट कर दूँगी, एक्सपंज कर दूँगी। उन्होंने भी कहा है कि वह वापस ले रहे हैं।

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, आदरणीय राजनाथ जी ने सही बात कही है कि कुछ लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं और सभी के सभी दागदार नहीं हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ज़रा बाहर निकलकर लोगों के सामने बात करके देखिये, जनता कहती है कि एक-एक पोलिटीशियन, एक-एक पोलिटिकल पार्टी ... * ...(व्यवधान) मैं जनता की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं अब अन्ना जी पर आता हूँ। अन्ना जी का जो जन-लोकपाल विधेयक है, मैं अपनी बात छोड़ देता हूँ, मैंने अपनी बात वापस ले ली है, लेकिन मैंने कहा कि जनता क्या सोच रही है ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

_

^{*} Not recorded

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time.

(i) Need to start border trade with Bangladesh through Murshidabad in West Bengal

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): One of the border districts in the State of West Bengal is Murshidabad. There is a huge potential of trade between India and Bangladesh in this part of the State, provided both countries agree to do so.

Everyday hundreds of items are traded between the people of the two neighbouring countries either formally or informally as poor people of either side of the border are desperate enough to carry out this trade to earn their livelihoods. As a result of which they often are nabbed by B.S.F and face the legal complications. They are even imprisoned.

Keeping in view the cordial relations between India and Bangladesh, a mechanism of border trade could be explored which would facilitate the trade

-

^{*} Treated as laid on the Table

between the people as well as consolidate the relations. It may offer an outlet of many more opportunities of livelihoods of the people of the district.

I, therefore, urge upon the Government to consider my proposal of border trade in the district Murshidabad.

(ii) Need to announce a Central Health Package for eradication of waterborne and vector borne diseases in Kerala particularly in Alappuzha district

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to raise a serious issue concerning Alappuzha district in the State of Kerala. Alappuzha has been affected by various kinds of water-borne and vector borne diseases. The situation is getting serious year after year. Thousands of people are affected by these water-borne and vector borne diseases. Many of them die every year. Doctors say that it is very difficult to detect the exact cause of the diseases since the symptoms are similar. Since 2006, the Kerala state, especially Alappuzha, has been witnessing the spread of epidemics and during the last five-year period. around 15 Central teams have visited the State to control these communicable diseases. Yet no remedy appears to be in sight. According to Directorate of Health Service (DHS), from 2006 to 2010, around 68 Japanese Encephalitis 1,36,948 Chikunguinea, 10,206, malaria and 6,431 dengue cases have been reported. Since the year 2006, various medical expert teams like NICD, ICMR, CRME, NIV and National Vector Born Diseases Control Programme (NVBDCP) have tried to control the waterborne and vector borne diseases but have yet not been able to suggest any remedial measures. According to health experts, Kuttanad is still a cholera prone district.

The State Government of Kerala on its part, has sanctioned Rs. 200 crore for drinking water supply scheme. But this is not enough. The Union Government should chalk out a Central Health Package exclusively for Alappuzha district in order to fight outbreak of these diseases which are causing havoc to the health and

lives of the people of this district. I request the Union Government to announce a Central Health Package exclusively for Alappuzha district.

(iii) Need to expedite lifting of rice from camp stores of rice sellers by FCI in Punjab particularly in Hoshiarpur district

SHRIMATI SANTOSH CHOWDHARY (HOSHIARPUR): I want to request Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution that rice millers of Punjab especially at Hoshiarpur district which is my Parliamentary Constituency are facing acute problem due to the apathy of F.C.I. They are not given transportation charges. Actually FCI usually clears 95% of rice stock by March 31 every year from the camp store to the FCI go down i.e. 7-8 lakh tonnes monthly but presently the movement has been restricted to just 3 lakh tonnes. Because of non-lifting of rice by the FCI, the damage and discolorization in the rice has increased. In the year 2010-11, there was no space for acceptance of CMR rice at Mukarian, Dasuya, Hoshiarpur and Garshanker. The millers demand is that the damage contents of the rice lying in the camp store of the rice sellers should be increased from 4 to 5% and discoloration should be increased from 3 to 5%. The FCI should make immediate arrangements for lifting of the rice from the camp store.

(iv) Need to provide accommodation to Chairman and members of Vamsadhara Water Disputes Tribunal from General Pool Residential Accommodation to facilitate the functioning of the Tribunal

DR. KRUPARANI KILLI (SRIKAKULAM): Government of India has constituted Vamsadhara Water Dispute Tribunal (VWDT) for adjudication of the water disputes regarding the Inter-State River Vamsadhara and the river valley thereof. The first formal sitting of VWDT was held on 9.09.2010 and the 2nd sitting of VWDT was held on 23.11.2010. As the Government of India was yet to provide accommodation and infrastructure to conduct the Tribunal proceedings, the next hearing posted for 1.2.2011 was cancelled due to resignation of the Chairman of the Tribunal. The main reason of his resignation was the non-availability of infrastructure including accommodation. The Chief Justice of India has nominated Dr. Justice Mukundakam Sharma, a sitting judge of Supreme Court to be the Chairman of the said Tribunal.

In view of the Cabinet Committee on Accommodation's (CCA) decision, Chairman and Members of VWDT are not eligible for GPA and therefore, suitable residential accommodation to Chairman and Members cannot be made available unless CCA reviews its decision and make Chairman and Members of VWDT eligible for GPRA.

I, therefore request the Hon'ble Minister for Water Resources to take initiative and place the matter before CCA for making the Chairman and Members of VWDT eligible for accommodation so that the Tribunal can start functioning at the earliest.

(v) Need to convert railway line between Nathdwara to Marawar in Rajasthan into broad-gauge

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत आने वाला रेलवे रूट जो धार्मिक स्थल नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक फैला हुआ है, इसके आस-पास के सभी रेलवे रूट ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन उक्त रेलवे रूट अभी तक ब्रॉडगेज में परिवर्तित नहीं हुआ है। सामरिक महत्व तथा क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर यह रेलवे रूट ब्रॉडगेज नहीं होने की वजह से लगातार विकास से वंचित हो रहा है। मेवाड़ के इस क्षेत्र के निवासी देश के विभिन्न प्रांतों में आजीविका हेतु रहते हैं जिनका आना-जाना लगातार बना रहता है। ब्रॉडगेज नहीं होने के कारण उनको लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी रेलवे रूट पर कई महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों के अलावा कांकरोली का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भी है जहां वर्षपर्यंत देश-विदेश के लोगों का आवागमन रहता है। इनमें सर्वोपिर महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ब्रॉडगेज नहीं होने के कारण आपातकालीन स्थिति में सेनाओं के सीमा पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है।

अतः मेरा निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर उक्त रेलवे रूट को ब्रॉडगेज करने की कृपा करें ।

(vi) Need to upgrade the Madan Mohan Malviya Engineering College in Gorakhpur, Uttar Pradesh at par with Indian Institutes of Technology

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): गोरखपुर उ.प्र. का एक प्रमुख महानगर है। पूर्वी उ.प्र. पश्चिमोत्तर बिहार तथा नेपाल के तराई की 5 करोड़ से ऊपर की आबादी अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहती है। इस 5 करोड़ आबादी के बीच न कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है न केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान और न ही कोई आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. ही है। जिसके कारण इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को भारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर उ.प्र. सरकार के द्वारा संचालित एक व्यवस्थित इंजीनियरिंग कॉलेज है। कॉलेज गोरखपुर महानगर से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। संसाधनों के अभाव में यह इंजीनियरिंग कॉलेज इस क्षेत्र के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान नहीं दे पा रहा है।

कृपया व्यापक जनिहत में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर को आई.आई.टी. के समक्ष विकसित करने का कष्ट करें।

(vii) Need to develop Jalgaon in Maharashtra as a tourist place of national importance

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): जलगांव केला उत्पादक प्रदेश के नाते सभी का परिचित है । इसलिए यह विश्वविख्यात है, लेकिन हमारे यहां प्राचीन स्मारक, अवशेष और पुरातन मंदिर इस ऐतिहासिक कालखंड के साझीदार है, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । ऐसे प्राचीन स्मारकों की देखभाल और मरम्मत की समुचित सुविधा करनी होगी । इसके साथ ही यहां ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दुर्लभ संस्मारक हैं जिनके संख्यण तथा प्रचार से वहां पर पर्यटन बढ़ाकर हम रोजगार को भी सृजित कर सकते हैं । इस मायने में जलगांव जिला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सरकार द्वारा चिन्हित करने की आवश्यकता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की जानकारी, विमान सेवा तथा सड़क सम्पर्क सुविधा अच्छी तरह उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है । सरकार अगर इस मामले में कदम उठाती है तो यहां पर पर्यटन का रोजगार बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकता है । पर्यटन के विकास और बुनियादी ढांचा निर्माण में सहायता मिल सकती है । इस दिशा में उचित कार्यवाही से जलगांव जिले के लोगों को पर्यटन के रूप में रोजगार और सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिल सकता है । सरकार तथा स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए । केवल इच्छा शक्ति के द्वारा ही जलगांव का विकास हो सकता है । इसके लिए सरकार तथा स्थानीय लोगों की सहायता की भी दरकार रहेगी ।

केन्द्र सरकार एक कार्य योजना बनाकर जलगांव को ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्यवाही करे।

(viii) Need to construct a bye-pass on National Highway passing through Dhanbad, Jharkhand

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनबाद): राष्ट्रीय राजमार्ग धनबाद शहर के मध्य से होकर अन्य शहरों में जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के धनबाद शहर के अन्दर से गुजरने के कारण दिन प्रतिदिन यातायात जाम होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। जिससे कि आम आदमी के जीवन को खतरा एवं आए दिन व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना से मृत्यु भी हो रही है।

अतः मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि धनबाद के बाह्य रास्ते से एक बाईपास का निर्माण किया जाए जोकि धनबाद, बोकारो, राँची, राऊरकेला व झारखण्ड से देश के अन्य शहरों में जाकर मिल जाए । ऐसा करने से आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जनमानस के जीवन की रक्षा की जा सके ।

(ix) Need to take measures to stop the water and gas eruptions occurring in human habitations in Surat Parliamentary Constituency, Gujarat

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत के ओलपाड करने में एवं उसके आसपास के करीब 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में ओएनजीसी एवं अन्य कंपनियां सालों से प्राकृतिक गैस उत्पादन कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में एक अजीब समस्या सामने आ रही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करके उस पर आपके द्वारा संबंधित विभागों को तुरंत आदेश जारी किया जाए एवं उन पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए ऐसी मांग करती हूं।

पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में जमीन में से अचानक पानी एवं गैस निकलने जैसी समस्या सामने आई है। जिसके कारण लोगों के घरों में एक से दो फुट तक पानी भर जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि वो पानी उनके घरों में से या खुली जमीन कहीं से बड़े प्रेशर के साथ निकलता है। साथ ही साथ गैस के भी फव्वारें निकल रहे हैं। अभी तीन दिन पहले भी एक करबे में बारिश के पानी से भरे तालाब में से निकल रहे बुलबुलों पर एक नागरिक द्वारा माचिस की तीली धर दिए जाने के कारण वहां आग लग गई थी। जिससे साफ हो रहा है कि वहां से कच्ची गैस निकल रही है।

यहां के निवासी महीनों से रातभर सो नहीं पा रहे हैं । गुजरात सरकार द्वारा ऐसे निवासियों के, जिनके घरों में से पानी निकल रहा है, रहने हेतु निवास व्यवस्था एवं अन्य राहत कार्य शुरू किया गया था । माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात द्वारा इस विषय के विशेषज्ञों को एवं गुजरात के माननीय शहरी विकास मंत्री जी को सूरत भेजा गया था, उन्होंने उचित व्यवस्था हेतु आदेश दिया है । विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस समस्या के बारे में सोचा नहीं गया तो यह समस्या महीनों तक चल सकती है एवं इसके लिए गैस का जो प्रेशर है उसे खत्म करने हेतु उचित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

ओएनजीसी एवं सूरत के कलेक्टर के द्वारा यह प्रेशर खत्म करने हेतु और दो जगहों पर खुदाई करने की मंजूरी तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विकास से मांगी गई है। मेरी आपसे विनती है कि इस पर तुरंत आदेश जारी करके इस समस्या से यहां के नागरिकों को राहत प्रदान करे और केन्द्र सरकार पीड़ित लोगों को जो महीनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में से पानी निकलने के कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उनको मुआवजा दे।

(x) Need to release funds for Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana in Uttar Pradesh particularly in Etawah Parliamentary Constituency

श्री प्रेमदास (इटावा): मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इटावा संसदीय क्षेत्र एवं समस्त उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत धन नहीं निर्गत किए जाने के चलते राज्य का विद्युतीकरण कार्य ठप्प पड़े होने की ओर आकृष्ट करता हूं । जिन गांवों का वर्षों पूर्व विद्युतीकरण हुआ भी है, वह अधूरा पड़ा हुआ है । कहीं बिजली के खम्बे गड़े हुए हैं, तो तार नहीं है । जिन गांवों में दोनों कार्य हुए हैं, वहां कनेक्शन नहीं दिया गया है । अधिकांश गांवों का अधूरा विद्युतीकरण किया गया है । विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक द्वितीय किस्त का पैसा ही नहीं भेजा गया है, जिससे कार्य अधूरा पड़ा है । साथ ही साथ बाकी बचे गांवों का सर्वे भी किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है ।

में सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल धन उपलब्ध कराकर इस योजना को पूरा करावें । साथ ही बाकी बचे गांवों का सर्वे कराकर शीघ्र धन की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

(xi) Need to provide compensation and irrigation facilities to betel leaf growers in Mahoba Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): मेरा संसदीय क्षेत्र महोबा पान उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किंतु पान की खेती की सिंचाई के लिए बनाए गए कुएं, तालाब सूख जाने से पान की खेती मुरझा गई है। कई सालों से ओलावृष्टि, पाला, लू एवं अल्पवृष्टि के कारण फसल चौपट हो गई है। पान की फसल खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी और फसल बीमा के दायरे से भी बाहर है। पान से जुड़े हजारों किसान पलायन को मजबूर हैं और भुखमरी की नौबत आ गई है।

पान की खेती का गढ़ रह चुके महोबा की पान मंडी अब वीरान हो चली है । महोबा में पान की खेती तीन हजार एकड़ से सिमटकर पांच एकड़ तक रह गई है । यहां के देसावरी पान की मांग समूचे देश में है और इसका निर्यात भी किया जाता था ।

मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के मुआवजे के साथ सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए । केन्द्र सरकार द्वारा लखनऊ और महोबा में स्थापित परंतु अब बंद हो चुके पान प्रयोग व प्रशिक्षण संस्थान पुनः चालू किए जाएं ।

(xii) Need for dredging of river Panchane in Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में एक नदी पंचाने है जिससे खेतों की सिंचाई भी होती है। लेकिन अभी पंचाने नदी में गाद काफी भर गई है और यही हाल इसके सभी पइनों का है जिनसे भी सिंचाई होती है। फलस्वरूप बरसात में या फिर झारखंड राज्य में जब ज्यादा पानी आता है, नदी और पईन में गाद भर जाने से पानी, फसल वाले खेतों में घुस जाता है तथा गांवों में भी पानी चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लाखों रूपये की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों की कमर टूट जाती है, उनकी आर्थिक हालत दयनीय हो जाती है। इसका उपाय यहीं है कि पंचाने नदी और इसके सभी पईनों की सफाई का प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग वहां जाकर तैयार करे एवं इस पर फिर तुरंत अमल करे।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार तुरंत इसको कार्यान्वित करवाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को आदेश निर्गत करे।

(xiii) Need to provide forest land for construction of a new road from Adilmalaikadu to Kemmampatty in Salem District, Tamil Nadu

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I would like to bring to the kind notice of the Government regarding the formation of a new road from Adimalaikadu to Kemmampatty in Palamalai Hills, Kolathur Panchayat Union, Mettur Taluk, Salem district, which falls in my Parliamentary constituency, Dharmapuri, under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). The District Collector has certified that no alternative suitable non forest land is available and suggested for diversion of 3.97 ha of forest land for the formation of road in Palamalai Reserved Forest. The Principal Conservator for Forests, Government of Tamil Nadu has consented to the proposal of the District Collector as per guidelines laid down in the Hill Road Manual of Indian Roads Congress and sent it to the Deputy Conservator of Forests (Central), Bangalore. However, this authority has returned the proposal stating the possibility of soil erosion in that area. In this connection, I would like to stress here that the soil erosion is a regular phenomenon in all hill road development activities and this reason alone cannot be gauged for rejecting the said proposal.

In the absence of a road, the people of this area consisting of more than 33 villages located over a height of 4,000 mtrs. above sea level, have to walk around 05 to 15 kms for any purpose. Sometimes, they have to carry on shoulders, the patients and pregnant women through all these 05-15 kms and walk through the typical hill narrow lines to reach a hospital in Mettur.

I, therefore, urge upon the Government to grant its concurrence forthwith for diversion of 3.97 ha of forest land for the above said road which is the need of the hour of the people of inhabitants in this hilly area.

(xiv) Need to provide adequate infrastructure facilities and security to pilgrims of Amarnath Shrine in Jammu & Kashmir

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): I would like to raise an important issue regarding providing basic facilities to the devotees of Amarnath. Indian pilgrims pay homage to Bhole Nath Shiv Shankar ice lingam at Amarnath cave every year. The weather conditions are so unpredictable that at one time the sun is shining brightly and then suddenly with a wave of cold wind, chill weather creeps in. Rain and snowfall are very unpredictable here.

There is an urgent need to provide proper electricity, water, reasonable food, telephone/mobile connection, medical facilities especially during Amarnath Yatra Period. Yatra route from Baltal/Chandanwari to Holy Cave is too narrow and muddy. Therefore, these routes should be widened enough and concrete road should be constructed on the pattern of Shri Mata Vaishno Devi route. These routes should be properly fenced with concrete/stone and steel railing/grills/pipes to avoid any further loss of life of the pilgrims and animals during Yatra. I also demand that fool proof security arrangements should be made and it must be ensured that any type of incidents/mishap do not occur in future. On the spot/current registration of pilgrims must be done, as it is far more convenient for the pilgrims. There is an urgent need to build more community Halls with all basic facilities at various parts adjoining Amarnath. The local people around these areas are totally depended on this Yatra. The Government should provide more modern infrastructure facilities by involving local people and their services. These are long standing demands of all devotees. I urge upon the Government to consider the above genuine demands of crores of devotees and build new infrastructure and proper basic facilities in and around Lord Amarnath shrine so that more people can get darshan.

(xv) Need to set up a Real Estate Regulatory Authority to protect the interests of home buyers

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): The Shahberi Judgment by the Supreme Court brings to light the problems of the farmers and property buyers across the country. The issue should not be viewed as farmers vs industry, and this will be possible only with an effective legislative framework for the planning and usage of land. Along with the land titling and land acquisition bill it is essential that a Real Estate Regulatory Authority be established to look after the interests of buyers. The authority must ensure the transparency of project and provisions of facilities by the builders to the buyers as committed along with the provisions mentioned in the Model Real Estates Act. It should look into property valuation and ensure that builders use funds raised by sales of a particular project in developing that project only and that they sell projects only after acquiring 80-85% of land required. The authority must have supervision and investor protection mechanisms for checking malpractices by the local development authorities.

(xvi) Need to increase the frequency of passenger trains with AC coaches from Cuttack and Bhubaneswar to Paradip in Odisha

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Paradip, one of the major sea ports of India, is situated in my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, Odisha. Since its inception in 1962, the adjacent area of Paradip Port has grown as a business and industrial hub in eastern coast of India. Besides being a major port. Paradip due to its geographical location, has become an attractive site for investment with already established Paradip Phosphates Limited, IFFCO, terminals of IOCL, BPCL and HPCL, Cargil Edible Oil plant, Carbon Company etc. The construction works of Oil Refinery project and Essar Steel Plant project with an amount of Rs. 30000 crore and more than Rs. 15000 crore respectively are also going on, where 25 thousand workers are working. Several upcoming projects like thermal power plants and petrochemical complex etc. have also been proposed to be established in future. Because of its exposure to national and international investment, a massive influx of skilled as well as unskilled migrant workers has taken place in recent times. Most of the workers, due to lack of accommodation facility in Paradip, prefer to commute from far off places like Cuttack, Bhubaneswar, Jajpur etc. by train keeping in view their easy accessibility to their respective industrial set ups. I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Railways, that as Paradip has been connected with Cuttack and Bhubaneswar through railway line and most of the people commute by train, the frequency of train services is not adequate to address the problems of workers working in various industrial establishments of Paradip. Hence, I request the Hon'ble Minister to take steps to run more number of passenger trains having AC coaches starting from Cuttack and Bhubaneswar in order to facilitate the railway commuters to reach in their working place.

17.08.2011 74

(xvii) Need to include Vembanad Lake of Kerala in the list of Lakes identified under the National Lake Conservation Programme.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Lake in Central Kerala from extinction. This backwater system covers an area of over 1512 sq. km and supports paddy farming, fishing and tourism providing livelihood to more than 1.6 million people.

A unique characteristic of this lake is the locatin of the Thanneermukkom bund. It was constructed to prevent intrusion of salt water into the Kuttanad low-lands. This barrier has helped the farmers in Kuttanad where farming is done below sea level. But this area is vulnerable to breaking out of epidemics, blockade of navigational channels due to prolific growth of Hyacinth and extinction of marine life.

Vembanad Lake is the back bone of back water tourism in Kumarakom, Alappuzha and Kochi. This wetland system was declared as a new Ramsar Site of international importance in the year 2002. India being a signatory to the Ramsar Convention is duty bound for the conservation of this lake for environmental, hydrological and economic reasons.

I urge the Centre to wake up to the gravity and urgency of the issue and to include Vembanad Lake in the list of Lakes identified under the National Lake Conservation Programme.

14.01 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Statement made by the Prime Minister regarding setting up of Lokpal and certain events that took place on 16.08.2011 in New Delhi– Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now continue the discussion.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लंच से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री के बयान पर जो चर्चा शुरू हुई उस पर अपनी बात रख रहा था।

महोदय, कल दिन भर इस बात की चर्चा हुई कि इमरजेंसी लागू हो गई है या इमरजेंसी की याद ताज़ा हो गई है। हम यह भूल रहे हैं कि यह जो एनजीओ ग्रुप का मुवमेंट है, यह पुरे पॉलिटीकल सिस्टम के ख़िलाफ़ है, यह हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, यह संसद के ख़िलाफ़ है, यह ज्यूडिशयरी के ख़िलाफ़ है। क्या-क्या सुझाव आए हैं? हमारे तमाम साथियों के सामने मैं विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि लोकायुक्त की स्थापना का जो विषय है, इसे लोकपाल विधेयक में रखिए। लोकायुक्त की स्थापना राज्य सरकार का प्रोरोगेटिव है। क्या हम उसे स्वीकार करने जा रहे हैं? एनजीओज़ को उसमें डाल दिया गया, जो सरकारी पैसे से काम करते हैं। वे कह रहे हैं कि एनजीओज़ को इसमें मत डालिए। सीबीआई के एंटी करप्शन को इसमें डाल दीजिए। सीबीआई की इनक्वायरी किसी विषय पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम राज्य सरकार की सहमति लेते हैं। ऐसे कई विवादास्पद विषय थे, उन पर मतभेद था, जिसकी वजह से जो हमारा लोकपाल आया, सरकार ने जो लोकपाल सदन में रखा, उस पर उनको ऐतराज़ हुआ। ऐतराज़ करने का हक़ किसी को भी है, लेकिन संविधान द्वारा स्थापित बुनियादी व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को इस देश में नहीं है। खासकर वह संविधान जो हमारे परमपूज्य आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तीन साल की मेहनत के बाद बनाया गया।...(व्यवधान) मेरा आग्रह केवल इतना है कि पूरा विषय इस समय स्थायी समिति के पास है। स्थायी समिति एक मिनी पार्लियामेंट है। तमाम दलों के प्रतिनिधि उस सभा में हैं। यदि किसी को अपनी बात कहनी है तो बिलकुल अपनी बात कह सकता है। उसमें संशोधन की तमाम गुंजाइशें होती हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

_

^{*} Not recorded

श्री संजय निरुपम: क्या कल जो कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाइयों के बारे में देश के प्रधानमंत्री निर्णय लिया करते हैं? क्या देश के गृहमंत्री निर्णय लेंगे? कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. को लागू करना यह पुलिस महकमे का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत ससम्मान पूरे इज्ज़त के साथ अन्ना जी को हिरासत में लिया गया और कल रात को उनकी रिहाई का वारंट भी आ गया। अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अनशन करना है।.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री संजय निरुपम: अन्ना जी ने कहा कि जुंग्निशनशन करना है। किसी भी व्यक्ति को अनशन करने का हक है। इस विषय पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसके संबंध में पूरी प्रकिया चल रही है। उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। उसके बाद जो एक प्रोडक्ट निकल कर आएगा, एक फाइनल बिल का झुफ्ट निकल कर आएगा, जिसको बाद में पार्लियामेंट में पास करने के लिए हम प्रस्तुत करने जाएंगे, अगर उसमें कोई एतराज़ है तो बिल्कुल अपना मतभेद जाहिर करना चाहिए। यह एक विषय है।

दूसरा विषय, हमारे एक साथी ने जस्टिस पी.वी. सावंत की रिपोर्ट को कोट किया। वह कोट करने के तरीके पर एतराज हो सकता है। कुछ पन्नों को जिस तरह से उद्धृत किया गया, उस तरीके पर एतराज हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ बातें थी। इस देश में एक जस्टिस की कुछ फाइंडिंग थी। उस फाइंडिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक सुखतंकर कमेटी बनाई कि क्या इस फाइंडिंग के आधार पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कार्रवाई की जाए। उसी इम्मोरेलिटी के बाद उस समय कांग्रेस और एन.सी.पी. के जो दो मंत्री थे, उन पर भी अन्ना जी ने आरोप लगाया था। उनके बारे में भी सुखतंकर कमेटी ने कहा कि इस विषय में कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। इसमें इम्मोरेलिटी हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या इससे हम यह मान लें कि ये दोनों मंत्री भी निष्कलंक हैं? क्या आज तक कुछ कहा गया? मैं अन्ना जी का आदर करता हूं, पर किसी पर आरोप लगाने से पहले सुनने का समय मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री संजय निरुपम: हमें बार-बार कहा जाता है कि संसद की सर्वोच्चता की आप धाक दिखाते हैं। उपध्याक्ष महोदय, आप जिस सदन की पीठ पर बैठे हैं, उस सदन के बारे में जब हम कहते हैं कि सदन की एक सर्वोच्चता है, उसे चुनौती न दें तो ये लोग कहते हैं कि आप संसद की सर्वोच्चता की धमकी दे रहे हैं, धाक दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि चार-चार एम.पी. जेल में हैं, 150 एम.पी. भ्रष्टाचार के मुकदमें झेल रहे हैं। कौन-से 150 एम.पी. हैं? कहा जाता है कि सारे हैं। *...(व्यवधान) इन बातों के ऊपर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है। मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्षमा चाहता हूं।

कल के आंदोलन में जब आजाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय साथी जब बी.जे.पी. का झंडा लेकर गए तो उन्हें दौड़ा कर वापस भगाया गया। यह पूरे पार्लियामेंटरी सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। बोला गया कि लोकायुक्त की स्थापना हम करेंगे। इस देश में कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त काम कर रहे हैं? कौन-कौन से राज्य हैं जहां लोकायुक्त के अंदर मुख्यमंत्री आते हैं? कौन-से ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त पिछले नौ वर्षों से नियुक्त नहीं हुए हैं? जो लोग लोकपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल गए हैं, जरा अपने आस्तीन में झांक कर देखें और यह बताएं कि आपके अपने-अपने राज्यों में क्या हो रहा है?

मैं अपनी बात खत्म करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक विषय है। उस विषय से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लोगों में नाराज़गी है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि यूपीए सरकार के सामने जब-जब कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल कर आया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की गयी है, लोग जेल भी भेजे गए और मेरे माननीय साथी, आपके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने में आपको एक साल लग गया। ...(व्यवधान) यह सरकार चाहती है कि अच्छा गवर्नेस हो। गवर्नेस के अंदर पारदर्शिता हो, आम आदमी की ताकत बढ़े। आम आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार कानून लाया गया। ये हम अपने लिए नहीं लाए। संसद से बाहर निकल कर कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जी का जंजाल आ गया, लेकिन ये जी का जंजाल उनके लिए हो सकता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आम आदमी यूपीए चेयर परसन और हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है। वह एक ऐतिहासिक कदम था और जो धीरे-धीरे बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, वे आरटीआई कानून के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। इस आरटीआई से आम आदमी की ताकत बढ़ रही है और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्र के ही। बड़े-बड़े अधिकारी लूटिंग करने से पहले और मंत्री

^{*} Not recorded

17.08.2011 78

चिट्ठी लिखने से पहले घबराते हैं। ये जो आम आदमी की ताकत बढ़ाई गई है, उस ताकत को मैं सलाम करता हूं। सरकार ने जो लोकपाल बिल सदन में रखा है और जो अभी स्थाई समिति में है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन चाहिए तो बेशक इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटिजन, कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था जाए और वह स्थाई समिति को कंविंस करे, संशोधन लाए तथा उसके बाद एक सुधारित लोकपाल लाकर सदन में पेश करे। यह सरकार और हम सब उस लोकपाल के विधेयक को पास करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बहस हो रही है, इस बहस को कराने का जिम्मेदार कौन है, सरकार है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया, उस पर सफाई भी हो गई, एक मंत्री ने कह भी दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, न ही हम कहते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यहां जो 193 में बहस हो रही है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी। मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार पर अलग से बहस होगी तो उस समय भ्रष्टाचार के संबंध में भी हम अपनी बात कहेंगे। यह जो आज महंगाई की स्थिति है, चाहे गरीबी की है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा आदि सब भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। देश के सामने इतने खतरे आए हैं और बड़ी समस्याएं हैं, उसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर तो अलग से बहस होगी। तब हमारे सभी साथी, सदन के माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं - वाणी की स्वतंत्रता। फिर परेशानी क्या हो गई? अगर अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं किसी तरह से सरकार, किसी दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला है तो वाणी की स्वतंत्रता है, लेकिन वाणी की स्वतंत्रता में भी मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक अन्ना हज़ारे ने ऐसा कौन सा वक्तव्य दिया है, जो वाणी की स्वतंत्रता की परिधि में नहीं आता है, उससे बाहर है। फिर उसके बाद जेल क्यों भेजा? क्या मयूर विहार में दफा 144 लगी थी, यह बताना चाहिए? अपने निवास से जहां भी रहे, वहां से निकले, क्या वहां दफा 144 लगी थी? जब दफा 144 लगी थी, अन्ना हज़ारे जब निकले थे तो उनके साथ कितने लोग थे? दफा 144 तब तोड़ी जाती है, जब कम से कम पांच व्यक्ति हों। वहां पांच, पच्चास, पांच सौ या हजार व्यक्ति थे, यह सरकार को बताना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अन्ना हज़ारे की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। वे इस बात को समझ गए होंगे, वहां कई विद्वान वकील बैठे हैं। उन्होंने बता दिया होगा कि यह असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाएंगे तो सरकार की और छिछालेदारी होगी, आप उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। मयूर विहार में हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां दफा 144 लगी थी? वे अपने निवास से निकले हैं, जहां वे रहते थे, क्या वहां दफा 144 लगी थी? वहां जब दफा 144 नहीं लगी थी तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? उसी के कारण आपको छोड़ना पड़ा। वकील ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जायेगा। वकील ये भी बैठे हैं तो शायद ऐसे वकीलों ने सलाह दे दी हो, वरना यह असंवैधानिक है, गलत है, अलोकतांत्रिक है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान के प्रतीक हैं, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान का उल्लंघन किसने किया? हमें संविधान में मौलिक अधिकार जो मिले हैं, उसके अनुसार उन्हें सरकार के खिलाफ, संस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार है तो उससे सरकार को आपित्त क्या हो गई, इतना गुस्सा क्यों हो गये। इसमें धरना, प्रदर्शन, नारे, जुलूस सब हैं, सब कर सकते हैं। ...(व्यवधान) वह भी है, अनशन का अधिकार था, अपना अनशन कर रहे हैं। जिनके साथ जनता नहीं होती है, वे बेचारे अनशन करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। अब आपको धीरे-धीरे परेशानी हो गई, अब उनके साथ काफी जनता हो गई। हम यह नहीं कहते कि आपने दी है, लेकिन जनता काफी हो गई और हमदर्दी काफी हुई है। अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

मुझे आश्चर्य है कि 1975 से आप सबक सीखे ही नहीं। आपने सबक भी नहीं लिया। कम से कम 1975 का सबक तो ले लेते कि जयप्रकाश नारायण पर आपने आरोप लगा दिया। जयप्रकाश जैसे नेता पर आरोप लगा दिया कि आपके गांधी ट्रस्ट में पैसा विदेश से आता है, कहां से आता है। अगर ये शब्द नहीं बोले होते तो जयप्रकाश जी कभी नहीं निकलते। जयप्रकाश जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे निकले और गुजरात से निकल कर बिहार चले आये और बिहार से यू.पी. आ गये। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। आप क्या करना चाहते हो? अगर आपको सद्बुद्धि आई हो तो कम से कम 1975 याद कर लो। तब भी इसी तरह से जनता को खड़ा किया गया था और जनता फिर खड़ी हो रही है। हम यह नहीं कहते कि पूरी तरह जयप्रकाश जी के आन्दोलन की तरह हो गई है। आज कोई जयप्रकाश और लोहिया नहीं है। हमारे साथी ने ठीक कहा था कि आज लोहिया नहीं है, जयप्रकाश नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसे लोग जिस दिन निकल आएंगे, उस दिन आपको फिर बहुत थोड़ी संख्या में इधर आना पड़ जायेगा। यह 1975 की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे वकीलों में हैं। आपने हमारी भी वकालत की, हमने भी मदद की, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं...(व्यवधान) दो बातें आप करें। वहां दफा 144 लगी थी और वाणी की स्वतंत्रता पर आपने प्रतिबन्ध लगाया तो क्यों लगाया, इसका जवाब आना चाहिए?

हमें ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है। आज आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से मैंने आपको बता ही दिया कि भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ी है, यह पूरे सदन को स्वीकार करना पड़ेगा। इस महंगाई की तह में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज अगर सामान की कमी होती, चीनी की कमी होती, खाद्य सामग्री की कमी होती तो बात समझ में आती, लेकिन आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर

महंगाई क्यों है? महंगाई तब होती है, जब बाजार में चीनी नहीं है, गेहूं खाने के लिए नहीं है, सब्जी नहीं है तो महंगाई होती है, लेकिन आज सब चीज़ ज्यादा है और उसकी लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिला और लूट-खसोट हो रही है। किसान को तो आपने बर्बाद कर दिया। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान कितना खर्च करता है तो एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है, एक क्विंटल धान पैदा होता है, आपके पास है हिसाब? अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। 900 से 950 रुपये खर्च होते हैं, तब एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह दो साल पुरानी आपके कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है और धान एक क्विंटल पैदा होता है तो एक हजार रुपया खर्च होता है। हमारी सब की मांग है, सब चाहते हैं कि कम से कम लागत खर्चे का ड्यौढ़ा किसान को मिले। क्या आपने 1500 रुपये क्विंटल धान किसान का लिया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है, क्या यह अन्याय नहीं है, क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? गेहूं कम से कम 1400 रुपये प्रति क्विंटल किसान का लेना चाहिए तो ये सारे के सारे नुक्ते जुड़े हुए हैं, वह आपके इसी से जुड़े हुए हैं, जिस पर बहस हो रही है और आप बहस करा रहे हैं। यह बहस तो मजबूरी में है, आपको करानी पड़ेगी। चेयर ने अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद देते हैं कि चेयर ने कहा कि नियम 193 में अभी चर्चा हो जाये, उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी हो जाये। लेकिन इसकी जड़ में, बुनियाद में सबसे पहले भ्रष्टाचार है। अब समस्या आपके सामने है। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो वहां गिरफ्तारी करने का कोई औचित्य नहीं था। वहां कोई नारे नहीं लग रहे थे, वहां कोई सभा नहीं थी, कोई जुलूस नहीं था। इस तरह तो हम लोग भी लोकसभा के बाहर निकलेंगे, हम लोग कोई भाषण आपके खिलाफ दे देंगे और सरकार को वह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार के हजार हाथ होते हैं, हम जानते हैं कि सरकार कितनी शक्तिशाली होती है। कुछ भी हम पर आरोप लगाकर जैसे ही लोकसभा के गेट के बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फौरन गिरफ्तार कर लेंगे, यही करना चाहते हैं।

महोदय, हम आपसे अपील करेंगे, यह जो बहस हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह सही है कि जो वक्तव्य अण्णा हजारे की गिरफ्तारी के बारे में देना चाहिए था कि वहां कौन सा खतरा पैदा हो गया था, कहां हिंसा हो गयी थी, कहां आगजनी हो गयी थी, कहां मारपीट हो रही थी, कहां लूटपाट हो रही थी, अगर इनमें से कोई एक असंवैधानिक कार्य किया होता, तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि जनता को मिली है तो वह है उसकी वैचारिक स्वतंत्रता। जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है आप इंडीविजुअल लिबर्टी कहते होंगे, हम वैयक्तिक स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी है और हमारी भारतीय भाषा है। इसमें अंतर है। वैयक्तिक स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन इस सरकार ने

किया है। यही सबसे बड़ा अपराध किया है। यह अपराध है। आप वहां संविधान को पढ़ाते हैं। हम लोग भी थोड़ा-बहुत संविधान पढ़े हैं। यह जानकारी होनी चाहिए कि पालिटिकल साइंस में संविधान का एक अलग पाठ होता है कि पालिटिकल साइंस में संविधान पढ़े होंगे। संविधान के बारे में कहना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार में, वैयक्तिक स्वतंत्रता में आने-जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में कहीं घूमने की, जाने की, ठहरने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें है। उसे प्रतिबंध करके किसी ने पहली बार इसे लगाया है, तो अण्णा हजारे की गिरफ्तारी करके आपने लगाया है। इसे लगाया और भी कई बार है, लेकिन यह सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वर्ष 1975 को याद करके ठीक से इसे किरए। ... (व्यवधान) वह ताकत आपमें नहीं है। इंदिरा जी में जो ताकत थी, वह ताकत आपमें नहीं है। यह ध्यान रखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपमें वह शक्ति नहीं है। ... (व्यवधान) आप उनको शुभकामनाएं दीजिए कि वह स्वस्थ हों और जल्दी स्वस्थ होकर लोकसभा में आएं। ऐसे मौके पर हम सोनिया जी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वह स्वस्थ होकर आएं। ... (व्यवधान) उनके बिना यहां अच्छा भी नहीं लग रहा है।

महोदय, इसके बारे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस के बारे में ही सब कहेंगे, पूरे वक्तव्य में पुलिस, पुलिस और पुलिस है। अगर पुलिस है, तो पुलिस किसके हाथ में है? हम भी सरकार में रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। क्या किसी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के बिना ये गरिफ्तारी कर सकते हैं, होम मिनिस्टर के बिना गिरफ्तारी हो सकती है? आप किसी तरह से बच नहीं रहे हैं। आप सदन के अंदर स्वीकार किरए कि भूल हुयी है। सच्चाई है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी देश की जनता के सामने कहकर कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, अब हुआ है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यह कहना पड़ेगा सरकार को, तब आप बचेंगे। यह मामूली बात नहीं है, गंभीर बात है। हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, यह सही है कि हमारे आपके वैचारिक मतभेद हैं, आपसी मतभेद हैं। यदि जनता को कुछ मिला है तो मौलिक अधिकार मिले हैं, संविधान ने उसे दिए हैं, संविधान निर्माताओं ने सोच-समझकर दिए हैं। सेंट्रल हाल में जो बहस हुयी, बहुत समय लेकर बड़े-बड़े विद्वानों ने छानबीन करके, जो संविधान बनाया, उस संविधान के दायरे से आप बाहर जा रहे हैं। संविधान का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो यह सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। यह मेरा आरोप है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि इसे सुधार दो।



श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आज आप ने प्रधानमंत्री जी के बयान पर सभी पार्टियों को बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें मुजरिम को गिरफ्तार करना है तो इस के तह में जाने की जरूरत थी। आज देश की ससंद में इस बात के वक्तव्य पर अगर चर्चा हो रही है तो मैं समझता कि अगर पहले ही सरकार के लोग इस संसद को विश्वास में ले लिए होते तो शायद यह नौबत आज नहीं आती। जनलोकपाल की बात सरकार ने कही थी कि इसे लाएंगे। सिविल सोसायटी जब बात मानते हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी कानून को बनाने का अधिकार देश की संसद को है तो फिर हमें किसी व्यक्ति विशेष को बुला कर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। उसमें सभी दल के लोगों ने एक मत से अधिकार दिया, खासकर हमारी पार्टी ने भी कहा, अगर कानून बनेगा तो देश की संसद में इसके लिए चर्चा संसद में होनी चाहिए न कि संसद के बाहर। यह सही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि आग लगा कर पानी को दौड़ने जैसी जो मुहावरा है वह हो जा रहा है। आज स्थिति जब बेकाबू हो गई है तब देश की संसद और लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, संसद से ऊपर कोई नहीं है। कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं बताता हूं कि जो सिविल सोसायटी की बात है, देश के संसद में आज दोनों पक्ष के सारे लोग यह बात कह रहे हैं कि कानून बनेगा देश की संसद में। जो हमने गलती की है, मैं समझता हूं भविष्य में अगर इसको दुहराएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के संसद का अपमान होगा। इसलिए संसद पर विश्वास और भरोसा है और संसद के सम्मान को बनाए रखना है तो मैं समझता हूं कि देश की संसद में जो भी बिल आते हैं तो अगर चार आदमी खड़े हो कर कह देंगे कि यह कानून हो जाएगा, हम मान जाएंगे यह संसद का अपमान है। इसलिए सरकार के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि चार लोगों के कहने से हम उस कानून को मानेंगे, इस देश की जनता उस को माफ नहीं करेगी जिसे देश की जनता ने संसद में भेज कर कानून बनाने का अधिकार दिया है।

यह जरूर गलत हुआ है कि गिरफ्तारी किस की हुई है और कैसे हुई है? अगर हम धारा 144 का उल्लंघन करते, आपने घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। मैं समझता हूं कि अगर शांति भंग होती तो आप

गिरफ्तार करते तो अच्छा होता। आज भी वह जेल में हैं। आज भी वह कह रहे हैं कि मुझे वहीं जाना है। यह भी धारा 144 का उल्लंघन है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इस पर बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि संसद के सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अगर कोई कानून पर चर्चा करनी है तो देश के संसद में चर्चा करनी चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, अभी वक्ताओं ने, सुषमा जी ने, दारा सिंह जी, संजय निरूपम जी ने जो बातें कही हैं उनको मैं नहीं दोराऊंगा। इस बहस में प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को उपस्थित होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि वे उपस्थित नहीं हैं इसके बावजूद भी इस मौके पर बगैर बोले रहना एक तरह से देश की बेचैनी में खामोश रहना है। हमको याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की आजादी के वक्त यदि आपके जैसा रुख होता, भूख हड़ताल या आमरण अनशन को महात्मा जी ने कितनी बार इस्तेमाल किया, तो क्या होता। जिस समय सामाजिक न्याय का द्वन्द महात्मा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ तो सरकार ने जेल के अंदर वार्ता करके के किया था। उन्होंने कितनी बार भूख हड़ताल की। यदि उस समय आपकी सरकार होती तो मैं नहीं सोचता कि इस देश में महात्मा गांधी होते। बर्तानिया हुकुमत हम जैसे लोगों पर किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने महात्मा जी, जो इतनी बड़ी रोशनी देने वाले व्यक्ति थे, उन्हें कभी नहीं रोका। मैंने इस वक्तव्य को पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ। प्रधान मंत्री की संस्था, प्रधान मंत्री का पद गरिमा का पद है। यह पद ऐसा है कि यदि इस पद का इकबाल चला जाए तो देश की स्थिति भयावह हो सकती है। उन्होंने जो बयान पढ़ा, मुझे लज्जा आती है कि किसी ने यह बयान लिखकर उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने एक किमश्नर की सारी रिपोर्ट तारीख दर तारीख दर तारीख दर तारीख वी।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: वह बयान पुलिस का लिखा हुआ था।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: आपने ठीक कहा और यदि पुलिस का लिखा हुआ नहीं तो मैं सोचता हूं कि आजकल श्री कपिल सिब्बल जी हैं।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं आजकल केवल दो मंत्रालय संभाल रहा हूं, तीन नहीं संभाल रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : कपिल सिब्बल जी, यदि आप दो मंत्रालय संभाल रहे होते तो मैं ईमानदारी से नहीं बोलता। आप कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप प्रवक्ताओं को परे करके प्रवक्ता बने हुए हैं। आप अन्ना हजारे के साथ नेगोशिएट करते हैं।...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): He is the Minister of Anna Portfolio!... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: आप अन्ना से बातचीत करते हैं और बाबा रामदेव से गले लिपटकर बात करते हैं। फिर आप यह कह रहे हैं कि मैं दो मंत्रालय संभाल रहा हूं। मैं मानता हूं कि श्री कलमाड़ी बुरे काम में चले गए, लेकिन आप इस सरकार के एक तरफ से सुरक्षा गार्ड नहीं हैं बल्कि साइड बदल-बदलकर इसकी सुरक्षा में खड़े हैं और भी-कभी श्री चिदम्बरम आते हैं। जब चिदम्बरम साहब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन बोल रही है। कालेज में मेरे साथ पब्लिक स्कूल के बहुत लड़के पढ़ते थे, इसलिए मैं उनकी आदतों से वाकिफ हूं। वे मेरे कालेज में हर चुनाव लड़ते थे और हारते थे। अब जयलिता जी ने उनके बारे में कहा, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वह अदालत में है, आप हैं। इस मामले में पंजाब की तरफ से एक के बाद एक आदमी आ गया।...(व्यवधान)

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUPM): I am from public school. I won elections five times as MLA and two times as MP. ... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: मैंने ऐसा कब कहा। यह सरकार तो अंग्रेजी जानने वाले लोग चला रहे हैं। जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, वही इस सरकार में मिनिस्टर है और ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो उसी के पास है। ...(व्यवधान) मगर आपकी बदिकरमती है कि आपने बताया नहीं कि आप पिल्लिक स्कूल में पढ़े हैं। ...(व्यवधान) आपने बताया होता कि आप पिल्लिक स्कूल से पढ़े हैं ...(व्यवधान) तो वे आपकी मुंछ कटवा कर यहां रखते। ...(व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार के आगे-पिछे, अब एक नये मित्र मनीष तिवारी जी हैं। मैं उन्हें भविष्य का प्रतिभाशाली आदमी मानता हूं। उन्होंने जो गजब किया, ऐसा लग रहा था कि कोई दादा, ...(व्यवधान) उनकी बॉडी लेंग्वेज, उनके अंदाज की क्या बात है? उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा? मैं जानता हूं कि सीपी एंड बेरार के इलाके में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र का आधा हिस्सा और जबलपुर को मिलाकर महाकौशल सीपी एंड बेरार का सूबा था और उस समय वहां के मुख्यमंत्री श्री रवि शंकर शुक्ला थे और श्री डी.पी. मिश्रा होम मिनिस्टर थे। हमारे बाजू में श्री अन्ना हजारे रहते हैं। महाराष्ट्र के सब लोग यहां बैठे हैं, वे एक बात जान लें —

झीनी-झीनी बीनी चदारिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस रख दीनी चदारिया।

कबीर का दोहा है कि मानस तन बड़े जतन से बनाया है। श्री अन्ना हजारे से आपसे और हमसे सब तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने बेइमानी का दाग लगाया, वह गलत है, असत्य है, मैं यह गवाही इस लोक सभा में देता हूं। वह आंदोलन के आदमी हैं, चुनाव के आदमी नहीं हैं। आप उन्हें बार-बार

चुनौती देते हैं कि लड़ो। अरे भाई, गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, विनोबा भावे जी कभी चुनाव नहीं लड़े, जय प्रकाश नारायण जी कभी चुनाव नहीं लड़े। सिर्फ चुनाव लड़ना ...(व्यवधान)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): But they had faith in democracy. ... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं। ...(व्यवधान) थोड़ी नहीं सौ फीसदी मानता हूं। आप नाराज मत होइये। सीधी बात है कि आप सब लोगों ने जिस तरह से डॉ. मनमोहन सरकार को, यूपीए सरकार को चलाया है, इतिहास एक-एक आदमी को याद रखेगा। ... (व्यवधान) आपने क्या-क्या नहीं किया? महंगाई का ऐसा हाल कभी भी देश में नहीं रहा। चटनी-रोटी, दाल-रोटी पर भी आपने आग लगा दी। आपने हिन्दुस्तान के किसान की 27 लाख हैक्टेयर जमीन नौ वर्षों में छीन ली। यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हुई, तो एक लोकपाल बिल का सवाल आ गया। हम उनके लोकपाल बिल से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन आपका लोकपाल बिल तो बिल्कुल बांझ है। निश्चित तौर पर श्री संजय निरूपम का कहना है कि यह बिल सदन बनायेगा। यह सदन बनाएगा, लेकिन जब आप सुनोगे तब। बहमत आपका है, यदि आपने नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे। यही नहीं, जब कोई भी बिल आता है, ट्रायबल्स के बारे में बिल आएगा, जब कोई भी बिल आता है और बाहर जनता को लगता है कि यह बिल खराब है, तो लोग प्रदर्शन करते हैं। आप कहते हैं कि लोक सभा की प्रॉपर्टी आ गयी, कपिल सिब्बल जी, आप वकालत के बड़े ऊंचे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अभी दो बार जीतकर आए हो, राज्य सभा में थे, आप एक बात जरूर याद रखना कि इस लोक सभा में कोई भी किना आता है, तो उस पर पूरे देश में लोग प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। जब आप ट्रायबल्स की बिल ला रहे थे या विस्थापन का बिल ला रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कौन सा बिल था, तब मेधा पाटेकर जन्तर-मन्तर पर आमरण अनशन पर बैठी थीं। आपने वोट क्लब बंद कर दिया, आपने अन्ना हजारे को कहा कि जन्तर-मन्तर नहीं देंगे। जन्तर-मन्तर जरा सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। क्यों आपने वोट क्लब को बंद किया है। आपको मालूम नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी थे, हिन्दुस्तान की कोई सबसे बड़ी रैली हुई थी, तो चौधरी चरण सिंह के जमाने में हुई थी, जिसमें यहां 20 लाख आदमी आए हुए थे और उन्होंने किसी एक अमरूद को भी छूने का काम नहीं किया। यहां हजारों रैलियां हुई हैं जिनमें से कई हमने की हैं। आपके पार्टी में बहुत से ऐसे उदार लोग थे कि जब एक बार मेरे ऊपर लाठी चार्ज हो गयी, तो उस समय श्यामाचरण शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे। मेरे दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, उन्होंने सीधे फोन लगाकर किमश्नर और कलेक्टर को कहा कि वहां जो एसपी है, उसे मैं बर्खास्त करता हूं। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इन्हें आज ही छोड़ो और मुझे अपनी सरकारी गाड़ी से बुलवाकर बात की। वे लोग भी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। आज आपने उनको टाल

दिया। आपका यह कहना कि पुलिस अपना काम करेगी, यह आप किससे कह रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यदि सब कुछ पुलिस के ही जिम्मे है, तो आपको यहां क्यों बैठाया है? आपको हमने क्यों बैठाया है? हमने आपको इसलिए बैठाया है कि हिन्दुस्तान के संविधान को कोई भी अगर इधर से उधर करे, तो आप जहां तक हो सकता है, उसे दुरुस्त करने का रास्ता बनाएं। चिदम्बरम साहब कहते हैं कि इसे देखना कमिश्नर का काम है, यह मेरा काम नहीं है। वाह भाई, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई होम-मिनस्टर नहीं हुआ जिसने यह कहा हो। यह होम-मिनिस्टर का काम है। राजनैतिक मामले में उसको तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनैतिक मामलों में कानून नहीं चलता है, आपकी कानूनी धाराएं नहीं चलती हैं। कपिल सिब्बल जी, कानून की धाराएं पढते हैं, अदालत में धाराएं पढिए। कई मामले पोलिटिकल मामले होते हैं। राजनैतिक मामले राजनैतिक तरीकों से निपटाए जाते हैं। आप पांच मिनिस्टर्स रामदेव के पास क्यों गए थे? आपने एक पोलिटिकल मूव किया था, मैं नहीं कहता कि वह अच्छा था या बुरा था। एयरपोर्ट पर गए थे। यह पोलिटिकल मामला था और उस अन्ना हजारे का था जिसके साथ आप पांच लोगों ने कई दिनों तक वार्ता की थी। वार्ता करने के बाद आप उनको जगह दिखाते रहे, आठ दिन तक आपने बहस चलाई। आज जो पूरा देश खड़ा है, उसका कारण क्या है? आपने खड़ा किया है, आपने उनको धक्का दे-देकर खड़ा किया। कोई सो रहा था, उसकी चादर खींची आपने। ...(व्यवधान) महिलाओं का पैर तो नहीं खींचा, लेकिन जो युवा मोर्चा वाले बच्चे आए थे, उनमें जरूर लड़िकयों के साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ। लाठी चार्ज हुआ। आपने पूरे देश को ऐसी हालत में खड़ा कर दिया कि बेचैन है। लेकिन इस जेल के सामने, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमने पहली बार देखा कि जेल के फाटक पर लोग बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा करते पाए गए। आज दुनिया बदल गई है, आज मीडिया काफी मजबूत है और 1000 के करीब चैनल्स हैं, लगता है कि आप उन्हें भूल गए। आप भूल गए कि आज एसएमएस का जमाना है, आप भूल गए कि आज ई-मेल का जमाना है, आप भूल गए कि आज फेस बुक का जमाना है। सब पता चल जाता है कि दुनिया में किसी कोने में क्या हो रहा है। जिस ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया भी, इन्हीं चीजों के चलते, फेस बुक के होते हुए वहां क्या हुआ, सबको मालूम है। वहां की हुकूमत को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और वहां के प्रधान मंत्री अवाक रह गए तथा खड़े होकर कहा कि लगता है हमारा नैतिक पतन हो रहा है। दुनिया इतनी बदल गई है कि आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कोई भी भाषा बोलें, आप कान में लगाकर सुन सकते हैं और अपनी भाषा में भी सुन सकते हैं। आज सब लोगों की जेब में मोबाइल फोन, आई फोन रहता है, हम लोग तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे दुनिया कितनी छोटी हो गई है, यह पता चलता है। एक बात कैसे कहां तक और कितने लोगों तक पहुंच जाती है, यह आज के इन तरीकों

से पता चलता है। कैसे दिल्ली में इतने लोग इकट्ठा हो गए, कैसे सब कुछ बदल गया, यह इससे पता चलता है।

जब मैं नौजवान था, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर जुलूस निकाल पाते थे, लेकिन अब तो यह बहुत आसान है। कपिल सिब्बल जी, आप इतने पढ़े-लिखे हैं, इस दुनिया में लैपटॉप से लेकर सब चीजें हैं। आपके पास तो लैपटॉप मिनिस्टरी है। फिर आपने यह क्या किया कि आपको जगह चुनने में आठ दिन लग गए। यदि किसी को अपनी सरकार का सर्वनाश करना है तो पुलिस के हाथ में दे दो। वे गैर राजनैतिक हैं और कई मसलों को जो राजनैतिक होते हैं, राजनैतिकता से ही सुलझाया जा सकता है।

आपने कहा कि जंतर मंतर पर अनशन नहीं होने दिया जाएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, यह आपका तर्क ठीक है। आपने कहा कि दूसरी जगह देंगे और आपने जे.पी. पार्क दे दिया, तो फिर तीन दिन की रिस्ट्रक्शन क्यों लगाई। यहीं दिल्ली में मेधा पाटकर कितने दिन तक धरने पर बैठी रही थीं। इसी तरह यदि वह बैठ जाते और जंतर मंतर नहीं तो दूसरी जगह, तो क्या फर्क पड़ जाता, कितनी दूर है वह जगह। यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती, तो क्या यह आपके ऊपर नहीं आता? उस एक आदमी के पीछे सारा देश हो गया, उसकी नैतिकता का असर पूरे देश पर पड़ा है।

इंदिरा जी से बड़े आप नहीं हैं। मुझे मोरारजी भाई, जय प्रकाश नारायण जी, बाबू जगजीवन राम जी, अटल बिहारी जी और आडवाणी जी आजादी से पहले और आजादी के बाद इन बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मेरा इनसे सम्पर्क रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब गुजरात में चुनाव को लेकर मोरारजी भाई धरने पर बैठे थे। वह टोपी लगाते थे। जैसे इस समय हमारे केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी घुटे सिर वाले नजर आते हैं, उससे भी ज्यादा वह थे। उन्होंने टोपी उतारकर और पालती मारकर तीन दिन तक धरना दिया था। तीन दिन के बाद इंदिरा जी ने कहा कि उठिए हम गुजरात में चुनाव कराएंगे। आप इंदिरा जी से तो बड़े नहीं हैं। मोरारजी भाई जैसी पर्सनैलिटी को उस समय भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, लोकतंत्र खतरे में था। वैसे ही अब दिल्ली में होने लगा तो आपने कहा कि हम बिल लाएंगे इसलिए बहस नहीं हो सकती, कोई धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकता, भूख हड़ताल नहीं हो सकती? मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस संविधान में निहित है? क्या हमारे देश में वाणी स्वतंत्रता नहीं है? क्या इससे पहले देश में भूख हड़ताल नहीं हुई? पंजाब में फेरुमल की हुई है। ज्यादा दूर क्यों जाएं, ममता जी ने सिंगूर को लेकर 30 दिन तक धरना दिया था, अनशन किया था और उसका परिणाम यह निकला कि कम्युनिस्ट, जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये बेचारे वहां हार गए। उन्हें 30 दिनों तक इन्होंने नहीं उठाया और आप तीन दिन की पाबंदी लगा रहे थे कि लिखकर दो कि तीन दिन से ज्यादा नहीं बैठोगे, यह पक्का करे। यह कौन सुप्रीम

कोर्ट है, जिसने नियम बनाया, उसने अगर गलत नियम बनाया है तो उसे तोड़ो, यह लोक सभा आपके साथ है, उस नियम को खत्म करो। आप अंडरटेकिंग मांगते हो कि घास न टूट जाए। आप कहते हो कि 500 आदिमयों से ज्यादा वहां नहीं आने चाहिए। मैं कहता हूं कि वहां 20 हजार लोगों की रैली हुई है, 10 लाख लोगों की रैली हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रोज रैली करते हैं, 5000 से ज्यादा आदमी लाते हैं तो इसमें आपने 5000 लोगों की शर्त क्यों लगाई? 5000 की शर्त लगानी थी तो आपने लाल किले के पीछे स्थान क्यों नहीं दे दिया उन्हें, वहां लाखों लोग आ सकते थे। रामलीला मैदान आप दे सकते थे, क्या दुनिया उठ जाती आपकी? ये काम अगर आप जंतर-मंतर पर करा देते तो आप बच जाते, जिस दिन भूख हड़ताल होती और कोई गड़बड़ होती, आप इंटरवीन कर सकते थे। हम खुद अन्ना हजारे के पास जाते कि आपका जीवन मूल्यवान है। उनके जनलोकपाल से पूरी तरह से हम सहमत नहीं हैं लेकिन उनके अनवरत संघर्ष से हम सहमत हैं। वे सरल और ईमानदार आदमी हैं। आपके स्पोक्समैन ने कहा कि वे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और बेईमान हैं। अगर मेरे को मनीष तिवारी पहले मिल जाते तो मैं जरूर उनको रोक देता क्योंकि में उन्हें जानता हूं। हम लोग संघर्ष से निकले लोग हैं, 32 केस तो मेरे ऊपर चले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लोक सभा में 152 आ गये 153 आ गये। अरे 32 तो हमारे ऊपर चले, हम कोई अपराधी आदमी लग रहे हैं। हमें बंद करते थे। आपके एक मुख्यमंत्री प्रकाशचंद सेठी आये थे, वे कहते थे कि शरद यादव बाहर रखने लायक आदमी नहीं है, इसे परमानेंट अंदर रखो। इमरजेंसी में 2 साल अंदर आडवाणी जी रहे, हम दो साल पहले से बंद थे। लेकिन उदारता का भी यह मामला था कि जस्टिस जीपी सिंह थे, जब प्रकाशचंद सेठी जब हमें बंद करते थे तो वे हमें छोड़ देते थे। आज से 30-40 साल पहले इतना न्याय था। हम आगे बढ़ेंगे तो न्याय और आगे बढ़ेगा, न्याय की दृष्टि को हम आगे बढ़कर और स्पष्ट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप ही नहीं, इस सरकार में राजनैतिक लोगों की कमी मुझे लगती है। पता नहीं कौन माननीय मनमोहन सिंह जी को सलाह दे रहा है? कौन हैं उनके सलाहकार? ...(व्यवधान) अरे कपिल सिब्बल ही नहीं हैं कुछ और भी हैं। ...(व्यवधान) कपिल सिब्बल तो दो-दो मंत्रालय संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें बुलाया जाता है या ये खुद जाते हैं। बताइये, अम्बिका सोनी बोल रही हैं और मैं तो दुःखी तब हो गया जब दादा बोले। अरे उम्र भर में उन्होंने कितने आंदोलन देखे हैं, कितनी सारी चीजें देखी हैं।

मित्रों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि उन्हें छोड़ दो, वे जेपी पार्क जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, वहां बैठने दो। वे कह रहे हैं कि उनका जनलोकपाल वाजिब है, तो आपको और उनका लोकपाल आयेगा सदन में, हम भी चाहते हैं कि लोकपाल बिल असरदार बने। उनके बहुत से सवालों से हम सहमत हैं लेकिन कुछ सवालों पर असहमत हैं। लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में जो अनवरत् संघर्ष है, उसका निरादर कर दें, यह नहीं होना चाहिए। जो हो गया, वो गया। आपको पता है कि 150-200

डिब्बा आ गया है जो दिन-भर चिल्लाता है, ये जो टीवी है यह दिनभर गड़दम-गड़दम करता रहता है। भजन तो होता है, एक-दो दिन के लिए, ये आठ दिन की बात कर रहे हैं अब, रिले करवा दिया। अन्ना गये, अन्ना निकले। किपल सिब्बल ने यह किया, किपल सिब्बल ने वह किया। अब बाबा आ गए हैं। तिहाड़ जेल के अंदर कैदी तालियां बजा रहे हैं तथा जो जनता बाहर खड़ी है, वह भी तालियां बजा रही है। आपने कहां पहुंचा दिया। टीवी देखना मुश्किल हो गया है, बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिल रही। देश के लोगों को दूसरी खबरें भी मिलनी चाहिए। आप उन्हें जेपी पार्क में जाने दो। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनका जन लोकपाल पूरी तरह से मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहना, यह सबका अधिकार है। आजादी किसे कहने कैं वाणी स्वातंत्र्य से ही आजादी पहचानी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री शरद यादव: महोदय, ये ब्रतानिया की संसद को अपना आदर्श मानते हैं। हम तो अपनी पंचायत को आदर्श मानते हैं, जो बिहार में वैशाली है। हमारा आदर्श वैशाली और किपल सिब्बल जी आपका आदर्श ब्रतानिया की संसद है। वहां अभी माहौल बदला हुआ है। वहां केवल एक आदमी नहीं मरा है, ऐसा डील वहां की है। वहां हाइड पार्क है, मैंने अनंत कुमार जी से पूछा। सिब्बल जी हम तो दुनिया में कहीं नहीं गए हैं। अपने देश में ही बहुत झंझट है कि बाहर देश में कहां जाएं। आप लोग तो खूब बाहर जाते हैं। नागरिक उड़ड़न मंत्रालय मेरे पास था, लेकिन हम बाहर नहीं गए, क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार से लाचार, बेबसी, गुरबत में फंसा है, कदम-कदम पर जुर्म है, कदम-कदम पर अन्याय है, हम इस देश को कैसे छोड़ कर जाएं। आपका हाइड पार्क जो आदर्श है, आप हाइड पार्क बोट कल्ब पर बना दीजिए। बोट क्लब पर रात को श्रष्टाचार से डूबे आधे से ज्यादा लोग आते हैं। वे दिन में दिल्ली को लूटते हैं और शाम को यहां चहलकदमी करते हैं और आपने हमें वहां से हटा दिया। किसान को वहां से हटा दिया, मजदूर को वहां से हटा दिया और देश की जनता को वहां से हटा दिया। बोट क्लब अब इसिलए है कि वहां चाकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ। आप उन्हें दिन में करने दीजिए, आइसक्रीम वालों को भी सुविधा हो जाएगी और हमें भी सुविधा हो जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि अन्ना हजारे के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से, न्याय दृष्टि से और मानवीय हो कर उनके साथ डील करने का काम कीजिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समय बड़ी जगह बैठे हैं। यह आगे के लिए सबक हो जाना चाहिए कि जितना आदर हम सदन का करते हैं, उतना ही आदर जितने लोकतांत्रिक आंदोलन हैं, उनका करें। प्यार और महोब्बत से उनके साथ भी वही सहानुभूति होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. On behalf of the DMK party, I wish to state that the Parliament is a supreme law making body. Everybody has accepted it. Any legislation in this country should be passed only in this House. Only this House has the capacity to create laws.

Sir, the civil society's issues are very less. They wanted a Lok Pal. The Government had also agreed for a Lok Pal. There are only five contentious issues which the Government has not accepted.

15.00 hrs.

One among those issues is to include the Office of the Prime Minister within the purview of the Lokpal Bill.

There are other four issues which we have not discussed. In fact, when the DMK Party was in power, we had introduced the Lok Ayukta Bill in which we included the Chief Minister within the purview of the Bill. Likewise we had also requested the Government to include the Prime Minister also within the scope of the Lokpal Bill.

15.01 hrs.

(Shri P.C. Chacko in the Chair)

Mr. Chairman, Sir, there are different views. Some Parties do accept that the Prime Minister should come within the scope of the Lokpal Bill and some Parties do not accept that.

Sir, there are other contentious issues. I would like to explain one issue that for a similar crime, two people will be given two different punishments. For example, if a peon gets a bribe of Rs.50, he will be punished for three months whereas if an IAS Officer gets a bribe of Rs.50 then he will be punished for one year. Likewise, the Civil Society wants different punishments to different people for a similar crime. Can we accept that? Is it not against the provisions of the

Constitution? Is it not against the provisions of the criminal laws of this land? So, it is for this Parliament to go into the provisions of the Lokpal Bill and decide on it.

Sir, we have accountability. We have to go to the people and every five years we have to face the people. We have to get elected. We have to tell the people what we have done in this House. But the Civil Group does not have any accountability. They are not going to the people but we are going to the people and we are responsible to the people of this land. The people have to elect us once again. So, we should not lose our responsibility. We should not forego our responsibility to a Group which is outside this House.

Sir, there is ample scope even for the Opposition Parties to speak when the Bill comes for discussion in this House. The Bill has now been referred to the Standing Committee. The Civil Society and others can go to the Standing Committee and express their views on this Bill. So, they are not shunted out and they are also not kept away from this.

So, I would only make a request that Parliament should not lose its right; Parliament should not give away its right of making legislation. This is a sort of a pressure on Parliament. I can say that this is a sort of blackmailing and threatening Parliament, which means that the Members of Parliament have failed in their duty. This is not proper but at the same time I would only make a request that any peaceful agitation should be allowed.

What had happened in Tamil Nadu when we were agitating against the Government? We were not given permission. So, the State Government should be instructed to permit any peaceful agitation.

In that way, this Government also should impress upon the Delhi Government to allow any peaceful agitation but at the same time we have to uphold the Constitution by not allowing the outside Groups to put pressure on Parliament.

With these words, I conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, yesterday's incident reminds us of emergency days. It was nothing but a murder of democracy in our country.

In a democratic country people have the right to protest, agitate and launch movement. The Prime Minister, in his Statement, has stated that the Bill has been introduced, it has been referred to the Standing Committee and so, the people have no right to protest and agitate. What happened yesterday? There was no provocation. The situation did not warrant the arrest of Shri Anna Hazare.

Anna Hazare, long before, wanted to start his fast. He requested the Government to allow him to hold his agitation in Jantar Mantar. But that was not allowed. We do not know what might be the reason and why he was not allowed. But when he was given the permission, he was allowed to hold his agitation, his fast in J.P. Park. Why so many conditions were imposed? Why he was asked to limit his programme for three days? What was the problem? Why the Government is intolerant? Whenever there is agitation against corruption, the Government is intolerant.

They had no hesitation to hold meeting with Team Anna. When he was on fast continuously for four days, we have never seen this earlier that a Joint Committee was constituted. Five representatives from Anna Hazare's Team and five representatives, five Ministers of the Government, discussed continuously. They had several meetings and when the dialogue failed, when they could not arrive at a conclusion or arrive at an agreement, the meeting of the political parties was called. The Government forgot to consult the political parties before the Government held discussion, dialogue with Anna Hazare. We all attended that meeting.

We said and we know the Parliament has the right to make legislation. Parliament is supreme. But when a Bill is introduced in the Parliament and you refer it to the Standing Committee, do the people not have the right to agitate or right to protest? This happened a number of times.

I can remember that when the TADA Bill was introduced, there was an agitation or protest all over the country. When Prevention of Terrorism Bill was introduced in this House, there was a protest all over the country. The Government cannot take away the right of the people granted by the Constitution of India to protest, to speak against any of the decision of the Government. Why, in this particular case, the Government is so intolerant?

The Prime Minister has reminded us in his statement that as the Bill has been introduced in Lok Sabha, in Parliament, if anybody has to say anything, they can place their views in the Standing Committee. We have the experience as to how many amendments, which are proposed by the Standing Committee, Government accepts. It is because these are not mandatory but rather recommendatory.

We are not fully in agreement with Anna Hazare's Jan Lokpal Bill. He called a meeting. I categorically said that our party is consistent since 1986. We have been asking for an effective Lokpal. When Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he called the meeting. There was a difference of opinion in 1986 itself. We were of the view that the Prime Minister should be brought under the ambit of Lokpal. Even, when the Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee was the Chairman of the Standing Committee on Home Affairs, under his chairmanship the report was prepared. The Bill, which was introduced, was referred to the Standing Committee and the Committee also recommended that the Prime Minister should be brought within the ambit of Lokpal. The Bill, which has been introduced and referred to the Standing Committee, is weak and ineffective.

If Lokpal is constituted under the proposed Bill, that Lokpal will not be able to tackle the problem or control the problem, which the Prime Minister on

15th of August from Red Fort said that corruption is like cancer. He said that corruption has to be rooted out. But, the measures that Government has taken and the proposed Lokpal Bill, that will not be able to tackle the problem of corruption. For the last two years, we have been discussing and raising as to how the proliferation of corruption is taking place in high places in our country. In order to tackle this problem and in order to address this problem, there is a need for an effective Lokpal. But, the present Bill is quite ineffective. Yesterday, when Anna Hazare was arrested, was there any problem of law and order, was there any violence, since then the entire nation is on the street? Thousands of people are coming out of their houses protesting against anti-democratic, autocratic and fascist action of the UPA-II Government.

The support of the people is not for the individual. People are protesting and they are coming out because of the extent of corruption in high places. The people of the country are protesting against the corruption that is there in the high places. It looks as if the Government has gone ... (*Not recorded*) They have lost the capability even to rule; lost the capability for statecraft.

When Baba Ramdev came in a chartered flight, five ministers went to receive him. Not only they received Baba Ramdev, but they also prostrated before him. They had secret parleys; they arrived at an agreement with Baba Ramdev secretly. That was not disclosed. But, when Baba Ramdev started fasting, when thousands of people attended the programme at Ramlila Maidan, he got the permission to hold fasting at Ramlila Maidan, why at 12 o'clock in the night when people were sleeping, police went and lathi-charged, used tear-gas and injured several people?

दिन में आपने इजाजत दे दी। पांच मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पर जाकर उनसे मिले, होटल में जाकर उनके साथ समझौता किया, खाना-पीना किया। रात को 12 बजे उनकी पिटाई करने के लिए गृहमंत्री चिदम्बरम जी ने अपनी पुलिस को भेज दिया।

There was a brutal lathi-charge. We do not support Baba Ramdev's movement. But we condemn the way the Government has handled the situation as

we condemn the way democratic right of the people of our country was trampled upon. We condemn this undemocratic action of the Government. We consider it murder of democracy in our country. People have inalienable right to protest; you cannot take away this right from them. Do people not have the right to protest or agitate?

Even Anna Hazare had not violated Section 144. Just when he came out of his residence he was arrested and put behind the Tihar Jail. What happened, Shri Chidambaram, that within twelve hours there was a somersault, there was a 180 degree U-turn? You arrested him and put him behind the bar. You wanted to keep him in the same jail, in the same cell where one former minister, another Congress leader and one more Member of Parliament belonging to the ruling ally have been lodged.

It has happened for the first time in our country since we attained Independence. This has never happened before. A former Minister is in jail for having indulged in corruption; a Congress leader is in jail; and a Member of Parliament belonging to an ally of the Government is in jail. They have the right to indulge in corrupt practices, but people will not have the right to protest or agitate against corruption.

Sir, I condemn what happened yesterday. I demand that an effective Lok Pal should be constituted with the proposed Bill. If Lok Pal is constituted under this proposed Bill, that Lok Pal will be weak and ineffective. We are for an effective Lok Pal. Why should the Prime Minister not be brought within the ambit of the Lok Pal? We demand that the Prime Minister should be included. We also demand that the democratic right of the people should not be allowed to be trampled on by this Government.

Sir, this Government, as I have already told, has gone ... (Not recorded) They have mishandled everything. Now, it is reported that he has been allowed to hold fasting in J.P. Park. Why were they afraid of that agitation yesterday? Why did they not allow it yesterday? Why did they put so many conditions so that he

could not organise his agitation? So, I condemn the way the Government has mishandled the situation and the way the Government wants to take away the inalienable right of the people of our country to protest, to agitate and to launch a movement.

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, thank you for your long speech.

I am deleting the unparliamentary word from your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, that word is not unparliamentary.

MR. CHAIRMAN: It is unparliamentary. I am deleting that word. Thank you for your speech.

Shri Mahtab will speak now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, madness also has a rule. Why do you delete it?

MR. CHAIRMAN: What is unparliamentary, the Chair cannot permit. He used the word twice. So, I deleted it.

No dispute. Please take your seat.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I have not questioned you. I am only saying that madness also has a rule.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There is a method in madness. SHRI GURUDAS DASGUPTA: That is second. First is the rule.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart, we are discussing an issue which should not have been deliberated in this House. I would not say that it is a non-issue, but the manner in which the issue cropped up yesterday and one event led to another has forced this Parliament to deliberate on that issue. Today, the discussion is not on the Lokpal Bill, which is before the Parliament; the issue is not before us today to discuss about the Jan Lokpal Bill, which is in the public domain, but the issue is civil liberty that has been trampled upon by the Delhi Police, which was enacted yesterday. Therefore, the issue is this. How the law should be adhered to and how the law should be enforced in a free country and in a democratic country?

The 65th Independence Day was grey and wet, and the day after the Independence Day was also grey, but it was quite different. It started with anguish, and by the evening many people were full of anger. I would say that the action of the Delhi Police is deplorable; undemocratic; and there was an attempt to muzzle the freedom and muzzle the fundamental right of the citizens of this country. The Delhi Police has not acted on its own. No Police acts on its own. They always wait for the orders from above.

The Delhi Police has asked Shri Anna Hazare and his team to identify a suitable place, and formulated a number of conditions under which the permission could be granted for holding a fast at that place. These are explained in the Prime Minister's statement. They have put in a number of conditions. But why are there conditions in it? These include the place to be specified; the time to be specified; the number of vehicles that will be coming there to be restricted and specified; the number of people who will be congregating there also to be specified; and from the statement of the Prime Minister we come to know that six conditions were not adhered to / not agreed to. But I would only add another one to it. They should have specified what he should have said! This was only missing in it. If the Delhi Police could have told Shri Anna Hazare and his team that you can only speak this

much and nothing more, then that was only missing. This is in a free country like ours, which had celebrated its 65th Independence Day a day before!

I am really surprised. Should we call this freedom? I understand the day this country attained freedom, and the commitment that the founding fathers of the Constitution had made during the deliberations of the Constituent Assembly that freedom comes with certain responsibility. But here, we find that there is no such thing, which was being done by the Delhi Police.

In paragraph 8 of the Prime Minister's statement, I come across last three lines. It states: "Supporters would commit a cognizable offence..." This is the view of the Delhi Police. It further states: "There is a likelihood of breach of peace. Hence, Shri Anna Hazare and six others were arrested as a preventive measure...". We all know that Police has the power, but it has to be used sparsely. Here, when the whole country is alive to a situation; when the Parliament is in Session; and the focus of the media is there, I would like to understand this from the Home Minister. Is this the way a responsible force should have acted?

I remember that in 1934 when Gandhiji was going on a *padyatra* starting from Puri, which was called *Harijan Padyatra* for a social revolution within the Indian society in Bhadrak, my hometown, the Police did not allow a congregation to be addressed by Mahatma Gandhi. I have heard from my parents that the Police did not allow him and it had promulgated as it is called *Dhara* 30 (Act 30) that they could not congregate, could not put a mike, and that he should not address the public in a public place. So, in the compound of our house, Mahatma Gandhi sat on a cot and he started addressing the people. People congregated there; thousands of people were there; though the Police had tried to debar Gandhiji. This was in 1934. But the Police did not arrest Mahatma Gandhi; he was allowed to address the public. At that time, no loud-speakers were there and yet there were thousands of people.

But what has happened here? Why did you do this? Unnecessarily you have created a situation which went beyond your control, and you demonstrated the reverse in the evening again.

In paras 9 and 10, the Prime Minister's Statement clearly explains the foolishness of the Delhi Police. In para 11, right of citizens to hold peaceful protests, the Prime Minister's Statement confirms that when one accepts the dictates of the State, then only one is allowed to congregate for protest or otherwise. If this is not muzzling of the voice of dissent, what else is? No representative Government in a democracy can deny its citizens their fundamental right to dissent and peaceful protest. Insisting on unreasonable, inequitable and suspiciously contrived conditions that everyone knows the protestors cannot accept is tantamount to denial of the democratic right, and that was done yesterday.

Instead of honestly dealing with the issues raised by successful corruption scandals, this Government has chosen to cover up. When that became unsustainable, you resorted to slurs and dirty tricks and incriminatingly raised the level of repressions to smother voices demanding accountability and corrective institutional measures. No wonder, Sir, whenever the Government of the day tries to target the individual instead of the issue that he is raising, the people come out in support of the individual. It had happened in 1974-75 when Lok Nayak Jayaprakash Narayan took up the cause of corruption and inflation, when V.P. Singh took up the cause of corruption, and today when Anna Hazare has taken up the cudgels to raise voice against corruption.

Our Party, Biju Janata Dal, is in favour of a strong Lokpal. We want the Judicial Accountability Bill be discussed and passed by the Parliament at the earliest. On the Whistleblower Protection Bill which is known as the Public Interest Disclosure and Protection to Persons making the Disclosure -- Mr. Minister, I think this Bill is going to be piloted by you -- already the Standing

Committee has placed its report before this House. The Whistleblower Protection Bill should also be listed, deliberated and passed at the earliest.

When the Prime Minister says that no one should question the prerogative of Parliament to make a law, one is truly dismayed because it is his Government which invited five members from the so-called civil society and formed a Joint Draft Committee to prepare the draft Lokpal Bill. And yesterday, while witnessing the television I came to know when Shri Kapil Sibal came out with the statement while he was addressing the press that the draft Jan Lok Pal Bill also was considered by the Cabinet. With your experience and I think number of Members who are present here in this House with their experience of Parliamentary practice, let me know can any citizen of this country prepare a Bill and send it to the Cabinet to consider? It is only the executive which prepares the Bill which is considered by the Cabinet. And then it comes to the House, to the Parliament. I would be educated if someone from the Treasury Benches can say this that how a Bill prepared by a group of enlightened citizens of this country was considered by the Cabinet? Was it vetted by some group of executive? I am really astonished to hear this.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You deliberated for two months and when you found that they are adamant in their view, you remembered that there are Opposition parties who should have been consulted. Had prime Minister mentioned in his Statement just one line expressing regret on neglecting the Opposition, I think he could have covered more grounds. I have two more points to make. I may be allowed.

MR. CHAIRMAN: Take one minute and complete.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Today Anti-Corruption Movement is in a rapid phase of expansion across India and it does not depend on one man or his team. Thousands of ordinary citizens are fed up with the system. Their belief is that the system is opaque, corrupt and driven by greed. A feeling is there amongst the people that here is a rare opportunity to put in place a potent mechanism to end high level corruption. It is high time this Government should recognise the public anger against corruption, respect the ideals of democracy and take steps to create a Lok pal that inspires confidence. Unless you do it, there would be a political price to pay as it had happened in 1977 and also 1989. I would like to draw the attention of this House and of the Government to Para 17.

MR. CHAIRMAN: No, you do not have time for that. Please wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have no time to raise issue which Prime Minister has raised and has kept the whole country in dark.

MR. CHAIRMAN: You have exceeded the time that is allotted to you. What I have said is that your time is over. You take your seat.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I would like to raise an issue relating to the statement which Prime Minister has said.

MR. CHAIRMAN: You can raise this issue in some other forum or on some other occasion. You have no time to do that. I am calling the next Speaker now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I would request you Sir that this is an issue which needs to be raised because no one till now has raised this issue.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, you have taken double the time that I had allotted to you and still you are speaking. You please understand that other Members are there.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I know that Sir.

MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am winding up. The Prime Minister said "India is an emerging economy we are now emerging as one of the important players of the world stage. There are many forces that would not like to see India realize its place in the Comity of nations. We must not play into their hands." My question here is that who are they? It is the Prime Minister who is saying this. No one else. That too, in Lok Sabha, in the Parliament. He should educate the country. He should tell us "who are they"? He should specify who are the enemies who do not want this country to rise.

MR. CHAIRMAN: Thank You. Now you have raised. Thank you. Mr. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, today the hon. Prime Minister made a statement on the arrest of Shri Anna Hazare. I already stated certain points when the hon. Prime Minister called a meeting. As some of our colleagues said, the problem is created by the Government itself.

The Prime Minister said in paragraph 12, "The question is, who drafts the law and who makes the law." It is well-known as to who is going to draft this Bill. I want to say that the Government has bypassed the Parliament; it has not taken the Opposition parties into confidence; it only constituted a Group of Ministers and with the help of some members from Anna Hazare's team it drafted the Bill. But then, after seeing the problem they called the other political parties for a meeting. I say that this is not fair on the part of the Government to draft a Bill in such a manner without consulting the Opposition members. The Government has gone beyond that and called the civil society people and drafted the Bill. That is how the Government has committed this mistake.

Prime Minister also says, "We, as elected representatives of the people should do nothing to weaken our people's faith in the capacity of democracy. Sir, in a democracy everyone has a right to express his views and everybody knows that. Even an ordinary citizen has the right to express his views. Even the Prime Minister says and our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protests.

What happened yesterday? Anna Hazare came to hold a peaceful protest only. He has the right to do that. When he sought the Government's permission for that, the Government had not given that permission to him. When he reached there, immediately he was arrested and taken to Tihar Jail.

There are apprehensions in the people's minds. The 2G scam, Adarsh Group Housing Society problem, Commonwealth Games scandal and also Krishna-Godavari basin scam and, so many other scams are coming out on a regular basis. Therefore, the Government's apprehension is that when this movement is coming up the image of the Government will further go down. That is why they arrested Anna Hazare and put him in jail. There is no law and order problem involved in this. He came to hold a peaceful demonstration.

Today in most of the newspapers editorials are written condemning the Government's action. They must explain why such an action was taken without knowing the consequences. Now they are feeling. The Prime Minister made an elaborate statement describing the full incident. This is all because of the wrong decision taken by the Government.

Also, some hon. Members spoke regarding the Lokpal Bill. I do not want to say anything about this Bill because it is a well-known fact and our Hon. Tamil Nadu Chief Minsiter and leader Madam, Selvi Jayallithaa expressed her stand on this. We are against including the Prime Minister in the Bill. That is our stand and we have made that very clear. But there are certain aspects which can be considered. We have to give a patient hearing to the civil rights people. Whatever they say must be included and that can solve the problem. We must not aggravate the situation.

One of the hon. Members said that the Tamil Nadu Government is not allowing any protests there. We are allowing protests and many demonstrations have taken place there. Our Hon. Tamil Nadu Chief Minister has allowed protests but there is a limit for that. Here also I would say that the Government must give some recognition to the kind of movement that is taking place and see that they respect the feelings of people. We have to protect the democratic rights of people.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, may I say at the beginning that I take the statement of the hon. Prime Minister with a pinch of salt? I take the statement of the hon. Prime Minister as paradoxical; I take the statement of the hon. Prime Minister as not to be wholly true, but untrue. I take the statement of the hon. Prime Minister as an unsuccessful attempt to cover up the truth and to cover up the facts.

I must say that it is most unbecoming for a statesman and for a Prime Minister of a country having more than 120 crore people. Why do I say so? Why is the hon. Prime Minister afraid to speak the truth? Why?

There is a new word now coined, 'outsourcing'. Why has the hon. Prime Minister outsourced the responsibility to the police? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Why can he not say, yes, the Government has taken this decision because it apprehended law and order problem? Why can he not say that it decided to take this step because there was a threat to or breach of peace? Why? The Police Commissioner is being made a scapegoat. The whole statement runs – para by para – to say what the police have done. Are the police free in this country – not under the Union Home Ministry. Is it that the police take a decision independently?

Sir, may I say, with no prejudice, that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.

Sir, I take this opportunity to send my greetings to Mr. Anna Hazare. I greet him. I send my greetings to all his followers and to all the protesters all over the country. I send my greetings to the civil society. We must look beyond the nose. There is a civil society.

The political system does not consist of only the political parties and Parliament. There is a civil society. I admire their role. It speaks of the vibrant democracy of India, the lively system that our forefathers have built. It is unique that the people

are on the street demanding a particular law. It has never happened. But at the same time, I say that Parliament is supreme. I must say that elected Members of the Parliament must not be put under pressure to do or not to do something. Parliament is absolutely supreme. Parliament is supreme according to the Constitution. When law-making is the question, Parliament is supreme. Parliament makes the law. ... (*Interruptions*) That is the answer I am giving you. You will have your answer, do not worry.

Patience is a virtue in democracy. Impatience is an evil. ... (*Interruptions*) MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am addressing the Chair. I am saying that patience is a pre-requisite for democracy, impatience is an evil. I address you, Sir; I also address the Government, through you, and also the supporters of the Government.

The point is this. Who has diluted the role of Parliament? I ask this question to the Government – who has diluted the role of the Parliament, who has diluted the role of the political system and the political parties? Who has done it? It is this Government. How? Why have they constituted a drafting committee, with somebody from the civil society? Who has done it? It was never done earlier. Why did it become necessary for the Government to form a drafting committee with a number of Ministers, to frame the Bill? Why? They have gone out of the way. They did not consult the political parties; we were not consulted. It is the decision of the Government. What prompted them to take this extreme step to form a drafting committee? Will you kindly answer? The nation wants the answer.



The political parties were not consulted and a Drafting Committee was formed. Not only that the Prime Minister, either the Prime Minister or someone from the Government, was anxious to say that 37 out of 40 demands have been accepted. The Government has been so generous as to admit publicly that Anna Hazare's most of the suggestions have been agreed upon. Why this unnatural, unusual, impractical and unheard of step was taken by this Government as never before by any Government ever since India attained freedom?

We have seen controversies such as Hindu Code Bill controversy, controversy on Women (Reservation) Bill and controversy on caste census but had never seen a Government forming a Drafting Committee with its representative as someone from a civil society. Now, the Government accuse him that he is pressuring it. Why this unprecedented step was taken? The Government owes an explanation. The hon. Prime Minister has conveniently omitted that because he has no answer. This is not democracy. The Government has pampered him and, therefore, if somebody has attained a larger than life status in the whole country, it has a hand in it. The Government has a hand in it. I repeat, if anybody has attained a larger than life status the Government has a hand in it. That is why when you say 'accepted' it means that you accept the responsibility of the role but where does the Prime Minister talk about it. Therefore, I would say that the Prime Minister is afraid to speak the truth. And, therefore, I am saying that it is paradoxical. Therefore, I am saying that a morally defeated Government cannot take the responsibility of its own work.

Sir, the hon. Prime Minister talks about cooperation and consensus. I must say, it is excellent English, 'cooperation' and 'consensus' both starting with letter 'c'. But how it is operated? It is just slogan mongering. By whom! By a Prime Minister. It is an empty slogan. By whom! By a Prime Minister. It is a concoction. By whom! By the topmost executive of the country. What is the future of the country? The hon. Prime Minister is afraid to speak the truth. The hon. Prime Minister outsourced the responsibility to the police. The hon. Prime

Minister does not accept the responsibility of by-passing the political system and having a Drafting Committee with the so-called civil society member. After that the hon. Prime Minister speaks of 'consensus' and 'cooperation'. It is not paradoxical, may I say, Sir, it is hyopcracy! Just to give you an instance, if the Government was really interested to have the cooperation, why it did not have an all Party meeting before finalising the draft to be presented to the Parliament? Let the hon. Prime Minister answer it.

Do not give slogans. We had enough slogans in this country. We heard "Jai Kisan' and after that we had suicides. We heard 'Garibi hatao' and we have the largest number of poor people in the country. We have heard enough slogans by the eminent leaders of the political parties who are no more. Do not indulge in slogan mongering. If you were really interested to have a consensus, why a meeting of the political parties was not called? We could have discussed it. You had called a meeting at a time just to give a slogan that Parliament is being challenged. To put the Parliament cheated against the so-called civil society was the game played by the masters of governance. I am saying, Sir, why this was not Will they answer? They are speaking of 'consensus' and done now. 'cooperation'. May I ask you before arresting him whether you knew that he is going to start hunger strike from 16th August, 2011? He announced it 15 days before and you all knew that it could give rise to law and order problem. Again, you could have called an All-Party meeting. You could have sought our opinion. You could have said that somebody is here to challenge the whole Parliament and somebody is here to impose his will on the Parliament, as the Prime Minister has said today. Why did you not call us before taking this action? You do not want to consult us before taking important decisions. You are indulging in unethical slogan mongering.

The Hon. Prime Minister speaks of law and order situation. He has made himself a laughing stock. Delhi is the capital of the criminals in the country. Everybody knows it. Crime record in Delhi is excellent and we have the highest

number of police force in Delhi. We have the Home Minister stationed in Delhi. We have all the administrative apparatus in Delhi. But a young woman cannot roam about the streets of Delhi late in the night. We have the highest number of rapes, murders and snatching. A Government which has failed to tackle the problem of law and order in the country over decades, today raises the slogan of law and order to arrest an unarmed Anna Hazare. What a joke this is. You cannot tackle the criminals. You are tackling a person whom you have given the highest or greatest regard by asking him to be a part of the Drafting Committee. This is the paradox of the Government. Will they answer?

Sir, they talk of democracy. The Government speaks of democracy. What is the democracy? Go to Gurgaon and ask the unorganised workers what is the democracy? They cannot form a union of their own and that is not my complaint. That is a complaint of a Congress Member of Parliament from Rajya Sabha, who is the President of INTUC. They cannot form a union in Gurgaon. They were *lathi charged* and false cases have been registered against them.

Go to different parts of Delhi on the banks of the Yamuna river. Those who are living in *bastis*, ask them the meaning of democracy. Democracy means what? Does democracy right of the Congress Party to rule the country or democracy is the right of the people to live as an independent citizen? Where is the right to life? Where is the right to association? Where is the right to protest? If you go on strike then you will be retrenched. Private sector is indulging in human atrocity because it is gloabalised and liberalised economy. The Government has no role in it. You can ask the meaning of democracy from the retrenched workers, contract workers and farmers, who are committing suicides.

Therefore, I am saying that Government should not do anything, which will give the impression that you want to curb the fight against corruption. The Government is sitting on a volcano. The whole country is sitting on a volcano. Let the people who are in power know that it is not Shri Anna Hazare's slogan against corruption that is rousing the younger generation; it is the impatience in the system, the system of poverty, unemployment, lawlessness, retrenchment and high mortality of children. The country is seething with discontent on the issue of corruption. It is being expressed. Do not believe that you can only tackle this by tackling Shri Anna Hazare. No. The whole country is indignant about all that is happening and non-happening.

16.00 hrs.

Happening is the exploitation and not happening is the implementation for the poor people and even NREGA is not being implemented. Therefore, the Government must not give the impression that they would like to curb protest. You do not try to do it. It will be counter productive and since it is counter productive, the Government has changed its tone within 12 hours. If the hon. Prime Minister had made this Statement yesterday, the hours of the Parliament would not have been lost. We demanded a Statement of the Prime Minister. Why was there a delay? Why did you delay the release of Shri Anna Hazare? It is not only a Government of indecision but it is a Government which does not know its own mind.

But I have a word to say to the nation and not to Mr. Anna Hazare alone. I should tell Mr. Anna Hazare that there are many people in this Parliament who have the same wavelength as regards the formulation of a Lokpal Bill. Many of us are having almost the identical views. We believe nobody should be outside the arm of law except Rashtrapatiji. Not the Prime Minister but everybody should be under the Lokpal Bill. The Lokpal Bill should be effective. Corruption must be rooted out. This is a tainted Government – tainted with corruption, tainted with

malpractice, tainted with non-performance and tainted with betrayal of its mandate that it received from the people.... (*Interruptions*). Sir, is it the way?

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Mr. Narayansamy, a Minister is impatient.

MR. CHAIRMAN: You address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: But I say to Shri Anna Hazare that it is not the Government alone which will write the fate of the Bill. We have an Opposition also – a united and combined Opposition. We will fight for a justified Lokpal Bill. Mr. Anna Hazare is not alone to fight against corruption. We are also fighting corruption. He is not alone.

Therefore, I always feel India has a democracy, India has a strong public opinion and Indian people consistent with its national tradition will never allow illegitimacy to be performed by any Government including the present one which is there. Therefore, Mr. Anna Hazare should feel he is not alone. It is not he who is doing the job alone. There are hundreds and thousands of people who are also doing the job. Therefore, Parliament and the parliamentary system should have its own weight in the decision making of all individuals including Mr. Anna Hazare.

Sir, are you thanking me for my speech.

MR. CHAIRMAN: Yes. I thank you for excellent speech.

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापित महोदय, आज लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल का विषय नहीं है, जहां तक मैं करैक्ट हूं, कल जब हम अपने-अपने घर चले गए थे तो लीडर ऑफ ओपोज़िशन ने विपक्ष के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया था।

16.04 hrs.

(Shri Satpal Maharaj in the Chair)

में पांच मिनट तक यह विचार करता रहा कि लीडर ऑफ ओपोज़िशन की आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी से हम सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओपोज़िशन लीडर हैं, चाय पीकर लौट जाइए। सभी नेता गए थे। मैंने भी अपनी पार्टी से रघुवंश बाबू को भेजा था। जहां तक मुझे बताया गया, वहीं तीन बातें तय हुई थीं - अन्ना हजारे जी को रिहा किया जाए, दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी स्टेटमैंट दें और तीसरा यह था कि प्रधान मंत्री जी की स्टेटमैंट पर चर्चा करवाई जाए। मैं विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस पहल पर सरकार को सूझबूझ आई।

आज प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया। श्री अन्ना हजारे जी को कल ही रिलीज करने का आदेश दिया। यह सब हमने देखा। हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि श्री ए. राजा तिहाड़ जेल से बाहर आना चाहते हैं और श्री अन्ना हजारे वहां रहना चाहते हैं। ... (व्यवधान) यह बात समझ में नहीं आ रही है। इस मर्म को हम सबको समझना पड़ेगा। ... (व्यवधान) इन चीजों में क्या रहस्य है, इसकी भी तहकीकात करने की जरूरत है। सरकार में स्सकी जांच कौन करेगा? हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने कल शाम ही उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया। वहां के जेल अधिकारी कितनी परेशानी में रहे होंगे, टॉर्चर में रहे होंगे कि कब हमारी यहां से जान छूटे। ... (व्यवधान) आज क्या हुआ, नहीं हुआ, यह मैं नहीं जानता। गिरफ्तारी, डिटेंशन और सरकार का निर्णय, सरकार अपने ढंग से असैस करके डिटेंशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रधान मंत्री जी की बात आयी है। हमें जेल से स्वराज मिला है। हम लोग लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण की आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। यह लड़ाई आज की न होकर बहुत पुरानी है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश से कुछ लिया नहीं, बल्कि दिया। उन्होंने कुर्बानियां दीं। मैं छात्रों का नेता था, प्रेजीडैंट था।

सभापति महोदय, आपको मालूम है, क्योंकि बिहार में आपके बहुत समर्थक हैं। आप जब प्रवचन करने जाते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जी हां। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद: आपको लोग मिस कर रहे हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) मैंने आपको कई बार कहा कि आपकी जो असली फील्ड है, उसे आप पकड़िए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद: लेकिन आपको गलत जगह डालकर रखा हुआ है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप विषयांतर मत कीजिए। आप विषय पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: ठीक है, अच्छी बात है। हम इस बहस को लाइट में नहीं लेना चाहते और लाइट में लेना भी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का सवाल और उसके बाद इमर्जेंसी, मैं मिसा में डिटेन्ड था। अब किन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो जायेगी। मेरा मैक्सिमम डिटैंशन हुआ था। मेरी शादी हुई और उसी पीरियड में मेरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम हमने मिसा भारती रखा। ...(व्यवधान) जो हमारी सबसे बड़ी बेटी है। यह मर्म भी लोग नहीं जानते हैं। ...(व्यवधान) श्री जयप्रकाश जी ने कहा था कि देखों, मुंह पर पट्टी बांध लो। हम पर जैसे ही हमला होगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा। गांधी मैदान में श्री जेपी ने कहा था कि जेल से स्वराज मिला, यानी जेल से अंग्रेज भागे हैं इसलिए मित्रो, जेल भरो, जेल चलो। कुछ लोग थे, मैं उनकी पार्टी या संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं, वे यहां फिर बेकार का झंझट शुरू कर देंगे। श्री जय प्रकाश नारायण जी चरखा समिति में बैठे हुए थे, आचार्य राम मूर्ति जी नहीं हैं, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी कि पहला बैच हमारी पार्टी का जायेगा, लेकिन श्री जय प्रकाश जी ने हिदायत दी थी कि इस आंदोलन में कोई भी पोलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आयेंगे। यह लड़ाई निर्दलीय, निष्पक्ष होगी। टोटल रेवोल्युशन की लड़ाई लंबी होगी। व्यवस्था में परिवर्तन किसके लिए? जो विकास में सबसे पीछे की सीढी पर बैठा हुआ समाज है, उसे मुख्य धारा में लाना है। जेनऊ तोड़ो, जेनऊ तोड़ो ऊंची जाति के बच्चों। बच्चों ने जेनऊ तोड़-तोड़कर फेंकना शुरू किया, लेकिन वह भी रोक दिया गया। श्री जय प्रकाश जी उस आंदोलन को निर्दलीय और निष्पक्ष लेकर चलना चाहते थे। भ्रष्टाचार का सवाल है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी पक्ष या विपक्ष के खिलाफ नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा। ...(व्यवधान) आप क्यों हंस रहे हैं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप डिस्टर्ब न करें, व्यवधान न डालें। लालू जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)



यह किसी अन्ना हजारे जी या किसी अन्य की बात नहीं है, यह लड़ाई है। भ्रष्टाचार रग-रग में फैला हुआ है। बहुत से लोग नारे लगाते रहते हैं, वे अपनी बातों को छिपाते हैं और जब धन एवं धरती बांटने का सवाल आता है, तो नारे बदल जाते हैं। फिर कहते हैं कि धन और धरती बंट के रहेगा, अपना-अपना छोड़ के। इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था, हमारी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उससे विषय लंबा हो जाएगा, बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। वर्ष 1977 से, जयप्रकाश जी को कोख से जन्म लेने वाले हम सब लोगों में से बहुत से लोग आज बीजेपी में हैं, एनडीए में हैं, जगह-जगह फैले हुए हैं। भ्रष्टाचार का सवाल सन् 1977 से तेज हुआ। बाद में इमर्जेंसी लागू हुई, परिवर्तन हुआ, मोरार जी भाई से लेकर, वी.पी. सिंह जी तक, सभी समय इफेक्टिव लोकपाल बिल लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद एनडीए सरकार बनी, इन लोगों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन नहीं बना। यह जो सरकार अभी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इसने प्रयास किया है। जो सिविल सोसाइटी है, अन्ना जी का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी हो सकता, इस देश में दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। हम नकल कर सकते हैं, लेकिन जहां गांधी जी थे, लोकनायक जयप्रकाश जी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी थे, वहां तक पहुंचना हजारों कोस दूर है। दासगुप्ता जी ने ठीक कहा, यह बीमारी किसने पैदा की, किसने यह बीमारी पैदा की सिविल सोसाइटी के साथ बात करने की? अन्ना जी और उनके लोग सुन रहे होंगे, जब ये लोग पार्टी टू पार्टी मिल रहे थे, हमारे घर आए थे। उनके साथ रिटायर्ड डीजी किरण बेदी, सिसोदिया और केजरीवाल जी आए थे। हमने अन्ना जी को आदर से बैठाया, बेल का शर्बत पिलाया और हमने साफ-साफ कहा कि देखिए, हम जाति के अहीर हैं, यादव हैं, हम लटपट बात नहीं करते हैं। हम आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को बताना चाहते हैं। मैंने कहा है, में स्वीकार करता हूं, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि लोग जानना चाहते हैं कि देश की एक अरब 20 करोड़ जनसंख्या में से इस सिविल सोसाइटी चुनाव कब हुआ है? देश में बहुत सी सिविल सोसाइटीज हैं। मेधा पाटेकर आदि अन्य बहुत से लोग हैं। रामदेव जी आए, एनजीओ या जो भी कुछ बनाकर आए, रामदेव जी के पक्ष में हम रहते थे। अभी भी हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ से निकल गए। दूसरे के ट्रैप में चले गए और जब चले गए, तब हमारा ध्यान गया। एक महिला मंच पर बैठी हुई थी, उस महिला का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बीजेपी के लोग जान गए होंगे। तब लोगों के कान खड़े हुए कि किसी दूसरे आदमी ने मूवमेंट ग्रैब कर लिया। हम लोगों के रामदेव भाई बोले थे...(व्यवधान)रामदेव जी जब रामलीला मैदान में आए थे, अखबार वाले भले बदल जाएं, रामदेव जी ने कहा था कि रामलीला मैदान में

देश भर के जितने रिटायर्ड, बीमार लोग थे, उनको बुलाकर, पकड़कर लोग लाए थे। फिर शहर वाले लोग गए थे और वहां जाने के बाद रामदेव जी का कहना था कि हम साष्टांग योग कराएंगे।

रात को जब इनकी पुलिस वहां गई तो वह कूदान योग में चले गए। कूदान योग में गए और महिला की ड्रैस पहनकर निकलना शुरू हो गए। हमें इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने अपने आंदोलन को गंवाया। जब अण्णा जी का आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा था, तब रामदेव जी भी आए थे। इस पर प्रशांत भूषण जी ने कहा कि इस कमेटी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, यहां योग कराने वाले नहीं, कानून वाले लोग हैं।

सभापित महोदय, मैं तो मैन टू मैन बात कहता हूं। मैंने अण्णा जी को कहा कि सर क्या भ्रष्टाचार लोकपाल बिल लाने से देश से मिट जाएगा? परसों ही उन्होंने यह बयान दिया कि यह बिल पास होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हां, 60-65 प्रतिशत तक खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर से लेकर सभी जगह पार्लियामेंट के नेताओं को और हम सबको गालियां दिलवाई गईं। कहा गया कि खादी कपड़ा दिल है मैला। सिविल सोसाइटी का निर्माण क्यों हुआ। हमें तकलीफ है चाहे वे मानें या न मानें, लेकिन हम दर्ज कराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट है, यह लॉ मेकिंग बॉडी है।

मैंने अण्णा जी को कहा कि आपका बिल कैसे पास होगा, आपकी और सरकार की बात टूट गई है। अगर फिर जुड़ जाए तो एक कम्बाइंड बिल लेकर आएं। हम सामूहिक रूप से यहां विचार करेंगे। भले ही यहां हमारी पार्टी छोटी है, संख्या में हम चार सांसद हैं, लेकिन वह कहते हैं - सतसैंया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागें, घाव करें गम्भीर। यह मैं बताना चाहता हूं।

मैंने उनसे कहा कि आप ही बताएं कि सरकार जो बिल लाएगी, उस पर विचार करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आडवाणी जी और सुषमा जी अभी यहां नहीं हैं, इन्होंने भी आल पार्टी मीटिंग में यहीं से शुरूआत की थी और कहा था कि आपने क्यों यह भूल की, क्यों हमें नहीं बुलाया और सिविल सोसाइटी को बुलाकर बात की। सरकार प्रभावी लोकपाल बिल लाए, यह बात तकरीबन सभी पार्टीज़ के नेताओं ने कही थी, जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके। हम लोग उस पर विचार करेंगे और अपनी-अपनी राय तथा सुझाव देंगे। लोकपाल बिल में पीएम रहें या न रहें, सीएम रहें या न रहें, डीएम रहें या न रहें, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आप पहले लोकपाल बिल पढ़ लें, सरकार का भी और उनका भी। संसद सर्वोच्च है, यही लोकतंत्र है, यही जम्हूरियत है। इसी वजह से हम जीतकर आते हैं। न्यायपालिका से ऊपर, कार्यपालिका तथा संसद से ऊपर को रिटायर व्यक्ति, नामी आदमी, पता नहीं कौन नामी है, अगर हमारे ऊपर पैर रखेगा, फिर सरकार की क्या जरूरत है। हमें गालियां दी गईं और कहा गया कि पांच साल के लिए आते हैं, फिर लूटते हैं, अपनी तनखाहें बढ़वा

लेते हैं। ऐसी-ऐसी बातें हमारे बारे में कही गईं। कोई सहमत हो या न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमें तकलीफ हुई। हमने अण्णा जी को भी कहा था कि जो भी आपकी बगल में आता है, राय देता है, उससे परहेज करें और सरकार से बात करें। एक बिल आए, हम सब मिलकर जो देश हित में होगा, वैसा काम करें। अब क्या हुआ कि गिरफ्तारी हुई, टेंशन हुई और फिर उन्हें रिलीज करना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों से जरूरत कहूंगा कि कोई न कोई भूल आपसे हुई है, उन्हें पहचाना नहीं, वह फुलप्रूफ व्यक्ति हैं। हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको 20-25 दिन अनशन करने के लिए छोड़ दीजिए, ये करते रहेंगे। ये पुराने लोग हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नये नहीं हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल को पढ़ लीजिए। मेरी अन्ना जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण जी और केजरीवाल जी से अपील है, हम अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बर हैं, बीएसपी के हमारे वीर बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं, शैलेन्द्र कुमार जी हैं, आप सभी लोग हैं जिल्हों मीटिंग में हमने अन्ना हजारे जी को बुलाया, उनकी टीम को बुलाया, हम एक डग भी आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोगों ने कहा कि यह सिस्टम है, यह कानून है, यह देश का संविधान है कि कैसे प्रौसेस होगा, कैसे क्या काम होगा, आपका राइट क्या बनता है, उनका राइट क्या बनता है। अन्ना हजारे जी की बहुत सी चीजों को हमने सुना, उनकी सारी बातों को हमने लिया और कहा कि आप अपने बिल की कॉपी सभी सांसदों को दे दीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो फिर हम लोग आपको बुलाएंगे। लेकिन यह 16 तारीख वाला अनशन इतनी जल्दी में मत कीजिए।

उसके बाद यह बिल जलाना गलत है। यह संविधान के तहत बिल है, अच्छा बिल हो या खराब बिल हो, लेकिन बिल की प्रतियां जलाई गयीं। मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं कि फौज हमारे साथ है, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है, यह पर्चा निकला है। हमें और आपको जनता ने चुनकर यहां भेजा है, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे आने वाली जैनरेशन के लिए संस्था में ताला लग जाए और कोई पूछे नहीं हम लोगों को। इन चीजों पर आकर बैठिये और जो संविधान के तहत कमेटी बनी हुई है, उसमें विचार होगा। रामदेव जी भी आयें, मेधा पाटकर जी भी आयें और जो एनजीओज हैं, वकील हैं, जो भी लोग बोलना चाहते हैं आयें।

अभी बात बंद नहीं हुई है, मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर हम फेल हैं, कोई एफैक्टिव बिल नहीं बना पाते, वहां से लाकर हम आपको देंगे। आप अपना संशोधन चाहे एक दिन लगे, दो दिन लगे, तीन दिन लगे, फैसला आपको लेना है, स्टेंडिंग कमेटी मिनि-पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत होती है और ऐसा भी नहीं कि सरकार ने जो कुछ भेजा है वही ठीक है, दस्तखत करने वाले हम नहीं हैं, अन्ना हजारे जी को धैर्य रखना चाहिए। न पार्लियामेंट कहीं जा रही है, न स्टेंडिंग कमेटी कहीं जा रही है, न देश कहीं जा रहा है

न आप कहीं जा रहे हैं, आपके प्रति शुभकामनाएं हैं हम लोगों की, आपकी लम्बी जिंदगी रहे, आप स्वस्थ व अच्छे तरीके से रहें, कोई अपना राजनैतिक उल्लू साधने के लिए कहीं आपको कोई नुकसान न कर दे, इसका ध्यान जरूर रखें। हम लोग बैठेंगे और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और कोई भी आदमी बाहर से डिक्टेशन देगा और कहेगा कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे तो हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, चाहे जो भी नतीजा होगा, पार्लियामेंट को खत्म नहीं होने देंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापित महोदय, जो बात सभी सदस्य कह चुके हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं एक छोटी-सी घटना के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वह आज इस हालात के संदर्भ में है। एक पंचायत ने एक व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया और उसे सजा देने के लिए कहा गया कि तुम दो सजा में से किसी एक सजा को चुन सकते हो। तुम चाहे तो सौ डंडे खा लो या सौ प्याज खा लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि डंडे से चोट लगेगी और प्याज खाने की चीज है, प्याज खा लेता हूं। जैसे ही उसने दो प्याज खाए, आंखों से पानी निकलने लगा, तब उसने कहा कि डंडे ही खा लेता हूं। जब उसे डंडे पड़े और दर्द होना शुरू हुआ, तब उसने कहा कि मैं प्याज ही खा लेता हूं। फिर कुछ प्याज खाने के बाद जब आंसू निकले तब वह बोला कि डंडे ही खा लेता हूं। ऐसा करते-करते उसने सौ डंडे खा लिए और साथ ही सौ प्याज भी उसे खाने पड़े। हमारी सरकार की हालत आज के मामले को देखते हुए ऐसे ही लगती है।

मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहा कि हवाई जहाज से लेने जाते हैं, बुला कर बात करते हैं और फिर इतनी कमजोरी दिखाना, इतनी मजबूत विरासत सरकार के पास होते हुए भी, ऐसा लगता है कि अगर देश पर कोई विपत्ति आ पड़े, तो सरकार क्या निर्णय लेगी। हर मिनट, हर घंटे सरकार का निर्णय बदलता है। अब अनशन करने देना है, अब पकड़ लेना है, अब छोड़ देना है, अब जेल भेज देना है, अब वापिस बुला लेना है और पार्क भेज देना है।

अन्ना हजारे जी उम्र में हमसे बड़े हैं और सम्मानित भी हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी संजय निरुपम जी की बात को अदरवाइज ले लिया गया है, पूरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में एक बात जरूर हुई कि अन्ना जी और उनकी टीम यह मैसेज देने में कामयाब रही और आज आम आदमी के दिमाग में यह बात है कि जन लोकपाल को अगर संसद मान ले, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और संसद जन लोकपाल विधेयक को लाना नहीं चाहती है, यह मैसेज भी जनता में गया है। यह स्थित हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।

चैनल्स के बारे में मैं कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय शरद यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आज कोई भी चैनल बैलेंस हो कर चलना नहीं चाहता है। हम समाचार बचपन से सुन रहे हैं। समाचार में बताया जाता था कि फलां जगह फलां घटना घटी है, लेकिन आज हमें समाचार वाचक की हर घटना के बाद प्रतिक्रिया जबरदस्ती ढूंढ़नी पड़ती है कि ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब यह है।

संसद सर्वोच्च है, इस बात की सबको जानकारी है। नेता ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। बहुत कष्ट उठा कर यहां तक पहुंचा जाता है। जैसा लालू जी ने कहा कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि मानो सभी भ्रष्टाचारी संसद में या विधान सभाओं में आ कर बैठ गए हों। इस प्रकार का माहौल बनना बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर हमने संसद में बैठ कर इस बात पर विचार नहीं किया और हर बात पर लड़ते ही रहें तथा किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, तो यह बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। हमें स्वयं इस पर विचार करना होगा कि इस समय हमारी समाज में जो स्थिति है, इसे सुधारने के लिए अगर हम विचार नहीं करेंगे, तो हमारी जो दशा होने जा रही है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा।

इतनी छोटी हरकत कि सीडब्ल्यूजी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी कलमाड़ी जी की, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारे कॉमन वैल्थ गेम्स अकेले कलमाड़ी जी ने ही किये। अगर टूजी हो जाए तो सब राजा साहब को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता और अन्ना जी हो जाएं तो दिल्ली पुलिस को पता है, हमें कुछ नहीं पता। ...(व्यवधान) इतनी गैर जिम्मेदारी की बात? देश को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आप इतनी छोटी-छोटी बात कहकर छोड़ देते हैं। बड़े-हुए, आदरणीय शरद जी ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर इस दिँल्ली में 20 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। उस समय के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें मालूम है। यहां वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय राजनैतिक परिस्थित कितनी विकट थी? माओ की रैली से उसकी तुलना की गई थी और आपस में राजनैतिक कंफ्रन्टेशन बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद दिल्ली ने उस रैली को आराम से देखा। सभी राजनैतिक दलों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में किसानों की बात की भी मदद कर दी। 5 लाख किसान जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए। सभी राजनैतिक दलों के लोग वहां गये। सुबह से शाम तक किसान वहां रहे। कोई पत्ता नहीं खड़का। कोई 22 शर्तें नहीं बताई गई थीं कि 22 में से 20 पूरी होंगी या 21 पूरी होंगी। इस तरीके के बहुत आंदोलन होते हैं। किसान यूनियन के आंदोलन हुए। हजारों लाखों लोग यहां कई कई दिन तक रहे। ऐसी कमजोरी सरकार को अपने अंदर से निकालनी चाहिए और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करनी चाहिए और सब राजनैतिक लोगों का ध्येय राजनैतिक नहीं होता। मैं कहता हूं कि 90 प्रतिशत जो राजनीतिज्ञ यहां बैठे हैं, जो राजनीति करते हैं, मैं एक अपने गुरु की कही हुई बात बताना चाहता हूं कि इस समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। अगर सज्जन निष्क्रिय होंगे, बहुत लोगों को राजनीति इसलिए करनी पड़ रही है कि वे अन्याय को होता हुए बैठे हुए नहीं देख सकते और इसलिए अपना घर फूंककर राजनीति करते हैं और उसके बाद ये गालियां सुनें। इसलिए इस सारी परिस्थति को समझना होगा।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the statement of the Prime Minister.

Sir, today I stand here with a heavy heart because a few years ago when I learnt about the responsibilities of a civic servant and the word 'politician' was introduced to me in school, it was always understood that he is a representative of the people, he is the voice of the people, he safeguards the security and looks after the needs of the people. Having grown up with these ideas of what a politician stands for, it not only shames me, but gives me a great sense of sadness that today the mood of the nation is that all politicians are corrupt, they do not listen to the voice of the people, and that they are the worst people of the face of this earth. I think that is the reality because if you go on the streets and speak to any common man, this is the way he feels about a politician. कहां गई वह सेवा की भावना कि जब हम हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए जाते हैं कि अपना कीमती वोट हमें दे, हम आपकी सेवा करेंगे। When we come to Parliament, we say, 'we will voice your wishes in this great House'. But today, what is the situation in the nation? Today, these very people who are representing every corner of our nation – we all have gathered over here – because we are not voicing what the nation is asking, people have taken to the streets against us and against what we are standing for.

I think we all play the blame game by saying, 'you did that, we did that' and we paint ourselves in the same brush. But I would like to ask this question. When the people of this nation choose us, they choose one Government. Then, whose responsibility is it to make sure that the systems and the needs and what the people are voicing, are put in place so that the public is satisfied? It is the duty of the sitting Government, not of the Opposition. But unfortunately today, Anna Hazare, for whom I have the greatest of respect, as a gentleman of very high virtue, is trying to clean up the system.

But if the people have taken to the streets, it is not because of Anna Hazare, but it is because of what he stands for, the symbol of rooting out, what has become synonymous with this Parliament and with the politicians, corruption. People have had it till here; they do not know how to get over it, so they are supporting a person, who seems to be coming in front, who says that he will clean this all up and I think that is what we need to hear over here.

What makes me really sad is that when the Prime Minister of our country gives a statement, he talks about peaceful protests as he does in para 11. I did not know that there were conditions laid down for a peaceful protest, that it can have so many number of people, if you do a fast, it can only be for so many number of hours. This is news to me. We hold political rallies; everybody tries to get the maximum number of people. The thing is that there should be no law and order situation, which he was ensuring and he was saying that there would not be.

The biggest thing is that what you did to ensure to put an end to this peaceful protest created, I think, more of a law and order situation because hundreds congregated all over the country to protest against what this Government did. So, how can you be so cut off with what the country is wanting?

Sir, after that, the Government says that it needs to take minimum steps necessary

to maintain peace and tranquillity. The minimum step is to arrest a 72-year old man, who is trying to do a peaceful protest. To arrest him is the minimum step, what is the maximum step – a murder of that man? That is amazing. If this arrest is the minimum step, I want to know what is the maximum extent that they will go to finish off what this country and what this country's people are demanding? I think, we all need to worry about that.

Then, I would like to say that, I think, this really gives the insider's version to what this Government has got. In para No. 10, the Prime Minister says that after arresting him, the Delhi Police received information that he was going to move the Supreme Court. The moment they heard the words 'Supreme Court', something went off in their brain because so far anything that has happened to

bring law and order and to put an end to corruption has been with the intervention of the Supreme Court. When they got to hear that Anna Hazare was going to approach the Supreme Court, what suddenly changed that they decided to release him. Was it the embarrassment of thinking that the Supreme Court gives the freedom to any individual in this country to protest in a peaceful manner? What they have done was totally undemocratic. That is the actual reason that they decide to release, which the Prime Minister himself has stated.

Sir, after that, I would like to come to para 15 where he says that the issue between the Government and Shri Anna Hazare is not one of different attitudes towards fighting corruption. I think, this is the biggest joke of all because if this was not the only issue, if the Government had formulated some kind of a Lokpal Bill, which would actually start to put an end to corruption, people would not have taken to the streets today.

Sir, everyone says, parliamentary democracy is being murdered. I say, 'how can you stop a peon from taking money, when his boss takes money? How can you stop the boss, when his Minister takes money? And how can you stop him when from top to bottom everybody is painted in corruption?' The thing is that the clean-up must start from the top. When the top man does not take, he can stop somebody else at the bottom... (*Interruptions*) But unfortunately, Sir, today, our country has a clean and upright Prime Minister, who is bound and gagged by his colleague that when he needs to take action, he cannot take action that he wants to take... (*Interruptions*) and that is the sad state of this country today.

MR. CHAIRMAN: Silence please.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Sir, I would say that when our learned Prime Minister says those who believe that their voice and their voice alone represents the will of 1.2 billion people... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please keep silence.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I think it equally applies to the Government because they are the ones who are representing the voice of 1.2

billion people and not Shri Anna Hazare. But the problem is that, like he said, the job that they were elected for are not doing that job. That is why the Civil Society had to come in and that is why the public is supporting the Civil Society because the Government does not seem to be doing the job that they have been elected for.

So, Sir, I would just like to end up by saying that you cannot suppress the movement of people like a Sheikh in an Arab country. You can see the biggest dictatorships that have been wiped out from the State of these movements; the Government had changed. They are hiding behind the police a political issue into an administrative issue.

But I would appeal to them that when they hide behind the police to arrest a 72-year old peaceful man trying to hold a protest, they should also then be answerable when they do not arrest the people who committed the 1984 genocide, who roam scot-free with the same protection of this police that has arrested an old man.

I would like to have an answer to that also. So, I would appeal that this Government must now recognise the needs and the voice of a billion people, what they are saying. I would appeal this Parliament to again uphold what we have been sent here to do. We must get over our differences and be seen doing something to give action to the voice which they are raising and not be seen here screaming, shouting, fighting, and making a mockery of ourselves which we have already done.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापित महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट पर यह संसद उस बहस को आगे बढ़ा रही है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अण्णा हजारे जी की गिरफ्तारी के बाद देश में उत्पन्न हुई है। अगर सचमुच सम्पूर्ण घटनाक्रम को देखा जाए तो यूपीए सरकार की पूर्ण विफलता को यह घटनाक्रम प्रदर्शित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। सिविल सोसाइटी को आज अगर जनसमर्थन मिल रहा है तो उस जनसमर्थन के पीछे इस सरकार की विफलता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शांत हो जाएं और इन्हें बोलने दें।

योगी आदित्यनाथ: अगर इसके पीछे आरएसएस भी है तो यह इस बात को साबित करता है कि आरएसएस के साथ जनसमर्थन है। इस देश के ज्वलंत मुद्दे चाहे वह महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतिरिक या बाह्य सुख्शा के मुद्दे हों, इन सब मुद्दों को डायल्यूट करके एक जन लोकपाल बिल पर केन्द्रित करने की जो एक साजिश हुई, कहीं न कहीं उस साजिश के पीछे यह सरकार थी। लेकिन आज यह सरकार अपने ही जाल में फंस कर शीर्षासन की स्थिति में आ खड़ी हुई है और इसलिए इस सदन के सामने गुहार कर रही है। इस सरकार के कल के उस कृत्य को, जिसमें श्री अण्णा हजारे जी और उनके सहयोगियों को जिस प्रकार अवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा था, मैं समझता हूं कि कोई भी लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है, बिल्क उसकी निंदा करता है और इसलिए इस सरकार के उस कृत्य की निंदा करते हुए प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य को हम एक सिरे से खारिज करते हैं।

महोदय, सिविल सोसाइटी को मिल रहे समर्थन के पीछे कहीं न कहीं सरकार की विफलता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। यह सरकार अपने कृत्यों से आम जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ ही इसने देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है। आज बाहर आम जनता के द्वारा इस संसद के ऊपर, देश की न्यायपालिका के ऊपर और कार्यपालिका के ऊपर जो प्रश्निचह्न लगाये जा रहे हैं, वे अचानक नहीं लगाये जा रहे हैं। यह लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है, यह लोकतंत्र को रौंदना चाहती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार सहमित और असहमित होते हैं, जहां दोनों के लिए स्थान हो, वही लोकतंत्र है। लेकिन यह असहमित होने पर जहां कोई इस सरकार की हां में हां नहीं कहेगा, यह उसे लाठी और गोली के बल पर दफन कर देना चाहती है, उसे कुचल देना चाहती है। यह बात इस वर्ष की पिछली घटित तमाम घटनाओं के माध्यम से प्रदर्शित होती है। बाबा रामदेव जी के साथ इन्होंने जो किया, उसे कौन नहीं जानता है। इन लोगों ने गंगा रक्षा के एक

अभियान को इस देश के सामाजिक संगठनों से और बाबा रामदेव जी से किस प्रकार से हाईजैक किया था। पहले बाबा रामदेव जी को इन्होंने उसके माध्यम से खूब हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया। बाबा रामदेव जी ने जब विदेश में जमा काले धन को वापस लाने की वकालत की और उसे लेकर सरकार को ज्ञापन दिये, हस्ताक्षर अभियान चलाये,

देश के अंदर लगभग एक लाख किलोमीटर की यात्रा की, जनसभाएं की, व्यापक जनजागरण के अभियान चलाए और सरकार को बताने के बाद रामलीला मैदान में जब अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया तो वह इस सरकार की सहमति से किया था। सरकार ने परिमशन दी थी। सरकार के मंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। इसे कौन नहीं जानता है? लेकिन उनके साथ जो व्यववहार किया, जो व्यवहार पुलिस उनके साथ कर रही थी अगर उसी मुह्हार वहां पर आए हुए समर्थक करते तो इस देश के सामने क्या स्थिति होती? सरकार देश और दुनिया के सामने क्या मुँह दिखाती? लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र को कुचल कर इस देश के संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास किया, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के संविधान ने दिया है। उस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। 4 जून की रात्रि को बाबा रामदेव जी और उनके समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया था, उसे भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद तो फिर यह उन सब घटनाओं की आदि हो चुकी है। 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन लोगों ने जंतर-मंतर पर किया था, पुलिस ने किया था, सरकार हर मुद्दे से मुकरने का प्रयास कर रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या पुलिस इस देश को संचालित करेगी? अगर आपने पुलिस को इतनी स्वतंत्रता दी है तो मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने में आखिर आपको क्या दिक्कतें हैं? इसको लागू क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ पुलिस के आधुनिकीकरण की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने की बात नहीं करेंगे और दूसरी तरफ अपने गलत राजनीतिक स्वार्थों के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी करेंगे। पुलिस का दुरूपयोग करने के बाद जब बात हाथ से निकलेगी तो फिर उस मामले को पुलिस के हाथों में डाल कर केवल पुलिस को बदनाम कर पुलिस को अविश्वास का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जो पुलिस इस देश की रक्षा का दायित्व निभाती है, जिस पुलिस को आंतरिक सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है और जिसको जनता के मित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उसे स्वयं सरकार अविश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार का यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है।

महोदय, आज जन लोकपाल की बात और इस सरकार पर अविश्वास की बात अचानक नहीं हुई है। सरकार के लोकपाल बिल पर आज सिविल सोसाइटी और इस देश की आम जनता को विश्वास क्यों

नहीं है? क्योंकि लोग जानते हैं कि इसी सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति की थी। सीवीसी की नियुक्ति में जिस प्रकार की धांधली हुई थी, जिस प्रकार के दागदार छवि के व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया था, लोग जानते हैं कि यह सरकार अगर लोकपाल बनाएगी तो इस सरकार के उस कृत्य में भी जरूर कोई शरारत छुपी होगी। इसीलिए उस शरारत को दरिकनार करने के लिए, उस शरारत को हटाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से जन लोकपाल के बिल को यहां पर प्रस्तुत करने की मांग हो रही है। जन लोकपाल के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग भी सहमत नहीं हैं। हमने कहा है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर का स्थान है लेकिल यह मान लेना कि जो कुछ सिविल सोसाइटी देगी हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, यह कतई संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। संसद की सर्वोच्चता है लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र के जो तीन आधार हैं, लालू जी ने अभी यहां अपने भाषण में भी कहा और हम उनकी बातों से सहमति भी व्यक्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब लालू जी यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे और जब उन्होंने लोकतंत्र की बात की, क्योंकि वे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उन बातों को कहा कि इस देश में लोकतंत्र के तीन ही आधार हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का प्रतीक यह संसद है, न्यायपालिका का प्रतीक सुप्रीम कोर्ट है और कार्यपालिका का प्रतीक प्रधानमंत्री है। क्या आप लोकतंत्र के इन तीनों प्रतीकों को लोकतंत्र के इतर किसी ऐसी व्यवस्था के हवाले गिरवी रखेंगे जो अपने तरीके से पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल कर पाए। यह हमारी सहमति और असहमति का का प्रश्न हो सकता है। लेकिन सहमति और असहमति के बीच क्या यह संभव है कि सहमति और असहमति के बीच हम किसी की मौलिक स्वतंत्रता को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुचल कर रख देंगे। यह कतई संभव नहीं है और इसीलिए इस सरकार के इस कृत्य को जिसने लगातार किया है, 4 जून को किया है, 9 अगस्त को किया, 16 अगस्त को किया है, जो कृत्य यह सरकार लगातार करती जा रही है उन कृत्यों की हम लोग यहां पर निंदा करते हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार से धांधली हुई, वह सबने देखा है। मुझे लगता है कि कैंग की रिपोर्ट को यद्यपि ये खारिज कर रहे हैं। पिछली बार दिल्ली के अंदर एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और दूसरी तरफ डेंगू यहां के लोगों को निगल रहा जिस प्रकार से डेंगू की चपेट में पूरी दिल्ली आयी थी, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

सभापति महोदय: अब आप संक्षिप्त कीजिये।

योगी आदित्यनाथ: दिल्ली तमाम अन्य बीमारियों की चपेट में आयी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। डकैती कोई और डाल रहा था और मर दिल्ली के लोग रहे थे। फिर दिल्ली के अन्दर जो कुछ भी स्थिति पैदा हुई, उसके बाद इस सरकार का जो व्यवहार था, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2जी स्पेक्ट्रम का हो, इसके अलावा अभी आने वाले समय में केजी बेसिन का एक नया महाघोटाला सामने आने वाला है। एयर इंडिया का है ही, एयर इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आदर्श सोसायटी, तमाम घोटालों की यह सरकार है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये।

योगी आदित्यनाथ: इसीलिए इस सरकार के इस भ्रष्टाचार को देखकर आम जनता में गुस्सा है। आम जनता के उस गुस्से को यह सरकार समझे, आम जनता की भावनाओं को समझे। मैं यूपीए सरकार और खास तौर से कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दुनिया के अन्दर हो रहे परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करे। यद्यपि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन दुनिया के इन परिवर्तनों को समझकर तानाशाही और निरंकुश रवैया अपनाने से बाज आये। हम इस सरकार को एक बार पुनः चेतावनी देना चाहेंगे कि पुलिस का दुरूपयोग करके यह संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से कुचल देना चाहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति को जिस प्रकार से कुचलना चाहती है, उसे यह रोके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिस पर लगातार इसके द्वारा प्रहार किया जा रहा है, बाबा रामदेव का मामला हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकत्ताओं पर किया गया प्रहार हो, चाहे कल अण्णा हजारे और उनके सहयोगियों पर किये गये हमले का मामला हो, इन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस सरकार के इन सभी कृत्यों की जांच की जानी चाहिए कि कौन सी बाहरी ताकत है जो लाकतांत्रिक मूल्यों को इस सरकार के माध्यम से कुचलने के लिए बाध्य कर रही है।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बहस में मुझे भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया।

महोदय, मैं पहली बार सांसद चुनकर आयी हूं और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में लगभग हर महत्वपूर्ण बहस के मौके पर अलग-अलग पक्ष-विपक्ष के, अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं को, विष्ठ जनों को सुनकर हम जैसे पहली बार चुनकर आये सांसदों ने बहुत कुछ सीखा है। हमने पहली बार जाना कि किस तरह से संसद में बहस की शुरूआत होती है, संसदीय परम्पराओं का महत्व क्या है, किस तरह से संसदीय लोकतंत्र में गरिमा के साथ, सिहष्णुता के साथ एक-दूसरे के विचार को रखने और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए भी विनम्रता के साथ असहमित कैसे व्यक्त की जाती है। इसे मैंने पिछले दो वर्ष में इस संसद में आने के बाद, जिसे मैं अपने लिए लोकतंत्र की पाठशाला मानती हूं, यहां आने के बाद सीखा।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं और बहुत विश्वास के साथ, गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि इसी संसद में करीब दो-तीन दिन पहले की घटना है। जिस तरह से आप इस समय पीठ पर विराजे हैं, उसी पीठ पर एक अन्य दल के व्यक्ति विराजे थे और वे सभा का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त वे डिप्टी स्पीकर के तौर पर वहां पर बैठे थे। उसी समय बहस के दौरान एक दल के व्यक्ति अपना भाषण दे रहे थे। जब उन्होंने घंटी बजायी तो लाइटर मूड में कुछ दूसरे सांसदों ने टिप्पणी की कि ये आपके दल के हैं, आप इन्हें बोलने का अतिरिक्त मौका दीजिये। तब उस पीठ से उन्होंने कहा और मेरे जैसे पहली बार चुनकर आये सांसद के लिए यह बड़े गौरव की बात थी, गर्व की बात थी, उन्होंने कहा कि जब मैं इस पीठ पर विराजा हूं तब मैं किसी दल का नहीं हूं। मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पीठ पर विराजमान हुआ हूं। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की गंभीरता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ, माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा "Patience is the virtue of parliamentary democracy." मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम इस बात का और थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें तो हम सब लोग जो अपने-अपने संसदीय क्षेत्र का और इस देश के 120 करोड़ लोगों का यहाँ पर आकर प्रतिनिधित्व करते हैं, शास्त्र उनको भी हम इस तरह का गर्व करने का मौका दे सकें अगर हम केवल एक दूसरे की बात को सुन लें। विरोध रखें, असहमति व्यक्त करें, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ, विषय की गंभीरता को समझते हुए सुन लें।

महोदय, आज यहाँ बिल पर चर्चा नहीं हो रही है, मैं बिल की बात नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर नियम 193 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदया ने हमें चर्चा करने का अवसर दिया - अधिकार के ऊपर। अधिकार के साथ-साथ जन-अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं, उन लोगों की जन-अपेक्षाएँ, जो हम जैसों से यह उम्मीद करती हैं कि हम लोग उनके लिए कानून बनाएँगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बड़े ज़ोरदार तरीके से ''पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी'' की बात की। हम जैसे लोग पूरी तरह से उनसे सहमत हैं। मैं भी उसी स्टैन्डिंग कमेटी की सदस्य हूँ, जिस स्टैन्डिंग कमेटी में अभी चार दिन पहले माननीय अन्ना हज़ारे जी और उनकी टीम के अन्य सदस्य पधारे, अपने व्यूज़ रखने के लिए वे वहाँ पर बुलाए गए और वे आए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबने वहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनसे उस दिन भी निवेदन किया कि हम आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी स्टैन्डिंग कमेटी एक ऐसा बिल फाइनली पार्लियामैंट जब प्रैज़ैन्ट करेगी तो उस बिल पर इस देश के लोगों को भी गर्व महसूस होगा, ऐसा बिल हम यहाँ पर प्रैज़ैन्ट करेंगे।

मान्यवर, यहाँ पर पिछले समय में सत्याग्रह, अनशन जैसे कई शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है। माननीय अन्ना हज़ारे जी का हम बहुत सम्मान और आदर करते हैं। बाबा रामदेव जी का भी सम्मान करते हैं लेकिन सत्याग्रह के गर्भ में अगर असत्य बात छिपी होगी तो वह बात सही नहीं होगी। रामलीला मैदान अगर बुक किया जाएगा योग शिविर लगाने के नाम पर, और वहाँ पर यदि प्रदर्शन होगा तो वह बात सही नहीं होगी। अनशन के बारे में यहाँ पर कई विरष्ठ सदस्यों ने बात रखी। महात्मा गांधी ने अनशन ज़रूर किये लेकिन हमेशा उन्होंने अनशन अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए, और अपने विरोधी के मन में ग्लानि भरने के लिए किए। किसी को झुकाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया।

मान्यवर, मैं केवल एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। माननीय अन्ना हज़ारे जी से हममें से किसी का विरोध नहीं है। जो लोग उनके साथ जुटे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देशव्यापी मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत जुटे हैं। स्वयं अन्ना जी मानते हैं कि लोकपाल तो केवल एक कानून है और केवल एक कानून के बन जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त होगा नैतिकता के ऊँचे आदर्श स्थापित करने से, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे और उनकी बनाई हुई पूँजी को अपने रास्ते में अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे।

मान्यवर, मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो सिविल सोसाइटी आर्गनाइज़ेशन्स हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। काफी सारे विधेयकों पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए

बिल को जोकपाल कहना, बिल की प्रतियों को जलाना, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान की प्रतियों को जलाना और यह कहना कि 9 अगस्त को इस बार हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि - नेताओ, देश छोड़ो। महोदय, नेता तो सब हैं। नेता केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। नेता वे भी हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया अगेन्स्ट करप्शन की मुहिम जो लोग चला रहे हैं, उसके जो आंदोलनकारी हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे भी नेता हैं। इस तरह की क़ड़वाहट भरी बातों से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा नहीं बढ़ेगी, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न उठेगा और हम लोगों को अधिकार नहीं दे पाएँगे।

मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो उनका अरैस्ट हुआ, जो मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात की बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अन्य लोगों ने रखी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ।

17.00 hrs.

में उनसे कहना चाहती हूं, दुष्यंत कुमार जी का कहना भी रहा है- ''हिम्मत से सच बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, रो-रो कर बात करने की आदत नहीं रही।''

मान्यवर, हमें भी रो-रो कर बात करने की आदत नहीं है। लेकिन जब मौलिक अधिकारों की बाद होती है तो पूरे देश पर आज़ादी के बाद विहंगम दृष्टि डालें कि अधिकारों का हनन कब-कब हुआ है। जब गुजरात में 'परजानिया' पिक्चर पर प्रतिबंध लगता है तो वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य किसी प्रदेश में, इसमें में प्वाइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रही हूं सभी प्रदेशों की बात कर रही हूं। सिंगूर में जब पुलिस अत्याचार करती है, उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड की मांग करने वालों पर जब पुलिस कुठाराघात करती है, जब मणिपुर में आंदोलन करने वाली इरोम शर्मिला, जिसके बारे में इस संसद में बहस बहुत कम हुई है, जबिक वह भी लगातार कई वर्षों से आर्म्स एक्ट का विरोध कर रही हैं और अनशन करती जा रही हैं, तब उस पर चर्चा नहीं हुई। जब छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में आदिवासी भाई-बहनों पर अत्याचार हुआ और यही सिविल सोसायटी के लोग, स्वामी अग्निवेश जी विरोध दर्ज करने गए तो उनका भी विरोध हुआ। उनको विरोध करने नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के हनन का जो प्रश्न है, इस पर हमें बहुत-बहुत गंभीरता के साथ बात करने की जरूरत है। केवल हम और आप आपस में तू-तू मैं-मैं करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं।

में अंत में केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारा जो यह पवित्र सदन है, यहां पर लैण्ड एक्वीज़ीशन का क़ानून आना है, बेनामी ट्रांज़ैक्शन का क़ानून आना है, माइनिंग पॉलिसी बननी है, महिलाओं के सशक्तिकरण का क़ानून आना है और ऐसे कई क़ानून आने हैं, जिससे कि आम लोगों को

अधिकार मिलेगा और आने वाले समय में हमारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बिल थे, व्हिसिलब्लोअर्स की बात थी, ज्यूडिशियल स्टैंडड्र्स एण्ड एकाउंटेबीलिटी बिल की बात थी, ऐसे कई क़ानून जो पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करने वाले क़ानून हैं, उनका आना अभी बाकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए यह समझ लें कि हमारा जो क़ानून बनाने का काम है, उसको छोड़ेंगे, तो कहीं पर भी कोई वैक्यूम नहीं रहता है, उसको भरने के लिए दूसरे लोग आगे आएंगे और ऐसा ही इस मौके पर हुआ और होने की कोशिश हुई।

मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस मौके पर हम सब लोग यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में इस संसद के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं पर ख़रा उतरने का प्रयास करें। पहली बार सांसद होने के नाते मैं केवल आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूं।

MR. CHAIRMAN: Those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so. It will be treated as part of the proceeding.

17.04 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Chairman Sir, today Hon. Prime Minister of India has given a statement in this august House regarding the incident that occurred yesterday. My party RSP strongly believes that the Congress party is solely responsible for whatever happened. We have been observing that the entire cabinet has become corrupt on one hand while the prices of essential commodities has been escalating on the other. When on one hand unemployment is rising among the youths, on the other, the farmers are also not getting MSP for their produce, under such circumstances, Anna Hazare and Baba Ramdev gave the clarion call for a movement against corruption. But what did we find after that? The senior leaders and ministers of Congress met Baba Ramdev secretly, sat together and set up the draft committee. At that time, the Congress party had forgotten about the supremacy of Parliament and that it had the last say on any legislation to be made. At that time, the opposition was actually bypassed and thus complication arose.

When the draft Lokpal Bill was being prepared, Anna Hazare had opposed its salient features and later had declared that movement would be organised against it. At that time, the Government realized that Parliament was supreme and omnipotent. It is true that Parliament version of any law is final. But this realization dawned upon the Government much later. If extensive consultation had been done at that stage with everyone, this unwelcome situation might not

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

have arisen, therefore, I say that Congress is solely responsible for yesterday's incident.

We all know that people of this country enjoy certain fundamental rights granted by the constitution of India. They have the right to oppose any law of the Government, to organise any movement, or satyagraha, non-cooperation movement and even to resort to hunger strike. But now-a-days, these fundamental rights are shrinking. As a result, the tenets of democracy are going for a toss and the supremacy, integrity and dignity of the Parliament are also diminishing. This aspect must be considered.

Annaji had declared 15 days back that he would resort to a fight to the finish if his version of Bill is not accepted. The Government arrested him even before he could embark upon his movement and passed on the responsibility to the Delhi Police. Annaji had applied for permission beforehand but was denied the same. So many conditions were imposed as to the number of protesters, number of vehicles and duration of the fast etc. These were entirely against the fundamental rights to the citizens of the country. This was not proper on the part of the Government. Moreover the movement was to be very peaceful and there was no threat to the law and order situation of the city. The place from where he was arrested was not under Section 144. Not even five persons had gathered there; no violation of law had taken place. So the arrest was completely illegal. In other places, where genuine breach of rules are taking place, no action is being taken but here, unnecessary measures are being adopted. Thus the Central Government should shoulder the responsibility of whatever had happened. The Lokpal Bill which had been tabled and sent to the standing committee is very ineffective and weak. We want a strong, steady and effective Lokpal Bill through which the hopes and desires of the countrymen will be fulfilled. Moreover, the democratic rights of the people must be safeguarded and they should be free to exercise these without any favour or fear. This is the duty of the Government with

these words, I condemn that action of the UPA Government in the end and conclude my speech.

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अन्ना हजारे जी द्वारा जन लोकपाल बिल के बारे में किए जाने वाले आंदोलन और अनशन पर सरकार द्वारा की गई दमन कार्रवाई के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लोक सभा में निवेदन तथा स्पष्टीकरण के बाद समूचे विपक्ष की मांग पर सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है । पक्ष, विपक्ष की तरफ से इसमें अनेक तर्क दिए जा रहे हैं । आदरणीय अन्ना जी दिल्ली के जंतर-मंतर चौक से अपना अनशन शुरू करना चाहते थे । इसके पहले भी उन्होंने वहां पर अनशन किया था, तब जाकर सरकार को संयुक्त बिल ड्राफ्टिंग समिति की घोषणा करनी पड़ी । श्री अन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा सरकार को दिए गए सुझावों में से प्रमुख सुझाव सरकार के द्वारा नकारे जाने के बाद श्री अन्ना जी और उनके सहयोगी द्वारा बिल की होली की गई और 16 अगस्त से राजधानी दिल्ली में अनशन की घोषणा की, लेकिन सरकार ने अनुमित नहीं देने से आज यह मामला जनलोकपाल बिल से नागरिक अधिकार हनन का बन गया है ।

आदरणीय अन्ना हजारे जी को देशभर में मिल रहे समर्थन से सरकार पशोपेश में पड़ गई है । देश में नागरिक अधिकारों के संरक्षण का जिम्मा जिसके पास है, वह सरकार आज पुलिस का सहारा लेकर नागरिक अधिकारों का हनन करती दिखाई दे रही है । हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो इसकी आपातकाल से तुलना की है ।

इसका मतलब संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिला उसका सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। संविधान में सरकार के विरोध, प्रदर्शन करने की आजादी दी है, फिर सरकार पुलिस का सहारा लेकर हमारी यह आजादी छीन नहीं सकती । 16 अगस्त को लोक सभा और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष को सरकार पक्ष की ओर से बोलने नहीं दिया क्या यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का गला घोंटना नहीं है । इसका निषेध करना चाहिए । सरकार ने अन्ना को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया । अन्ना जो कि अपने अहिंसा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उन पर आंदोलन हिंसात्मक होने की आशंका जता कर कार्रवाई करना सही में आपातकाल की याद दिलाता है । इसके पूर्व 4 जून, 2011 को रामलीला मैदान में सो रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई दमनकारी कार्रवाई, लाठीचार्ज सबने देखा क्या यह सरकार सही मायने में नागरिक अधिकारों की हिमायती होने का दावा कर सकती है ।

^{*} Speech was laid on the Table

हम जनतंत्र में जी रहे हैं, इसमें विरोध तो एक अंग माना जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी यह सरकार अपने विरोध में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती, यह लोकतंत्र नहीं हो सकता । सरकार हुकुमरानों की तरह बर्ताव कर रही है । अब सुनने में आया है कि सरकार अन्ना को रिहा कर अन्यत्र ले जाना चाहती है । मगर रिहा होने के बाद भी श्री अन्ना तिहाड़ जेल से जाने को राजी नहीं है । इसका मतलब है अन्ना का सरकार के आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं । रामदेव का जो हाल सरकार ने किया वह हमारे सामने है । ऐसे समय अन्ना सरकार से बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं तो बुरा क्या है। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । अगर अन्ना को जन लोकपाल बिल में त्रुटियां नजर आती है तो उसे कहने का भी हक है । आज सरकार जनता में भी अपना विश्वास खो चुकी है । इसलिए अन्ना हजारे जी के आंदोलन को देश भर में समर्थन मिल रहा है । लेकिन सरकार भ्रष्टाचारों के कई आरोपों में घिरने के बाद भी भ्रष्टाचार के बारे में कड़ी कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है । सत्ता पक्ष के मंत्री. सांसद भ्रष्टाचारों के आरोपों के कारण तिहाड़ जेल में बंद है । लेकिन सरकार काले धन और भ्रष्टाचार मिटाने की कोरी बातें कह रही हैं । प्रधानमंत्री की छवि स्वच्छ होगी लेकिन देश के मुखिया के नाते उनके मातहतों द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार पर मूकदर्शक बने प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह दोषी है । इस पर भी विचार हमें करना होगा। देश के कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र में पानी मांगने गए किसानों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने से तीन किसानों की मावल में मौत हो गई । क्या यह सरकारी तंत्र है कि पुलिसिया तंत्र है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यवहार से साबित किया है । 9 अगस्त क्रांति दिन के दिन भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए देशभर से आए लाखों युवा जो भाजपा के युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चे के थे उन पर सरकार ने लाठियां भांजी उनका क्या दोष था । क्या सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों की चिढ है, इसलिए सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं । लेकिन अब आम आदमी की समझ में ये सारी बातें आ रही हैं । यह सरकार देश की अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार का तमगा हासिल कर चुकी है । इसे अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं । प्रधानमंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में जिन बातों का जिक्र किया है उसका अनुपालन करने में सरकार कतरा रही है । फिर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भरोसा कैसे किया जा सकता है । केवल बातें कहने से अब कुछ नहीं होगा तो इस पर अमल कैसे होगा । इस पर आम जनता का निर्णय होगा । नागरिक अधिकारों के हनन के लिए इस सरकार की जितनी निन्दा की जाए कम है।

*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): मुझे अत्यंत खेद है कि जो कल अन्ना हजारे के उपर जो रवैया अपनाया गया है। जो इस सरकार ने जनता के प्रति जो क़ूर व्यवहार किया है और कर रही है इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव वर्ष 2014 में दे के रहेगी

जनता को पता चल चुका है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि तानाशाही भी है । केन्द्र, सरकार ने सत्ता के बल प्रयोग द्वारा जो जनता के प्रति र्दुव्यवहार किया गया हे , वह जनता इस सरकार को बकसने वाली नहीं है ।

हमारा देश लोकतंत्र शाषित देश है, विरोध प्रदर्शन करना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है वह कहीं भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकता है, और कल अन्ना हजारे जी देश की जनता के साथ एक शांतिपूर्वक अनसन में बैठने जा रहे थे लेकिन सरकार अपने बल प्रयोग के द्वारा अन्ना जी के अनसन को असफल कर दिया ।

यह तानाशाही सरकार अन्ना के अनशन को असफल नहीं बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया है यह जनता को भी पता चल चुका है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी ।

सरकार और सरकार के समर्थक पार्टी जो अन्ना हजारे के प्रति तरह-तरह के कमेंट दे रहे हैं, उस कमेंट से जनता का आक्रोश कम नहीं हो सकता है बल्कि जिन पार्टियों ने अभी अन्ना हजारे के उपर तरह तरह कमेंट दे रहे हैं और उन पार्टियों को भी आने वाले चुनाव 2014 में यह जनता नहीं बकसने वाली है, क्योंकि यह अन्ना हजारे नहीं बल्कि यह पूरे देश की जनता है।

यदि अन्ना हजारे गलत होता तो उन्हें लाखों जनता का समर्थन नहीं मिलता । जनता इस सरकार को समझ चुकी है , कि यह सरकार जनविरोधी है ।

_

^{*} Speech w as laid on the Table

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me a chance to participate in the debate on the Prime Minister's Statement.

The whole country is now boiling because of price rise. The common people are facing a lot of difficulties and they are living from hand to mouth in this situation. On the other hand, what we are seeing is that corruption is increasing by leaps and bounds day by day. From the very beginning of the UPA-II Government, there have been various scandals like the Commonwealth Games scandal, Adarsh Housing Society scandal, 2G Spectrum scandal and K-G Basin scandal.

Sir, these are the various problems which are being faced by the common people of our country. What we have seen is that the people are protesting in various voices, in the form of demonstrations, *dharnas* etc.

Day before yesterday our country has celebrated the 65th Independence Day and the Monsoon Session of Parliament is also continuing. What have we seen yesterday? Anna Hazare wanted to sit on a demonstration and Delhi Police, under the direction of the UPA-II Government, arrested him, and later wanted to release him. What is the message that is going to the people of our country? This is not the common attitude of our country. The issue is of civil liberty which has been attacked upon by the Delhi Police yesterday. The action of Delhi Police is unlawful and undemocratic.

Sir, the Government is itself creating problems. What have we seen before? There was the camp of Baba Ramdev. The Ministers went there, sat with him and talked with him. Then, we have seen that the Government consulted Anna Hazare in regard to framing the Lokpal Bill. The Cabinet Ministers of UPA-II Government have drafted a Lokpal Bill, but they are adamant on their position. The Opposition is adhering to the Government in all respects in defending the supremacy of Parliament, just as we want a strong Lokpal Bill, which includes the Prime Minister also.

What is the message that is going in our country regarding corruption? Corruption is a vital issue in our country. The politicians and the leaders are sending this message to our country that they are adhering to their position. In connection with framing the Lokpal Bill, I would like to submit that a strong and effective Lokpal Bill must be made so that it would have a demoralising effect on corruption in our country, which has been emerging day by day in all the electronic media and print media of our country.

Sir, I, on behalf of my party, All India Forward Bloc, condemn whatever incident took place yesterday. Sir, through you, I also urge upon the Government to include the Prime Minister in the strong and effective Lokpal Bill.

खॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपना दुख व्यक्त करके जो बयान दिया है, मैं उसका पूरा समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह अर्द्ध सत्य है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। इस देश में कौन राज कर रहा है, पुलिस राज कर रही है या प्रधान मंत्री जी राज कर रहे हैं। कौन किस के ऊपर है? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इधर बैठे हैं, गृह मंत्री जी पुलिस को चला रहे हैं या पुलिस गृह मंत्री जी को चला रही है, यह मैं इनसे पूछना चाहता हूं? यह जनतंत्र की हत्या है, हमारे नागरिक का जो बुनियादी अधिकार है, उनके ऊपर यह बलात्कार है। इससे हमें याद आता है, जब मैं सन् 1975 में 16 साल का विद्यार्थी था, जब हमारे देश में इमर्जेंसी लागू कर दी गई थी। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में हम लोग सुन रहे थे कि यह एस्मा था, नासा था, मीसा था। उसके बाद भी इस देश में पोटा हम लोगों ने देखा है। आज भी यू.पी.ए. है, आज भी AFSPA जैसे ड्रैकोनियन लॉ हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं करते हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को अर्जी पेश करुंगा कि ये सब जो ड्रैकोनियम लॉ हैं, इनको वापस लेना चाहिए, इनको हम लोग समर्थन नहीं दे सकते हैं।

कल अन्ना हजारे जी के साम्हां घटना घटी, इसकी मैं बहुत जोर के साथ निन्दा करता हूं। I condemn this incident, that is, in whatever way the Government has tackled the incident of Shri Anna Hazare and his associates. देश के कोने-कोने में आज जो हो रहा है, कोई भी जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक आन्दोलन, चाहे किसानों का हो, छात्र-नौजवानों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, आन्दोलन जिधर भी हो रहा है, उनके साथ आज अन्याय हो रहा है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह अन्याय है। हमारा संविधान इसको समर्थन नहीं देता है। उसके लिए खाली हमारी यू.पी.ए. सरकार को नहीं सोचना है, बल्कि जो आज इधर बैठकर भी उनका विरोध कर रहे हैं, उनको भी सोचना है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है, कई प्रदेशों में ऐसी सरकारें हैं, जो कि सच्ची राज कायम नहीं कर रही हैं और लोकतांत्रिक आन्दोलन को कृचलती रही हैं, उनका भी मैं विरोध करता हूं। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए।

हमारे प्रदेश में कुछ दिन पहले जो लैफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, वह भी सुशील समाज और सिविल सोसायटी की बात नहीं सुन रही थी। वह भी पुलिस की ताकत पर जनता पर हमला (Interruptions) ... * कर रही थी। उसके बाद उनका क्या हाल हुआ, वह आप लोगों ने भी देखा है और पूरे देश ने भी देखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार का भी वैसा हाल हो, जो सिविल सोसायटी के साथ ऐसा कर रही है।

* Not recorded

महोदय, मैं आपसे यही चाहूंगा, मैं आज यू.पी.ए. सरकार के पास अर्जी पेश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अन्ना हजारे जी और उनके एसोसिएट्स को कहीं भी बैठने के लिए, उनको कुछ भी कार्यक्रम करने के लिए इजाजत दीजिए। यह हमारे देश के लिए एक महान कार्यक्रम है।...(<u>व्यवधान</u>) सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

हमारे देश के एक महान कलाकार, साहित्यकार शरद् चन्द्र जी ने कहा था, उस समय जब हमारा भारत पराधीन था, हमारे देश में जो रूल करते हैं और जो रूल्ड हैं, जो शासन करता है और जो शासित होता है, उनकी सोच जब एक हो जाती है तो देश के लिए भयंकर खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा था कि अब ब्रिटिश पुलिस और आई.बी. इंटेलीजेंस ब्रांच हमारी Conscience Keeper होगी। हम आज प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हैं कि क्या आपकी पुलिस आज हमारे देश के लोकतंत्र की Conscience Keeper होगी? क्या उनकी बातों पर हम लोगों को चलना पड़ेगा, कितने तक हम जाएंगे, किधर बैठेंगे, हमको मरने का भी अधिकार नहीं है, अनशन करने का अधिकार नहीं है, स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है, आन्दोलन करने का अधिकार नहीं कर सकते हैं।

आप जल्दी से जल्दी उनको बाहर आने दीजिए और उनके आन्दोलन को आगे बढ़ने दीजिए, यही हमारे लोकतंत्र को और शक्तिशाली करेगा, महत्वपूर्ण करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): श्री अन्ना हजारे को सुबह पकड़ना और शाम को रिहाई के आदेश देना यू-टर्न जैसा कृत्य है सरकार को ऐसे संवेदनशील मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिये । इस तरह के कृत्यों से सरकार की गरिमा गिरी है संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने का मौका मिला है और प्रधानमंत्री का वक्तव्य स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है ।

श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना और रिहा करना पूरी तरह से पुलिस का कृत्य नहीं होता है, अतः प्रधानमंत्री के वक्तव्य में पूरे घटनाक्रम की स्पष्टता नहीं होने के कारण मैं इसकी निंदा करता हूँ ।

^{*} Speech was laid on the Table

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal to intervene.

श्री किपल सिब्बल: सभापित महोदय, आज मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पक्ष में खड़ा हूं और हिन्दी में बोल रहा हूं, क्योंकि, अक्सर जब मैं खड़ा होता हूं और अंग्रेजी में बोलने की चेष्टा करता हूं, छोटी-मोटी, टूटी-फूटी अंग्रेजी मुझे आती है तो मुझे यह बताया जाता है कि आप हिन्दी में क्यों नहीं बोलते। आज मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बड़ी-बड़ी बातें मुलायम सिंह जी ने भी और शरद जी ने भी मानवाधिकारों की कहीं कि हर एक को संविधान ने कुछ मानवाधिकार दिये हैं। मुझे भी अपनी भाषा में बोलने का मौलिक अधिकार दिया है, अंग्रेजी में बोलने का, बंगला में बोलने का, पंजाबी में बोलने का या हिन्दी में बोलने का, लेकिन इस सदन में जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि, आप लोग हमेशा विरोध करते हैं। चिलए आपकी बात मान ली। जो बहस मैं सुन रहा था ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक परसेंट लोग ही सुनेंगे और इसमें बोलेंगे तो 85 परसेंट लोग सुनेंगे।

श्री किपल सिब्बल: आप सही कह रहे हैं। आप मेरे भले के लिए ही कहते हैं। हमेशा विपक्ष जो मुझे राय देता है और सरकार को हमेशा भले के लिए कहता है। मैं इस बात को भी मानता हूं।

सभापति वय : कृपया चेयर की ओर देखें।

श्री किपल सिब्बल: जो मूल बात है, जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि नहीं हुयी। चर्चा इस पर हो रही है कि किन परिस्थितियों में अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया? यह सवाल उठ रहा है कि क्यों अन्ना जी अभी तिहाड़ जेल में है, क्यों रिहा नहीं हुए, किन परिस्थितियों में रिहाई नहीं हुयी और उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हुआ। इन सब सवालों का जवाब माननीय गृह मंत्री जी देंगे, लेकिन एक मूल बात में आपके सामने रखना चाहता हूं। हम अन्ना जी की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जब यह अनशन शुरू किया, तो उसके पीछे मूल भाव क्या था, किसलिए यह अनशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, यह बात सामने आनी चाहिए और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। वजह केवल एक है और उसे अन्ना जी खुद कहते हैं। वह कहते हैं कि या तो हमारा जन-लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लाओ, अगर नहीं लाओगे तो मैं अनशन करूंगा। यह मूल बात है। उनके अनशन की कोई और वजह नहीं है। यह एक वजह है। हमें संसद में बैठे हुए यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, इस अनशन का मकसद यह है

कि आने वाले दिनों में जब भी कोई व्यक्ति, कोई नागरिक यह मांग करेगा कि मैंने जो विधेयक तैयार किया है, उसी विधेयक को संसद में आना चाहिए और अगर नहीं आएगा तो मैं अनशन पर जाऊंगा, क्या यह संवैधानिक है? इसका मतलब यह हुआ और अगर इस सवाल का जवाब है कि यह संवैधानिक नहीं है, तो इसका मतलब जो मूल भाव इस अनशन के पीछे है, वह भी असंवैधानिक है। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: ऐसा नहीं है। नेता सदन भी इस पर ...(<u>व्यवधान</u>) कोई नहीं चाहता कि ज्यों का त्यों हो जाए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: बिना अनुमति के बोलने पर कुछ भी प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

(Interruptions) ...*

MR. CHAIRMAN: Please take the permission of the Chair first and after that only you should speak.

श्री कपिल सिब्बल: सभी सांसदों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या यह मांग संवैधानिक है और अगर मांग संवैधानिक नहीं है, तो फिर क्या यह अनशन संवैधानिक है? आज हम 64 साल के बाद इस स्थिति में पहुंचे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जो यह चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। अगर हम यहां बैठे हुए अपने संविधान की, अपने पार्लियामेंट की निंदा करेंगे और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे, जो संविधान का ढांचा बना हुआ है, उस पर आंच आने देंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप से बहुत अन्याय कर रहे हैं। केवल अपने आप से ही नहीं देश की जनता के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। यह मूल सवाल हमारे सामने है। आज कहा जा रहा है कि आपने बड़ा अन्याय किया। आपने मौलिक अधिकारों का हनन किया। हमारे कोई मौलिक अधिकार हैं या नहीं, संवैधानिक अधिकार हैं या नहीं, हम जो यहां बैठे हुए हैं, हमारा क्या सरकार यह बिल लाई। आपने कहा कि अन्ना से क्यों बात की? हमने तानाशाही की वजह से बात नहीं की। एक मांग थी, एक चर्चा थी, एक सोच थी इसलिए बात की। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनिए। We are a democratic party. We believe in transparency. We believe in openness. हम आप से बात करने के लिए तैयार हैं। उन परिस्थितियों में हम ने बात शुरु की। उनके साथ नौ मीटिंग्स की। उसके बाद हम राजनीतिक दलों के पास आए। हम ने कोई असंवैधानिक बात नहीं की। आप के चिचर्चा की। ... (व्यवधान) हम 23 जुलाई को आए, तीन जुलाई को आए। आप के पास लेट या जल्दी आए वह अलग बात है। हम आप के पास आए। जब तक आप के साथ चर्चा नहीं हुई हम ने बिल

^{*} Not recorded

संसद में पेश नहीं की। हम ने कहा कि हम आप की बात सुनेंगे उसके बाद राजनीतिक दलों के पास जाएंगं। उन से राय लेंगे। हम ने चिट्ठी लिखी। आप को आपित हो सकती है लेकिन जब हम ने चिट्ठी लिखी तो कुछ लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद संसदीय बैठक बुलाई गई। आप लोगों की राय ली गई उसके बाद हमने बिल पेश किया तो हम ने कौन सी असंवैधानिक बात कर दी? हमारे ऊपर एक आरोप लग रहा है कि हमने संविधान का उल्लंघन किया। इस मूल बात की अगर बहस हो तो मैं समझता हूं कि सारा सदन एक होगा। सारे सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो सदन का मेम्बर नहीं है उस का कोई संवैधानिक हक नहीं है कि वह कहे कि हमारा कानून पास होगा अगर नहीं होगा तो हम अनशन पर जाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): आपने उन से केवल बात नहीं की। आप ने तो उनके साथ बैठ कर झ्रिफ्टिंग कमेटी बनाई। जबिक हमारे साथ लोकपाल के बारे में बात ही नहीं हुई, पत्र जरूर लिखा था। आप बात ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो उनके साथ जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार इस सदन के पार्टियों के साथ किया, नहीं किया। जीवन के पिछले 50 सालों में मैंने अनेक ऑल पार्टी मीटिंग्स देखी हैं। पहली ऑल पार्टी मीटिंग थी जिस में लगभग सभी पार्टियों ने सरकार की इस बात पर केवल आलोचना की। आपने पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को बाइपास कर इनके साथ बैठ कर झ्रिफ्टिंग कमेटी बनाई। पांच लोग उनके और पांच लोग हमारे। इस को करेक्ट करना जरूरी था।

श्री किपल सिब्बल: आडवाणी जी मैं आप का आभारी हूं कि आप ने सदन में यह बात रखी। इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरा जवाब यह है। हमने पार्लियामेंट को कभी बाइपास नहीं किया। ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप एक उदाहरण दीजिए कि इससे पहले कभी ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार के पांच मंत्री और पांच सोकॉल्ड सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों से बैठक की हो। इसका भी जवाब दीजिए कि सुबह सुषमा जी ने जो कहा कि हम को सुन कर आश्चर्य हुआ, अन्ना हजारे की टीम से जब हम से वह मिलने आए कि हम ने तो सरकार से कहा कि विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी उस में लीजिए। मुझे नहीं पता।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You will never believe us. It was never discussed. They did never say. I was Chairman in that meeting. They said that you invite us in the all Party meeting on 3rd July 2011. I said we are unable to invite you because you are not from political party. Therefore, if you want to place your views to the political party, you are free to do so. The entire proceedings have been recorded, who said what has been recorded. It was never said and it is not correct. I wrote to all political parties. I wrote to all the Chief Ministers belonging to different political parties. And that letter was written before the last meeting with the drafting committee. In respect of the draft committee, I made it quite clear before the meeting started that this is a new experiment we are doing. Normally the Bills are drafted by the civil servants in the Ministry. This time we are having exchange of views with the representatives of the civil society. When he was sitting on dharna, many political parties supported it, they sent their representatives, they sent their people to him. Therefore, we told them that this was an exercise we were making and that there was no precedent. But the normal practice of law-making after we conclude discussions with you, draft me Bill, we will discuss with the political parties. In between I got the comments of the Chief Ministers, political parties; shared the comments with them. And thereafter the political parties meetings were called. You were present. I was present. All of us were present. We know who said what.

SHRI L.K. ADVANI: You have not clarified what was said by Sushmaji. Were they telling something to us which was not true?

SHRI KAPIL SIBAL: Not true.

SHRI L.K. ADVANI: This was said by Sushmaji even at that all-party meeting when she initiated the debate and no one, not even from the Government, even at the end contradicted what she said.

SHRI KAPIL SIBAL: It was not necessary.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Why should I contradict? How am I privy to what transpired between Anna Hazare and Sushmaji?

SHRI L.K. ADVANI: You yourself admitted that this is a unique experiment which has not been tried before.

SHRI KAPIL SIBAL: We said it on the first day that this is a unique experiment that we are trying and it is not unconstitutional. This is nothing unconstitutional nor undemocratic. Let us be clear about that. ... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I spoke to you over phone. You said your politburo has supported Mr. Anna Hazare's first thing. I spoke to you over phone. ... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: We have given a written note. We supported some of the demands of Anna Hazare and not his movement.... (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): The Government initially promoted Anna Hazare. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापित जी, मैं मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि आपने कहा कि यह एक यूनीक एक्सपैरीमैंट था जो अनकौन्सटीट्यूशनल नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, एक यूनीक एक्सपैरीमैंट था जो अनकौन्सटीट्यूशनल नहीं था। लेकिन जब वह एक्सपैरीमैंट असफल हो गया तो आप उसी व्यक्ति को रिडिकूल क्यों कर रहे थे। आपने देखा कि टीवी पर किस तरह मुंह बना-बनाकर आप कह रहे थे कि यह तो चेहरा दिखाना चाहता है, यह तो टीवी पर आना चाहता है, यह तो बस्ती के लोग लाना चाहता है। जिस व्यक्ति के साथ आप वार्ता करने के लिए बैठे, अगर एक्सपैरीमैंट असफल भी हो गया तो कम से कम उसकी इज्जत रिखए, उसका सम्मान कीजिए, रिडिकूल तो मत कीजिए। आप तो टेलीविजन पर उस आदमी को रिडिकूल कर रहे थे।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded

श्री किपल सिब्बल: सुषमा जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका बड़ा नर्म दिल है और आप चाहती हैं। बात भी सही है कि हमें किसी को रिडिकूल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी को रिडिकूल किया जा रहा है, आपने तो उठकर कभी नहीं बोला।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यहां भी कहती हूं।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आपने आज सुबह नहीं बोला।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं अभी सदन में बोलती हूं।...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: आपने सुबह से नहीं बोला। हमारे प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी देकर रिडिकूल किया जा रहा है। सुषमा जी, आपने कभी एक बात भी उनके बारे में कही?...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी, मैं सदन में ऑन रिकार्ड कहना चाहती हूं कि अन्ना जी ने जो पत्र में लिखा, उनके वाक्य कुछ आपत्तिजनक थे। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने सुबह क्यों नहीं कहा?...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सुबह तो बात ही दूसरी हो रही थी।...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल : सुबह तो बात ही दूसरी थी।...(व्यवधान) सुबह कहना चाहिए। श्री अन्ना जी के प्रति आपका इतना नर्म दिल है तो आपको सुबह यह बात कहनी चाहिए थी।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं नर्म दिल की बात नहीं कह रही हूं। मैं ऑन रिकार्ड कह रही हूं कि आपने एक प्रश्न उठाया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी, आपस में चर्चा न करके चेयर के थ्रू बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपने एक प्रश्न उठाया कि अन्ना हजारे जी द्वारा लिखे पत्र में कुछ वाक्य बहुत आपत्तिजनक थे। मैं उनका समर्थन नहीं करती हूं। लेकिन मैं यह कहती हूं, चिदम्बरम जी को भी यह कहती हूं कि उन बातों का जवाब भी शालीनता से दिया जा सकता है।

सभापित जी, शालीनता और आक्रामकता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आक्रामक से आक्रामक बात भी शालीनता से कही जा सकती है। उसका जवाब यह नहीं है कि वह व्यक्ति ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भ्रष्ट है। वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यह उसका जवाब नहीं है। शालीनता से उस वाक्य का भी जवाब दिया जा सकता था। (व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी, आप चेयर की ओर देखेंगे, तो व्यवधान कम होगा। ...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: सभापित जी, चर्चा मूल बात से कहीं दूर जा चुकी है। मैंने जो मूल बात कहनी थी, वह कह दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसी पेड़ को हम काट रहे हैं। यह बात हम सबको सोचनी चाहिए कि हम उसी पेड़ को काट रहे हैं। आज हम संसद की गरिमा को कम कर रहे हैं। आज हम एक बाहरी आदमी को एक हक दे रहे हैं और यहां चर्चा कर रहे हैं कि आपने उसके साथ ...(व्यवधान) हमें सबको मिलकर यह कहना चाहिए ...(व्यवधान) हम सभी यहां बैठे हुए यह तय करते हैं कि आइंदा से कोई भी ऐसा सिविल सोसायटी का नुमाइंदा मांग करे कि संसद में जो कानून है, वह हमारे द्वारा बनेगा, हमारा कानून बनेगा, तो हम सब उसकी निंदा करेंगे। यह बात आपसे निकलनी चाहिए और यह संदेशा देश के व्यक्तियों को जाना चाहिए।...(व्यवधान) अगर आप उठकर यह बात करेंगे, तो लगेगा कि हम संसद की हिफाजत कर रहे हैं। आज आप संसद की हिफाजत नहीं कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान) संसद की हिफाजत नहीं कर रहे। ...(व्यवधान) यह चुनौती मैं आपको देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर रहे, आप डेमोक्रेसी की हिफाजत नहीं कर रहे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain peace. Hon. Minister may continue his speech. ... (*Interruptions*)

श्री किपल सिब्बल: शरद जी ने एक बात कही कि अगर आप हमारी राय से चलते, तो शायद ठीक रास्ते पर चलते। ...(व्यवधान) शरद जी ने यह कहा। हमें कहा कि विपक्ष की राय से चलते, तो सही रास्ते पर चलते। विपक्ष की राय विपक्ष को दें और जो रास्ता उन्हें जनता ने दस साल के लिए दिया है, उसी पर चलें या वर्ष 2014 का इंतजार करें। जनता फैसला करेगी कि कौन जनता के साथ है और कौन जनता के खिलाफ है। ...(व्यवधान) हमें राय मत दीजिए। ...(व्यवधान) दुनिया बड़ी बदल गयी है। ...(व्यवधान) शरद जी ने सही कहा कि दुनिया बड़ी बदल गयी है, दुनिया को पहचानो। हमारे देश के हित के लिए जो कानून हमने संसद में रखे हैं, जल्द से जल्द पास करो तािक देश में परिवर्तन हो, देश में उन्नित हो, जनता के लिए और आम आदमी के लिए कोई काम हो। ...(व्यवधान) संसद को रोज-रोज बंद करना हमारे कानून,

लेजिस्लेशन को पास नहीं करना, यह कोई देश के हित की बात नहीं है। आप चर्चा करो, लेकिन संसद को चलने दो, उसका उल्लंघन नहीं करो।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): This is really sad that in a democratic government of India should resort to such inhuman activities when demonstrations are not being allowed to be done in a peaceful and democratic way. The arrest of Anna Hajareji was really illegal because in a democratic country like India resorting to such mannerism is very saddening. This shows India in a poor light in the international arena. The Government should resort to such tactics for people like terrorists and naxals and not civil society people like Annaji.

The Government should change its attitude and stop suppressing such strong reactions from the people. Because this will send a wrong message in people that the Government is not serious in eradicating corruption from India. So, the Government should be more diplomatic and listen to people and their needs

^{*} Speech was laid on the Table

*DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I am extremely thankful to you for permitting me to react on Hon'ble Prime Minister's speech on the issue of Democratic protest of Shri Anna Hajare Ji.

It was extremely embarrassing and shameful the way this Government has tackled the issue. This Government had reacted against the spirit of Constitution of India framed by Baba Saheb Ambedkarji and in unconstitutional manner.

I respect the supremacy of Parliament in framing the Lokpal Bill to curb the corruption. But this Government earlier acted in panicky manner and disregarded the entire opposition and conducted dialogue with members of Civil Society headed by Shri Anna Hazareji.

Later on, the senior Ministers of Government and spokesperson of Congress party attacked Anna Hazareji and charged them as corrupt. He equated him as "A" gang, this is very much unfortunate and against the spirit of Democracy. It was unwanted and false charge targeted to them.

On 16th August, after series of discussion and changing the places for "Indefinite Hunger strike" on Gandhian way, Government changed its stand and imposed the 144 rule at J.P. Park where Govt. earlier agreed. Govt. also imposed unconstitutional terms and condition and Anna Hazareji was arrested in haste. The agitation spread to entire nation and Govt. came on back foot resulting in to ordering the release of Annaji.

Sir, I demand Annaji should be released from Jail. He should be allowed to continue the stir and should be assured for Lokpal Bill by including Prime minister in it.

^{*} Speech was laid on the Table

*SHRI NIMMALA KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon. Chairman Sir, Shri Anna Hazare's arrest is unconstitutional, because this Government, instead of bringing in effective Lokpal Bill and fight corruption as desired by people of this country, is trying to stop this process. If we look at the history of scams in our country, from Bofors scam to recent 2G Spectrum scam, all these scams happened during Congress party's regime. In such circumstances, it is ridiculous to state Lokpal as non constitutional body. In many countries, Ombudsman system is operational and they are even questioning, head of their nations. And these nations are not treating Ombudsman as non constitutional body. In fact, we all know finance Commission and Planning Commission, though they are constitutional bodies, they are working independently. Similarly, to think that Lokpal system would emerge as parallel Government is not proper. Lokpal would be appointed by the Government. Institutions like CEC are autonomous. Though they are appointed by the Government, they have independent authority. Though constitution has provided for functions of these institutions, it would be improper to say that these institutions are independent. There is a need to bring Prime Minister in the ambit of Lokpal. Telugu Desam Party is clear in this regard.

Supreme Court has clearly defined 'Public Servant' and also ruled that under 'Prevention of Corruption Act', Prime Minister is liable for investigation. We have a precedence of examining our then Prime Minister Late Shri P.V.Narsimha Rao in JMM bribery case. When civil society is striving to make our country corruption free, it is unfair on the part of the Government to act in vengeful manner. Instead, the Government should support persons like Anna

^{*} English translation of the speech originally delivered in Telugu

Hazare and bring effective Lokpal Bill. This is my demand to this Government. For last 40 years, this Bill was kept pending. And it reflects short comings of our political system. We should accept this fact and work to bring an effective Bill. When Anna Hazare started this movement, he was ridiculed. Later, it was agreed to constitute a Joint Drafting Committee. At that point of time, it was agreed because there were elections in five states and it was not a sincere gesture. I demand release of Anna Hazare and once again state that his arrest is unconstitutional and condemn this act of Government. With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN: Dr. Mirza Mehboob Beg - not present.

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I heartily thank you for giving me this opportunity to speak in this discussion on the statement made by the Prime Minister this morning on the arrest of Anna Hazare.

Hon. Prime Minister, in his lengthy statement, had elaborately described the situation and circumstances leading to the arrest of Anna Hazare. The statement of the Prime Minister has also explained extensively about the legislative powers and the rights vested with the Parliament.

It is stated in the statement that permission was granted to Anna Hazare but it was not acceptable to him and due to the stubbornness certain actions were about to be taken by him which led to apprehensions that the law and order situation will be affected and hence the Government was conditioned to a situation leading to his arrest. This is what the Prime Minister had stated in his long statement.

He had stated that the Government is not against peaceful protests. Though the Prime Minister had stated that the arrest was made only to ensure law and order, it could have still been handled better. This arrest has created in the minds of the people a kind of negative reaction against the Government's action. A view is sought to be created that the Ruling Party is not forthcoming to wipe out corruption. An illusion is being created as though the Opposition alone is hell bent on rooting out corruption and is all out against it. They want to reap political gains out of this situation. Instead of sending him to jail, he could have been kept under house arrest or at least we could have allowed him to go ahead with his fasting and opened up negotiations further and we should have evolved ways and means to resolve this issue amicably once and for all. But this handling has only created an opinion that goes against the Government.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil

Today we are finding ourselves in a situation where we are not very clear whether this House is run by the Ruling Coalition or the Opposition. The Opposition is often taking this House to ransom. They feel that the House should function according to their whims and fancies. They stall the proceedings and I would like to record here that we are not able to raise our voice for the past two weeks against the injustice meted out to the poor hapless Tamils in Sri Lanka whose conditions are pitiable and pathetic in their own soil under inhuman conditions. Our feelings are deeply hurt when we find the Opposition forcing the House to adjourn and disrupt the proceedings at their will. We are also the representatives of the people, lakhs of them. We are denied of opportunity to raise the issue about the sad plight of lakhs of Tamils in Sri Lanka.

When the Opposition has its own way, the situation arising out of the arrest and the release of Anna Hazare only gives an impression that this Government has yielded to the pressure of such protestations. I urge upon the Government to take strong measures not against the protestors but against the corruption and more especially against the root cause of corruption and corrupt elements. There cannot be two opinions about this. Both the Treasury and Opposition Benches would agree with it. An illusion is created by the Opposition that only they are there to root out corruption and stem the rot. This myth has to be demolished. All of us must put our heads together to wipe out corruption totally from our system for which we need to address the cause for corruption. Poverty and corruption are two sides of the same coin. Poverty can be eradicated only by way of abolishing corruption. In order to find an end to corruption, we must go in for revolutionary electoral reforms. It is only the big industrial houses and business houses that are funding the candidates and parties to ensure their say in the governance. Capitalists and industrialists are pouring in huge money giving rise to corruption. Hence, I urge upon the Government to root for strong and effective measures to wipe out corruption and nip it in the bud to stem the rot. Our methods of resorting to tenders, giving away contracts and auctioning must be streamlined to become

more transparent, avoiding scope for corruption. Black money should be brought out.

Corruption has always been part of human history and it is not that easy to root it out. Mere legislations will not do. We have brought about several draconian laws like TADA, POTA and so on, but we are not able to contain terrorism and violence. So, fierce laws may not serve the purpose. *No Naddi not Mutthal Naadi Athuthani kyur vaai Naadi Vaaippa seyal*. Is what insisted upon by Thirukkural, the Tamil didactic literary piece:

"Cure a disease through a basic approach of identifying its cause and source."

We must take effective steps to identify as to who are causing corruption, who are corrupting the system, who are the corrupt elements, who are benefiting out of corruption and must find a way to wipe out corruption completely from this country. I urge upon the Government to be firm against the corrupt capitalists and industrialists who are the source and root cause of corruption in the system. Both the Jan Lokpal and 'Raj Lokpal' or any other Lokpal as a law cannot stem corruption from the system. The root cause must be identified and the basic mindset must be changed. Hence I urge upon the Government to contain the grip and hold of the industrial houses and capitalists over our system and to find out ways and means to have a negotiated settlement to this problem by opening up dialogue again with Anna Hazare and find ways to address the problem of corruption in its totality.

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज इस चर्चा पर विचार प्रकट करने का मौका प्रदान किया । श्रष्टाचार आज देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है । श्रष्टाचार चाहे किसी भी रूप में हो उसे समाप्त होना ही चाहिए । आज यह बहुत अच्छा है कि हमारे देश के युवा श्रष्टाचार के खिलाफ आगे आ रहे हैं । आज प्रातः ही मा0 प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में श्रष्टाचार के समूल उन्मूलन की बात कही । लोक पाल बिल को लाने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी व सरकार प्रतिबद्ध है । सदन में आने के बाद इस पर जब चर्चा होगी तब यह बिल कानून का रूप धारण करेगा ।

इस सदन में जितने मा0 सदस्य बैठे हैं सब भारत की 1 अरब से भी ऊपर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसे में जिस देश के इतने सजग, जागरूक एवं निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए यदि कोई बिल लाएंगे तो वह निश्चित रूप से ही प्रभावी होगा ।

लोकतंत्र के मुख्य तीन आधार संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं वह जो भी बिल लाएंगे वह अवश्य ही प्रभावी होगा । हम श्री अन्ना हजारे जी का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकार पर विश्वास करना चाहिए । भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कानून तो आएगा ही । पर हर कार्य को करने में समय लगता है । सरकार को भी समय चाहिए । सर्वदलीय राय बननी चाहिए तब ही कोई बिल बनेगा और आएगा ।

मा0 प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केन्द्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रणाली से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है। यह समूह समयबद्ध तरीके से अपनी सिफारिशें देगा।

इसी प्रकार बिल स्टेंडिंग कमेटी को रेफर किया गया है जो इसमें व्याप्त विसंगतियों को ढूंढेगी और उन्हें दूर करेगी । उनके ऊपर अपनी सिफारिश देगी । तब यह बिल संसद में पेश होगा ।

में जानना चाहता हूं जब लोकपाल बिल बनाने के लिए विशेषज्ञ हमारे पास हैं तो फिर एक बाहर के आदमी का यह दबाव कि उसके द्वारा बनाया गया बिल संसद में रखा जाए और उसे उसी रूप में ही पास किया जाए, मेरे विचार से न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है।

संसद पर व मा0 प्रधानमंत्री जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा संसद में लाया गया बिल भ्रष्टाचार उन्मूलन में मील का पत्थर साबित होगा ।

^{*} Speech was laid on the Table

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): भ्रष्टाचार के विरोध में समाजसेवी एवं गांधीवादी श्री हजारे द्वारा अनशन करने के लिए 16 अगस्त, 2011 को दिल्ली में स्थान देने के लिए जो आग्रह किया गया उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए बयान को पढ़कर लगा कि जिस प्रकार सरकार और प्रशासन ने बचकाने ढंग से शर्तें रखीं एवं हिदायतें दीं और जो बयान दिया, उससे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में मौजूदा यू.पी.ए. सरकार हर प्रकार से जनान्दोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, उसे देखकर लगता है कि वह पूरी तरह बौखलाई हुई है।

प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कहना कि सब कुछ दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया है, इसे देखकर लगता है कि केन्द्र सरकार सब कुछ दिल्ली पुलिस पर छोड़ रही है, जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है । 16 अगस्त, 2011 को सुबह-सुबह ही जिस प्रकार से उन्हें अपने निवास स्थान से गिरफ्तार किया, वह अलोकतांत्रिक, अवैधानिक एवं सभी नियम कानूनों के विरुद्ध है ।

आज जिस प्रकार से इस बात की दुहाई दी जा रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनती हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और जो भी कानून संसद में बनता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, परंतु जिस तरह से केन्द्र सरकार व दिल्ली प्रशासन ने श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार किया है तथा उन्हें तिहाड़ जेल में रखा और बाद में रात्रि में उन्हें रिहा करने के आदेश दिए, वह शर्मनाक है । सरकार द्वारा पहले यह कहा गया था कि उन्हें सात दिन तक गिरफ्तार कर के रखा जाएगा, परन्तु केवल 10 घंटे में ही ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गईं कि उनकी रिहाई के आदेश दिए गए ।

पुलिस बल द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान सरकार जनान्दोलनों को कुचलना चाहती है, सरकार की इस घिनौनी कार्रवाई की घोर निन्दा की जानी चाहिए अन्यथा इस समय देश की परिस्थितियां जिस प्रकार से बदली हैं, उनका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा और इसका दूरगामी प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा ।

श्री अन्ना हजारे के आन्दोलन को दबाने के बारे में यू.पी.ए. सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है उससे यह प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों में आपसी समन्वय का अभाव है तथा जिस प्रकार से इस सरकार के मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि यह सरकार जनान्दोलन के आगे घुटने तो टेक ही रही है, अपितु उसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जोकि लोकतंत्र के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है।

^{*} Speech was laid on the Table

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी लोकपाल बिन बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, परन्तु सरकार को विपक्षी दल तथा अन्य ऐसे सभी संगठनों को जो इस आन्दोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बातों को, जो न्यायोचित हैं, उनका भी इस बिल में समावेश करने का प्रयास करना चाहिए, तािक जो भ्रष्टाचार आज समाज तथा प्रशासन में कैंसर की तरह फैल चुका है, उसको न केवल रोका जाए बिल्क हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास होना चािहए।

*श्री राम सिंह करवां (चुरू): अन्ना हजारे को जेल भेजकर सरकार ने देश को सन् 1975 की याद दिलाने का काम किया है। लोकतंत्र के साथ अन्याय ही किया है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर बतला दिया है कि जो भी सरकार की नीतियों का सार्वजनिक तौर पर विरोध करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा। सबसे ज्यादा तो आश्चर्य इस बात का है कि सरकार जिस व्यक्ति का अपमान कर रही है, वह आदमी उस कमेटी का सदस्य है, जिस कमेटी ने ड्राफ्ट बिल तैयार करने का काम किया है। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। अन्ना के साथ जैसे-जैसे अड़ंगे बढ़ेंगे, देश की जनता अन्ना के साथ होती चली जाएगी।

सरकार ने सारी कार्यवाही का ठीकरा पुलिस के माथे फोड़ने का प्रयास किया है व अभी भी यही कर रही है । सरकार किसकी व पुलिस किसकी ? आखिर यह स्पष्टीकरण किसके गले उतरेगा कि अन्ना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से केन्द्र का कोई लेना-देना नहीं है । सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस केन्द्र के अधीन है । अन्ना की गिरफ्तारी ने देश को हिलाकर रख दिया है । देशभर में प्रदर्शन हुए और कुछ घंटों में उन्हें रिहा करना पड़ा । देश का युवा वर्ग अन्ना के साथ आ गया है । देश के कोने-कोने में विरोध हो रहा है । सरकार अन्ना हजारे की मांगों से असहमत हो सकती है, लेकिन विरोध जताने में उनके मौलिक अधिकार को कुचलना तानाशाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं । अन्ना को अनशन करने से रोकने के लिए जिस तरह पहले उन पर आपत्तिजनक शर्ते थोपी गई फिर उन्हें अपराधी टहराने की कोशिश की गई । उसकी सिर्फ निंदा और भर्त्सना ही हो सकती है । बार-बार मांगने पर भी उन्हें अनशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया । यह चिंताजनक है कि मौजूदा माहौल देश की बदनामी कराने के साथ-साथ आशंकाओं को जन्म दे रहा है और फिर भी सरकार दिशाहीन नजर आ रही है । अब तो यह भी लगता है कि सरकार को इतना आभास भी नहीं है कि आम जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितना क्षुब्ध है। क्या सरकार इस बात का हिसाब देगी कि पिछले सात वर्षों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या किया है ? सच्चाई यह है कि उसने कोरे आश्वासन देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया ।

कांग्रेस और सरकार जिस मार्ग पर चल रही है वह राजनीतिक हारागिरी का रास्ता है। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने कितनी बार भूख हड़ताल उपवास किया लेकिन अंग्रेजों ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो आज सरकार कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी की रैली में बीस

^{*} Speech was laid on the Table

लाख लोगों ने भाग लिया था । मुझे भी उसमें आने का मौका मिला था । दिल्ली में एक पत्ता तक भी नहीं हिला था । कानून बनेगा तो उस पर चर्चा संसद में होगी बाहर नहीं । संसद से ऊपर कोई नहीं है । लेकिन सरकार का यह रवैया अलोकतांत्रिक है ।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I thank you for this opportunity to express my views under Rule 193 on Prime Minister's statement. This is an important statement given by our Prime Minister in a crucial occasion. The Constitution is supreme because it is consisting of the peoples' representatives from various parties and from various States and region of our Indian democratic country.

Our UPA Government is more concerned over the gradual development of corruption from top to bottom. Our Government tried to stop this corruption through stringent laws. Various amendments are made to put an end to corrupt practices in all the spheres.

Each and every people have the collective responsibility to bring a solution for this problem.

Lokpal Bill is introduced by our Government. It is our UPA Government which has the thrill to introduce this Bill in Parliament after 65 years of Independence.

The Civil Society wants to share their views from various sides of the economy. Our Governemnt pave the way to share their views regarding the formulation of the Bill. Even Anna Hajare and other people are expected to give their opinion. Each and every political parties are invited to share their views. Even though BJP and other Opposition parties are involved in creating confusion in smooth functioning of Parliament. UPA invited all the political parties to participate and to give their views. Where Anna or any other citizen of India can give their opinion. But, it should not affect the constitutional set up and should not bring any damage to the democracy. One cannot bend the law according to their wishes. Some rules and regulations are necessary to make this democracy successful one.

_

^{*} Speech was laid on the Table

Now, Anna is backed by some opposition parties to create confusion and hurdle to the smooth functioning of ruling party.

Anyhow, Anna should not be adamant and should cooperate with Government's serious efforts. If he follows the Gandhian path, he should come forward to bring a conclusion for this common issue. It should not in any way affect the constitutional framework.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Home Minister to reply.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Under which rule do you want to raise point of order?

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, a statement has been made by the hon. Prime Minister under Rule 372. Herein, it is said that a statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker. This is the rule under which the hon. Prime Minister has made a statement. There are many Members in the House who are here for a long time. The convention is that the Minister or the Prime Minister who ever makes the statement gives the reply. This convention has not been violated any time. I have consulted the office. That is the convention

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, after the hon. Prime Minister had made the statement today, the hon. Speaker said that she is permitting a discussion under Rule 193, as a special case. So, presently what we are doing is a discussion under Rule 193 and the right person to reply to that debate is the Home Minister.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापित जी, मेरा एक निवेदन है कि माननीय होम-मिनिस्टर बोलें, लेकिन वे इंटरवीन करें। अपनी पूरी बात इंटरवेंशन के दौरान कह दें। चूंकि प्रधान मंत्री जी आज राज्य सभा में हैं और वहां मोशन चल रहा है और वे वहां आज जज की हैसियत से बैठे हैं और हम उन्हें यहां बुला नहीं सकते, इसिलए माननीय प्रधान मंत्री जी कल जवाब दे दें, आज होम मिनिस्टर इंटरवीन करें। होम मिनिस्टर चर्चा का जवाब नहीं दे सकते हैं। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): This is the plea to prevent the Government to reply. Please do not do that.... (*Interruptions*) SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am asking him to intervene. But the Prime Minister should give the reply. We cannot call him today. So, you call him tomorrow and let him reply tomorrow. ... (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापित जी, मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि संसद रूल के तहत चलती है और रूल 193 के तहत यह चर्चा इस वक्त हाउस में चल रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और बात वहां खत्म हुई। उसके बाद बात थी कि इसे चर्चा में लेना चाहिए। माननीय नेता विपक्ष उस वक्त कह रही थीं कि इसमें क्लैरिफिकेशन्स करना है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: ठीक है, नियम 193 के तहत हो रही है लेकिन किस पर चर्चा हो रही है, किस वक्तव्य पर हो रही है?...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: क्लैरिफिकेशन्स की बात हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने यही कहा था कि इस पर पूरी चर्चा हो जाए और वह एक सर्व-व्यापी चर्चा हो, एक कम्प्रीहैंसिव चर्चा उस पर हो जाए, जो आज हुई। लोगों ने बहुत अच्छी राय दोनों तरफ से दीं। आपका और विचार था लेकिन लालू जी और बहुत लोगों ने और शब्दों में कहा कि डिगनिटी पार्लियामेंट की कायम रखी जाए। उन बातों पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद इस चर्चा का समापन होना है, गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब के साथ और वह जवाब माननीय होम मिनिस्टर इसमें दे रहे हैं। इसमें इंटरवैंशन की उनकी बात नहीं है। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: संसदीय कार्य मंत्री जी, चर्चा नियम 193 के तहत हो रही है मगर किस पर हो रही है। नियम 193 में हम लिखते हैं कि फलां चीज की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा और इस नियम 193 में यह आयेगा कि "प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा।" तो जिसका वक्तव्य है, जवाब वही देंगे ना।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या वह चर्चा सीमित थी? सिर्फ उनकी स्टेटमेंट पर चर्चा एक विषय पर थी।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा थी। जो भी लालू जी बोले, वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। पार्लियामेंट्री प्रौसेस प्रधान मंत्री के वक्तव्य में ही था। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: इतनी शानदार डिबेट होती रही, इस बात से हम उसे डायवर्ट न करें। वह माहौल न बनाएं। सरकार की तरफ से जवाब है। ...(व्यवधान)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Let the Home Minister intervene. हम मना थोड़े ही कर रहे हैं लेकिन जवाब प्रधान मंत्री जी का बनता है।

MR. CHAIRMAN: I have heard the arguments. Now let me give the ruling.

Hon. Members, I agree that by convention the reply to a discussion on a Statement is usually made by the Minister who has made the Statement. The Statement was made by the hon. Prime Minister on demand from the principal Opposition Party as well as from all other parties. However, hon. Members would appreciate that the subject matter of the discussion basically pertains to the Ministry of Home Affairs, I would therefore, urge upon the Members not to mist on reply from the hon. Prime Minister.

... (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, a new convention is being created... (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): No. In the morning a ruling was given... (*Interruptions*)

Mr. Chairman, Sir, I am deeply grateful to the hon. Leader of the Opposition and all other Members who have participated in this very informed and illuminating debate. I am sorry I was not here when some of the hon. Members spoke, for example, Shri Mulayam Singh Yadav. But I am grateful to all hon. Members and I am particularly grateful to Shri Lalu Prasad Yadav who brought a lot of commonsense to the debate. What is missing in most debates is commonsense. I am grateful to him for bringing a lot of commonsense to the debate.

Sir, the hon. Leader of the Opposition, for whom I have great respect, raised a number of serious issues. I am bound to reply to them and I shall do my best to reply to the issues that she raised, some of which has been answered by my colleague Shri Kapil Sibal. But I will also add my views on some of those questions.

Now, why did we hold discussions with Shri Anna Hazare? I think, hindsight is not always foresight. It may be that we should take a lesson from this experience. But at that point of time, many of us were busy with elections, the Government genuinely felt that we must engage civil society on a subject that has remained in limbo for nearly 30 or 35 years. I remember as a young Minister of State in the Ministry of Personnel rising in this House most reluctantly to withdraw a LokPal Bill. How many LokPal Bills have been introduced and how many LokPal Bills have been withdrawn? I was not there during those days. Nevertheless I know that Anna Hazare's fast did create a certain resonance. A number of respected political leaders visited him; a number of them joined him on the platform; and there was general appreciation that he had taken up a cause that has been neglected by Parliament for very long. At that point the Government decided, perhaps, we could, as an experiment, as my senior colleague, the hon. Finance Minister said, let us invite some members of civil society and discuss the

drafting of the Bill. It was done with the genuine and sincere intention of arriving at a Bill that will have the widest consensus. That is the frank answer to that question.

If you tell us today that was perhaps not a wise decision, I am not going to quarrel with you. If you tell us today that please do not follow that as a precedent, I will not quarrel with you. But I do not think that we can take the argument too far and say that we should not engage civil society at all. That is not possible. After all, in drafting Bills, many of you had been Ministers at some time or the other and the Minister concerned or the Ministry concerned do consult people. For example, if my colleague Shri Ghulam Nabi Azad was drafting a Bill on the Medical Council Act, I am sure he will consult eminent doctors of what should be put in the Medical Council Bill.

18.00 hrs.

If I am drafting a Bill I would consult various people, as I did in the amendment to the UAP Act, shortly after I took over as Home Minister. I consulted lawyers, I consulted Shri Arun Jaitley. In fact, I visited Shri Advani in his residence and asked him who he would name that I could consult him. I consulted other lawyers. I consulted the late Shri Dwivedi, who was senior member of the Congress Party, who passed away. I consulted other lawyers too. So, I think while you can find fault with us for an experiment that may have not gone entirely right, I do not think – and I submit with respect – do not take the argument to a point that we should not consult civil society at all. Consulting civil society to an extent and in a particular form, I think, is useful. The civil society has made valuable contributions to some of our laws. For example, on the MNREGA, the civil society representatives have made valuable contributions; and on the Right to Education Act, many educationists have made and are making valuable contributions.

Now, the short question today is: Did we deal with the proposed agitation of Shri Anna Hazare correctly or not? That is the short question. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, I extend the House till the discussion is over and 'Zero Hour' matters are also taken up.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I will conclude within another ten minutes. It will be very short.

Is it the first time that Section 144 of the CrPC has been promulgated in Delhi or anywhere in the country? As I speak today, Section 144 is promulgated in many parts of India.

As a young lawyer I was first arrested because some young lawyers got together and said, "We will condemn the Supreme Court judgement which struck down the abolition of privy purses." Some of us were rounded up and we did not even know why we were being rounded up. We were taken to a place and told: "You have violated Section 144." I was a lawyer, but I had never seen Section 144 before. I had not practised on the criminal side either. I was a lawyer of few weeks or few months. Every one of us, the political activists, I am sure would have been arrested for violating Section 144. Shri Lalu Prasad ji, Shri Mulayam Singh ji, Shri Sharad Yadav ji, how many times have you been arrested for violating Section 144? Violating Section 144 is nothing new to any political activist. When you violate section 144 you are arrested. You are taken to a Magistrate and the Magistrate remands you to custody, police custody or judicial custody, maybe one day or two days. ... (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: From the place where he was picked up, there Section 144 was not imposed. He did not violate Section 144. ... (*Interruptions*) SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. I know that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He was arrested from Mayur Vihar. Section 144 was not imposed in Mayur Vihar.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. I know it. Hon. Prime Minister has said it in his Statement. Maybe your attention was not drawn to it. I am coming to that.

For example, in Chennai there was a practice that if you violated a prohibitory order, you are remanded to fourteen days' custody. The late Shri Moopanar, I and thousands of others were remanded to fourteen days' custody. My friends from Tamil Nadu will know. In fact, we challenged it and said: "Why are you mindlessly remanding us to fourteen days' custody? We only wanted to protest for one day. You should not remand us to fourteen days' custody". The Division Bench of the Madras High Court upheld that argument.

So, imposing Section 144 is nothing new. I am sure when respected Shri Advani was the Home Minister, Section 144 was promulgated in many places at several times. Now, if Section 144 is promulgated, there can be two situations. One, you actually violate Section 144. The other, you intend to violate Section 144. There are two situations. ... (*Interruptions*) This is the law. ... (*Interruptions*)

I would request them to hand over the Criminal Procedure Code to the hon. Leader of Opposition. She can follow what I am saying. ... (*Interruptions*) When you violate Section 144, you violate Section 188 of the IPC. But there are two other provisions of the CrPC, Sections 151 and 107. Please read them once again. As a student of law - you were a student of law and I was a student of law - the teacher always tells you and the judge always tells you, although you maybe familiar with the provision but when you open a new brief, please read the Section once again that morning. The fact that you read it last week or the fact that you read it in college is not of any help. That morning, you must read that Section once again. I urge you most humbly that please read Sections 107 and 151. If there is an apprehension that there will be a breach of peace, and if there is an apprehension that there will be disturbance to tranquillity, the police can take

action. That is called, preventive measure, you preventively detain a person. How many times have you preventively detained people?

Now, when Laluji was the Chief Minister and the hon. Shri Advaniji was detained, was he not detained as a preventive measure? He was detained as a preventive measure, not because Shri Advaniji had actually violated any law. But if Shri Advaniji's *Rath* went through, he may violate the law. There may be a breach of peace and there may be a disturbance of tranquillity. So, Shri Laluji had arrested Shri Advani. So, that is the position. ... (*Interruptions*) I am not comparing. I am only stating the point. ... (*Interruptions*)

SHRI LALU PRASAD: Your present Home Secretary, Shri R. K. Singh was in the stadium. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am going to be very brief.

A question has been asked and it has been asked by the hon. Leader. It is a serious question. It was asked in the other House also. Some other Members have asked this question as to who takes this decision. Now, do the police take this decision, does the Home Minister take the decision, does the Prime Minister take the decision? Who in law takes this decision?

Now, last week, you almost accused me as though I had ordered the *lathi* charge on the young BJYM boys who were protesting. I did not even know that they were protesting on that day. I was tied up in the House. I looked into the record and I found that between 1998 and 2004, there were 27 such police actions against protesters in Jantar Mantar. ... (*Interruptions*) Certainly, it is not my case that the Home Minister of the day ordered the police action in those 27 cases. Out of 27 cases, there were three cases against the Youth Congress protesters. They were protesting. The police took some action, arrested a few people and took them to the Magistrate. Water cannon was used once. These are the decisions that are taken by the police based on their judgment. ... (*Interruptions*) Of course, the Ministry is kept informed. We are in touch. That is why there is a Control Room and that is why there is wireless communication. The Ministry is kept informed,

the Minister is kept informed, and the Home Secretary is kept informed. But the decision is taken by the police officer who is in charge of maintaining peace and tranquility in that area.

Now, in this case, it was quite clear even the evening of August 15 that Shri Anna Hazare intended to violate the prohibitory order. The police officers attempted to go and meet him on the evening of August 15. They said that he would meet them, but then they said that he was tired. He had retired for the night. It was fine. On the morning of August 16, they met him again and asked him what does he intend to do? I salute him. As a true Gandhian, he was completely fair and frank about it. He said: 'No, I am going to go to Jai Prakash Narain Park and I will violate the prohibitory order'. The police said: 'Sir, if you go to Jai Prakash Narain Park and violate the prohibitory order, we have no option but to preventively detain you under Sections 107 and 151. That is exactly what happened. Of course, I was told shortly thereafter that he had been detained. We also saw it on the television. He was taken to a Magistrate.

Please remember, the Prime Minister's Statement brings it out clearly. The Police did not ask for a remand. We said: "We do not want him. We are not asking for a remand at all." There were 2630 people, who had been detained elsewhere, who were released by the evening. We did not want anyone's remand. The Executive Magistrate, according to the records which I have seen, told Shri Anna Hazare fairly: "I will release you on your bond. You have been arrested. I will release you on your bond. Will you undertake not to violate the order?" Again, the true Gandhian that he is, he said: "No, I will violate the order." Then, the Judge told him... (*Interruptions*) I am not criticizing.

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): Is it a matter of laughing?... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I did not say I am laughing. In fact, I raised my hand to restrain. It is not a matter of laughing. Please do not impute motives.... (*Interruptions*) You were disturbing the Prime Minister when the Prime Minister was making the Statement. I was observing you. That is very unfair. You disturbed the Prime Minister at least 25 times this morning. Please do not do that.... (*Interruptions*) You were disturbing the Prime Minister when the Prime Minister was making the Statement. Please do not do that.

Sir, coming back to the point, I salute him. He said: "I will violate the order." The Judge said: "Then, I will have to send you to jail." He said: "Please send me to jail." He remanded him to seven days' judicial custody. This information reached us at about half past Three or Four O' Clock. I said: "Why should he be remanded to seven days' custody? What was the need? He could have been remanded to one day. Why did he remand him to seven days' custody?" The Commissioner said: "Sir, we did not ask for a remand. The Executive Magistrate has remanded him." I said: "No, this was not correct. Try to see whether you can persuade him to review the order." In the meanwhile, we had information that a petition had been filed in the Supreme Court. There was some defect and it was taken back. It is likely that they will move the court today. In fact, they said it on television yesterday that they would move the court today. On that, the Commissioner took the decision that "we would go back to the Magistrate." They went back to the Magistrate and told him: "We think that they are going to move the court tomorrow. We do not think he should be remanded for seven days. Please review your order." The Executive Magistrate, God bless him, reviewed the order and said; all right. He has released him unconditionally. That is exactly what happened. What wrong did we do?... (*Interruptions*) I do not understand it. ... (Interruptions) Please listen to me. Please remember that when Kumari Mamata Banerjee was dragged to Lal Bazaar and thrown out, Section 144 Cr.PC was there. Let us not get into that.... (Interruptions) She was beaten up.... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): For 30 days, the Police did not intervene.... (*Interruptions*) For 30 days, there was a *dharna....* (*Interruptions*) MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. Let us not divert the subject. I respectfully submit to you, Sir, and through you, to this august House, that the Police acted in their best judgment. No force was used anywhere. Nobody was injured anywhere yesterday. In fact, you would have seen not even *lathis* were taken out by any policeman yesterday. That is why, the Prime Minister says: "Inevitably, though unfortunately, it led to the arrest and release of Shri Anna Hazare." It was inevitable in the way things developed. But it was unfortunate.

We did our best to ensure that he was released from jail. Then, of course, there was an unexpected development that he refused to leave the jail. So, he is in jail. There, he is consulting his friends. I sincerely hope – I ask you to hope along with me and use your good offices – that he will give up his protest in jail. If he wants to carry on his protest elsewhere, let him carry on the protest under conditions which are appropriate to that place. I ask again.... (*Interruptions*) Please wait for a minute. Do not be in a hurry. I ask you again: "Has any permission been given by the Delhi Police or any Police anywhere in the country without conditions? The Prime Minister says it in his Statement. Every time a permission is granted – We have a High Court Judgment. We have a Supreme Court Judgment - those conditions have to be incorporated. There are rules that have to be incorporated and an undertaking is taken from all the organizers that they will abide by the conditions. There are 22 conditions which were imposed. They accepted 16 conditions. It is not even the case of Shri Anna Hazare that no condition should be imposed. Some of you say that no condition should be imposed. I am surprised! Sixteen conditions have been accepted by them. There is a dispute about six conditions.

There are three courses of action open to Shri Anna Hazare. One, he can come back to the Police and say, these six conditions are onerous, let us discuss the six conditions. Or, he can go to court to say, these conditions are unreasonable. Or the Gandhian that he is, he said: "These are unreasonable conditions; I will violate them, and you take action." Now, the point is, there is no other way in which these conditions can be reviewed or reconsidered. I sincerely hope that they will go to court, and let the court decide, whether the conditions were reasonable or unreasonable. If the court held that any particular condition imposed by the Police was unreasonable, we will accept that decision; we are not going to go against that decision. Even today, I say, most humbly and respectfully, Shri Anna Hazare has an undoubted right to protest. He has a right to protest at an appropriate place which is agreed to by the Police having regard to the situation. He can protest as long as he likes, subject to the conditions imposed by the Police. The Police told them: "If you want to protest in Burari, you can have a much longer period; but if you want to protest in Jayaprakash Narayan Park where Maulana Azad Hospital and College is there; the Balmiki Basti is there; Vikram Nagar is there; Bahadur Zafar Shah Marg is there; and thousands of people go, we are only permitting you for three days." Now, was it an unreasonable condition? Was it a reasonable condition? I am not pronouncing judgement. He can always go to court and say: This is an unreasonable condition.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी ने कानून के दायरे में सारी बातें रखीं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सरकार परिस्थितयों के अनुसार पॉलिटिकल डिसिज़न करती है। आपने उनको बाहर करने का पॉलिटिकल डिसिज़न किया। वे जेल में बैठे थे तो आपने पॉलिटिकल डिसिज़न किया है, लोगों ने नहीं किया है। आप कहते हैं तो कहिए, लेकिन ये सारे सवाल जो आप कह रहे हैं, यह पॉलिटिकल डिसिज़न का मामला था जिसको आपको करना चाहिए। आपसे यही हमारी शिकायत है।

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree, Sharad ji. In fact, when I heard that he had been remanded to seven days' jail, I advised the Commissioner to go back to the Magistrate, and ask for a review of the order. That was indeed a political decision. Likewise, I assure you that now that I have heard all your views, we will take a political decision of how to go forward in the matter; we will take a political decision. But the actual implementation of the decision must be left to the Police authorities in accordance with law, in accordance with the High Court and the Supreme Court directions.

Final point I wish to make is, don't dismiss what the Prime Minister said. The issue is, who drafts the law, who makes the law. That is the issue. We cannot run away from that issue. My friend has spoken eloquently. I think, he said it much better in Hindi than I can ever hope to say in English. I wish I could. Shri Lalu ji also brought his earthy commonsense to that subject and said, what is the issue; who makes the law? If collectively, all of us agree that the sovereign power of law making can be diminished even one millimetre, I have no quarrel. I would feel very sad and that would be the saddest day of Parliament but I pray, most humbly, do not diminish the sovereign authority of Parliament. Everybody else has the right to speak; right to advise; right to persuade, right to protest; right to cajole us; right to plead with us; right to vote us into office; right to vote us out of office but they do not have the right to make a law. That right is only with Parliament. Every other right is available to them, not the right to make a law. That power is given by the people to the elected representatives.

That is why, I ask with anguish – what do I make of a statement which says, "I have faith in Parliament but I have no faith in the elected Members of Parliament". What do I make of that statement? Is that a fair statement? Is that a just statement? What is Parliament? Is Parliament, these pillars? Is Parliament, this lobby? Is Parliament these Benches? I have faith in Parliament but I have no faith in the elected Members of Parliament is an astonishing statement.

Therefore, I submit with respect that the issue is, who makes the law. Parliament alone can make the law and if civil society wishes to have a role in the making of the law, we will try to find a way in which civil society can have a role in making the law as within the limits expressed by all of you.

Then, do not also dismiss lightly the demand that has been put forward by Shri Anna Hazare and his friends. Their case is not that a Lokpal Bill must be passed. Their case is that the Jan Lokpal Bill must be passed. There is a difference between saying that a Lokpal Bill must be passed and the Jan Lokpal Bill must be passed. That is the issue. They have said that unless the Jan Lokpal Bill is passed, this protest will not end. The protest is not about condition number one, condition number two or condition number seven, the protest is not about saying that loud speakers must be shut out at 10 o'clock, the protest is not about saying that 50 cars only must be parked in that parking space, but the protest is, until all of us sitting here pass the Jan Lokpal Bill, they will continue to protest. Now, do you accept that? I do not accept that. ... (*Interruptions*) I accept the argument of Shri Anna Hazare that a strong and effective Lokpal Bill must be passed. But I ask you humbly to reject the argument that only the Jan Lokpal Bill must be passed. That argument must be rejected.

Finally, Sir, the Prime Minister had said this in paragraph 13 in his statement. Now, let me read something which was said many years ago. Let me first quote it.

"We have a Parliament in which we try to explain our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down Parliament and put a lock on it and undertake hunger-strikes to come to decisions? This would only mean that whoever was able to undertake the longest hunger-strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path."

If I had said it, I am sure many will pounce on me. This was said by Pandit Jawaharlal Nehru on the 9th of August, 1961. All I say is, we will deal with the

issue raised by Shri Anna Hazare and his right to protest both administratively and politically as has been advised. We will deal with it fairly and justly, we will deal with it dispassionately, we will deal with it without any bias, and we will deal with the gentleman fairly and justly. But in the meanwhile, let us end this debate by asserting that it is the right of Parliament to make a law, Lokpal or any other law.

MR. CHAIRMAN: Now we take up 'Zero Hour' submissions. Dr. Jyoti Mirdha. डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, राजस्थान में आने वाले निकट भविष्य में डीएपी खाद की जो कमी एक्सपैक्ट की जा रही है, मैं उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया है कि ढ़ाई लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत आने वाले समय में राजस्थान में पड़ेगी, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर शांत है। मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 2009-10 में 2.6 लाख मीट्रिक टन डीएपी स्टॉक में रखा गया था, वर्ष 2010-11 में 3.19 मीट्रिक टन डीएपी खाद था, वर्ष 2011-12 में लगभग ढ़ाई लाख मीट्रिक टन की जरूरत एक्सपैक्ट की जा रही है, in addition to the supply plan.

18.24 hrs.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

महोदय, मेरा सदन से और माननीय मंत्री जी ये यह निवेदन है कि रबी की फसल राजस्थान में जल्दी आती है क्योंकि बरसात अगर लेट तक चलती है तो पहले सरसों और उसके बाद चने की खेती की जाती है। इसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह तक वादा कर दिया कि वह एडवांस पैसा देने को तैयार है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या सप्लायर्स हैं, वे डीएपी की सप्लाई को किमट नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सदन में मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए कि डीएपी की जो समस्या आगे आ सकती है उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो सकती है। इस पर ध्यान देते हुए राजस्थान राज्य के लिए शीघ्र अतिरिक्त खाद की व्यवस्था की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर मुख्यालय में एफएम रेडियो का 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर स्वीकृत हुआ था। उसका कुछ काम भी पूरा हुआ लेकिन कुछ समय बाद उस सामान को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मेरी समझ में यह नहीं आया कि मंत्रालय ने पहले तो ट्रांसमीटर स्वीकृत किया, केबल भी आई और उसको बाहर भेज दिया, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में एफएम रेडियो, प्रसार भारती का प्रोग्राम प्रारंभ नहीं हुआ, लोग उस प्रोग्राम को सुन नहीं पा रहे हैं, सामान 2008 में कहीं और भेज दिया गया है। 2004 में हमारे यहाँ पर एक टावर लगा दिया गया था, ट्रांसमीटर नहीं लगाएगा।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जब बीकानेर संसदीय क्षेत्र में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर 2004 से टावर और एंटीना लगा दिया गया था तो उसको अब तक चालू क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो टावर और एंटीना लगा हुआ है, उसे प्राइवेट एफएम चैनल्स ने किराये पर ले लिया है और वह उसका उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार का मंत्रालय क्या गहरी नींद में सो रहा है? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसने जो आधारभूत सुविधाएँ क्षेत्र में विकसित की हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि स्वीकृत ट्रांसमीटर और केबल जो एफएम रेडियो के लिए लगा है, उसको तुरंत चालू किया जाए तािक मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के लोग प्रसार भारती और सरकारी एफएम का प्रोग्राम देख सकें।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा का इलाका है। नेपाल की ओर से आने वाले पानी का सीधा प्रवेश इस जनपद में होता है जिससे प्रति वर्ष इस इलाके में भयंकर बाढ़ आती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जन, धन और पश्धन की हानि होती है। बाढ़ के कारण होने वाले जल-जमाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं, हज़ारों मकान गिर जाते हैं। इस इलाके के लोग अत्यंत गरीब व अशिक्षित हैं। जो विकास कार्य इस इलाके में होते हैं, वे बाढ के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे इस जनपद का विकास नहीं हो पा रहा है। मैंने इस संबंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित अनुरोध किया तथा लोक सभा में भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बाढ़ सुरक्षा तथा नदियों के किनारे पक्के तटबंध बनाने के लिए धन आबंटित भी किया गया, किन्तु उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा धन का बंदरबाँट कर लिया गया। बाढ़ से बचाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। मैंने दिनांक 15 अगस्त, 2011 को बहराइच-जनपद के फख़रपुर ब्लाक में बेलहा-बहरौली तटबंध के कि.मी. 62 से 64 तक का मौके पर निरीक्षण किया। यह बाँध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। धन की उपलब्धता के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्य ढंग से नहीं किया। मैंने हजारों उपस्थित जनसमूह के साथ श्रमदान करके लगभग दो ट्रक बोल्डर, जो मौके पर पड़ा था, बाँध के किनारे डाला। अधिकारियों द्वारा बाँध पर काम किये हुए मज़दूरों को मज़दूरी नहीं दी गई है। यही हाल बहराइच में आदमपुर-रेवली बाँध का है। जब मैंने इस मामले को लोक सभा में उठाया तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गलत तथ्यों की जानकारी दी गई कि बाँध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि जनपद बहराइच में वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में बाँध की कटान रोकने, बंधों का निर्माण करने, पक्के तटबंध बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने कितना धन कब उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है तथा इस धन से कितना काम हुआ है, इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, गुजरात में सिंहों की संख्या में दिन-प्रतिदिन हो रही कमी की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

महोदय, हमारे शासन के जंगल में चार सौ से अधिक शेरों की संख्या है। पानी और आहार इत्यादि सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी संख्या घटती जा रही है। सासन गिर एक बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर जंगल है, जिसके बीचों बीच बहुत से देवी-देवताओं हो दिर हैं। लोग पूरे साल गिर वन में शेरों को देखने के लिए आते हैं। कुछ समय पहले हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने भी वहां का दौरा किया था। हमारे देश के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन भी वहां चार दिन रुके हुए थे। लेकिन मैं दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि गिर जंगल की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पानी, खाने और सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था भारत सरकार ने आज तक नहीं की है।

महोदय, सासन गिर हमारे यहां का ऐतिहासिक स्थल है। यदि इस जंगल में वन्य प्राणी न होते तो इस जंगल की शोभा नहीं होती। इसलिए जंगल के वन्य प्राणियों को बचाने की आवश्यकता है। हमारी गुजरात सरकार ने सासन गिर वन के वन्य प्राणियों एवं यहां रहने वाले मालधारियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 262 करोड़ रुपए की राशि की मदद के लिए दरख्वास्त भेजी है। इस जंगल में सिंह के अलावा कुछ मालधारी रहते हैं, जो गाय-भैंस पालकर और उनका दूध बेचकर अपना गुजर-बसर करते हैं। वे जंगल में ही रहते हैं, उनके बच्चों के लिए जंगल में पढ़ने-लिखने, स्वास्थ्य, सड़क, घर और बिजली की कोई सुविधा नहीं है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस जंगल में मनुष्य जानवर की जिंदगी जी रहा है, उनके लिए किसी स्कूल, बाज़ार इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन्हें इस जंगल से उठाकर किसी अन्य जगह बसाया जाए ताकि वह अपनी जिंदगी अच्छे से गुज़ार सके। उसके बच्चों को शिक्षा मिल सके और उसके परिवार का भरण-पोषण सही तरीके से हो सके। साथ ही वहां के वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): महोदय, हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के गोपालगंज के प्रखंड कुचाई कोट बरौली, माझा, बैकुंठपुर, सिदौलिया के क्षेत्र में गंडक नदी से भारी कटाव हो रहा है। हजारों परिवार कटाव के कारण विस्थापित हो गए हैं। अभी तक विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई है। गमहरिया ग्राम भी कट रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल संसाधन से मांग करता हूं कि जनहित में प्रखंड कुचाई कोट, बरौली, माझा, बैकुंठपुर, सिदौलिया को गंडक नदी के कटाव से बचाव के लिए 20 किलोमीटर तक का बांध और ठोकर का निर्माण कराने का कष्ट करें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण राज्य के 17 जिलों के हजारों गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। राज्य में स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। यह दोनों ही विद्यालय केन्द्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राइट टू एजुकेशन कानून के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश परीक्षा वर्जित है, परन्तु उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के कारण न तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों और न ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालयों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया हो पाई है। आज जब शिक्षा का सत्र शुरू हुए 5 माह का समय बीत चुका है, परन्तु उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की लापरवाही से हजारों बच्चे प्रवेश न मिलने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह कोई मध्य मार्ग निकाल उत्तराखंड राज्य के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालयों और राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करे, जिससे राज्य के 17 जिलों के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने से बचाया जा सके।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of this House that there is no gainsaying the fact that India has been surrounded by hostile neighbours. In all the preceding, hostilities that took place in our border, Indian Air Force had always played a very formidable role in providing security in providing defence of this country.

Sir, now the situation has come to such a pass that there has been a huge erosion of our forces competitiveness in view of the fact that when 45 squadrons

are healthy for the Indian Air Force, now the active force level has been reduced to 34.

In the year 2001, request for information was sent for purchasing 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft. It took six years to issue request for proposal and further took four years for short listing the vendors. That is why our active force No. of squadron has been reducing day after day. On the one hand, when our hostile neighbours - Pakistan and China - are revamping at an alarming pace their Air Forces, on the other hand we are simply day after day reducing our force level.

MR. CHAIRMAN: Please come to the point. What do you want to say?

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Yes, Sir. That is why my intention is to draw the attention of this Government to induct expeditiously 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft and put our Air Force in such a way so that any hostility that is anticipated could be prevented in a befitting manner.

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापित महोदय, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। भारत सरकार का जो विजन 2025 है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सामान्य विकास खण्डों में 500 से अधिक आबादी वाले तथा आदिवासी विकास खण्डों में 250 से अधिक आबादी वाले की बसाहटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में 500 से अधिक आबादी वाले 6333 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले 1428 कुल 7761 बसाहटों को जोड़ने के लिए 23000 किमी. सड़कों की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अभी शेष है। चूंकि मध्य प्रदेश देश के भीतर अकेला ऐसा राज्य है, जिसने समय सीमा में पूर्व में जो कार्य की स्वीकृतियां दी गई थी, उन कार्यों को पूरा कर लिया गया है। शेष 7761 बसाहटों के लिए डी.पी.आर. तैयार करवाकर भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परन्तु भारत सरकार द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ यह कह कर लौटा दिया गया कि ये प्रस्ताव भारत निर्माण के अनुरूप नहीं हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बेहतर कार्य करने का अपना वायदा पूरा किया, उनको प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह से ए.डी.बी. के तहत 1000 किमी. प्रति वर्ष सड़क बनाने की हमें स्वीकृति प्रदान करने की बात चल रही है, लेकिन हमारी मांग है कि प्रति वर्ष 3000 किमी. सड़क के निर्माण की स्वीकृति

हमें मिलनी चाहिए। तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह, जो हमारे नक्सल प्रभावित नौ जिले हैं, जिनमें लगभग 2000 किमी. सड़क के प्रस्ताव भी भारत सरकार के पास प्रेषित किए गए, उनमें भी अभी स्वीकृति नहीं हुई है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I am raising an important matter regarding a very sad and barbaric incident that took place at Patna city on 12th of August this year. On that day, some students, citizens, SUCI activists and human rights activists were protesting about their civil problem of water logging in the Langar Toli Lane near to Nala Road. They were in the street in demand of cleaning up the garbage, etc. Suddenly the District City DSP *... came down and beat mercilessly the women demonstrators, citizens of that area and student leaders who were participating in that protest. Even they tore down the hairs and scarves of the women protestors. These people were beaten on the roads and also in the Police custody. The police forces created a scene of an unprecedented attack on the citizens for nearly half-an-hour.

Sir, the civil society including the professors, teachers, cultural activists and human rights activists protested on the next day, that is, the 13th August. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The name should be deleted.

DR. TARUN MANDAL :Sir, on the 14th of August, the students and youth had organized a protest rally condemning the Police attack. The rally was from Bhagat Singh Marg to Dinkar Chowk. The civil society and the protestors wanted that that DSP should be put under suspension and also those who had been taken into custody till today should be released immediately. Also there should be a high powered inquiry into the incident.

_

^{*} Not recorded

I would like to urge upon the Government that it should protect the democratic right of protest, human rights and civil rights.

I have already brought this matter to the notice of the opposition leader, Shri Sharad Yadav ji, whose Government is there now, and also to Shri Shatrugan Sinha ji, whose constituency covers Nala Road and Langar Toli Lane.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रारम्भ के समय कोर नेटवर्क बनाया गया था, जिसे बनाए आठ-नौ वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान में बसावटों की जनसंख्या, यातायात का घनत्व एवं कई मार्गों के निर्माणोपरांत वर्तमान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई मार्गों के थु-रूट होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा वेबसाइट पर कोर नेटवर्क को फ्रीज कर दिया गया है, जिसके कारण बिना भारत सरकार की अनुमित के कोर नेटवर्क को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यदि भारत सरकार द्वारा वेबसाइट पर जनपद बाराबंकी के कोर नेटवर्क संशोधित करने हेतु अनफ्रीज कर दिया जाता है तो कोर नेटवर्क में आवश्यक संशोधनों के उपरांत कई मार्गों का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषत किया जा सकता है, जिससे योजना में कई योग्य गांव/मज़रे, जो अभी तक सड़कों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सकता है। बाराबंकी जनपद से संबंधित फेज़-आठ के प्रस्ताव अभी भी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में लम्बित हैं। यह कहा जा रहा है कि प्रस्ताव वर्तमान सड़कों के उच्चीकरण से संबंधित है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी सड़कें इतनी बुरी हालत में हैं, जो कच्चे मार्ग से भी ज्यादा दुखदायी हैं। मेरा ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वंचित रह रहे मज़रों को लाभांवित करने हेतु कोर नेटवर्क में संशोधन करने हेतु भारत सरकार की वेबसाइट से अनफ्रीज़ करने तथा लम्बित प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर धनराशी आवंटित करने का कष्ट करें।

खॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापित महोदय, नेशनल एलीजिबिलिटी एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) को गुजरात में लागू न करने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए आपने मुझे जो अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेडीकल विद्या शाखा में प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार ने सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से नेशनल एलीजिबिलिटी एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) अगले 2012 के सत्र से समग्र देश में अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से लेने की घोषणा पर मैं अपनी आपित जताना चाहता हूं। नीट के विरोध में

प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं, गुजरात एवं राष्ट्र के कई राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं में स्टेट बोर्ड की तरफ से परीक्षा लेते हैं। और तभी विद्या शाखा में प्रवेश देते हैं, मगर सूचित नीट का माध्यम हिन्दी न होने से गुजरात के विद्यार्थियों के साथ अन्याय रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की मार्गदर्शिका के तहत गुजरात सरकार ने 2007 में कानून बनाकर एम.बी.बी.एस. एवं अन्य मैडीकल शाखाओं में प्रवेश के लिए कानून के तहत प्रवेश दिया जाता है। अगर नीट को स्वीकार लिया जाये तो यह कानून में परिवर्तन करना होगा। नीट के सिलेबस और समाविष्ट विषयों के लिए एम.सी.आई. की ओर से कोई भी मार्गदर्शिका घोषित नहीं की गई है।

अगर गुजान के बारे में देखा जाये तो राज्य की कुल 2750 एम.बी.बी.एस. सीटों में से 15 फीसदी सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं और बाकी की 85 फीसदी सीटें गुजरात के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुजरात के विद्यार्थियों पर अन्याय होना सम्भव है। नीट की परिक्षा ऑन लाइन लेने का प्रावधान है, परन्तु राज्य में सभी जगह यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

भारत एक विशाल और भिन्न-भिन्न संस्कृति वाला महान राष्ट्र है। देश में समाविष्ट सभी राज्यों की अलग-अलग संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति एवं भिन्नता के तहत, सम्पूर्ण देश में यूनीफार्मल कसौटी लेना कठिन होगा। गुजरात में छात्र एवं छात्राएं इस नई कसौटी को अन्यायपूर्ण और छात्र विरोधी मानते हैं और इसके प्रति राज्य में आन्दोलन चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में नीट पर रोक लगाई जाये और राज्यों एवं छात्रों के हित में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करके और पारदर्शी बनाया जाये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: All right, you send your slip to the Table.

Shri Arjun Ram Meghwal is allowed to associate with the issue raised by Dr. Kirit P. Solanki.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापित महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का मुझे अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद के गया जिले के टिकारी प्रखण्ड के गांव आमाकुंआ, पोस्ट बारा का एक नौजवान रंजीत कुमार सिंह पिछले कई महानों से दुबई में फंसा हुआ है। यह नौजवान दुबई के इनर प्लास्टिक लिमिटेड में असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर 16.08.2005 से काम कर रहा था। कम्पनी के द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण और इसे छुट्टी नहीं दिये जाने के कारण इस नौजवान ने उस कम्पनी से 28 फरवरी, 2011 को त्याग-पत्र दे दिया, लेकिन कम्पनी ने इस नौजवान के त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं करके उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। उसका वेतन और सारे भत्ते बन्द कर दिये हैं। इस नौजवान रंजीत कुमार सिंह का पासपोर्ट नम्बर

एफ1811623 है। यह नौजवान विगत फरवरी माह से दुबई में फंसा हुआ है और आर्थिक तंगी और मानिसक प्रताड़ना से ग्रस्त है। इसके पिता ईश कुमार सिंह ने और इस नौजवान ने इंडियन एम्बेसी में और यूनियन काउंसिल फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई यथोचित कार्रवाई नहीं हुई है। यह नौजवान भारत का एक नागरिक, हिन्दुस्तान का एक नौजवान दुबई में फंस कर प्रताड़ना झेल रहा है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से यह मांग है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय यथोचित कार्रवाई करे और इस नौजवान को सुरक्षित स्वदेश लाने का शीघ्र से शीघ्र उपाय करे, इन्तजाम करे।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Hansraj G. Ahir.

You are allowed to raise only one matter.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपूर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में कहना चाहता हूं। देश में विद्यमान कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर जो कानून है, उसके प्रति लोगों में भारी रोष है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि वह इस कानून को बदलने जा रही है। हाल ही में चार अगुम्त को ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बयान दिया था कि वह एलएआरआर, 2011 नया कानून लाने जा रहे हैं और यह कानून देश के किसानों के हित में होगा। हम सभी लोग उस कानून की प्रतीक्षा में हैं और किसान भी प्रतीक्षा में हैं। हम वर्षों से 1894 के ब्रिटिशकालीन कानून के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं। इसमें किसानों का शोषण होता था। सौभाग्य से सरकार ने इस बात को माना और अब वह उस कानून को बदलने जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि आज भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है, जिसे स्थगित करने की जरूरत है। मेरे यहां महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एक ही जिले में करीब-करीब एक लाख दस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है और अभी भी पचास हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होने वाला है। किसान इसे लेकर चिंतित हैं। यही बात देश के सभी स्टेट में है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहां माइनिंग का काम ज्यादा हो रहा है, माइनिंग क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण ज्यादा परिमाण में होता है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि चंद्रपुर जिले में एक लाख दस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उस कानून के अंतर्गत कॉलम 47 (ए) में भूमि का अधिग्रहण करते समय आज भी जबरन भूमि को कब्जे में लिया जा रहा है। सौभाग्य से आज सभाग्रह में कृषि मंत्री जी बैठे हैं, भले ही ग्रामीण विकास मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मैं विनती करूंगा कि किसानों का जो शोषण हो रहा है, उस पर रोक लगाने की

आवश्यकता है। सरकार ने माना है कि वह कानून गलत था। विलंब से ही सही सरकार उस कानून को बदलने जा रही है। कम से कम जो नया बिल आ रहा है, उसके पास होने तक, जिस-जिस स्टेट में भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाए और जबरन भूमि का अधिग्रहण न हो। इससे जो किसान विस्थापित होने वाले हैं, उन्हें न्याय मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Ravindra Kumar Pandey are permitted to associate with the matter raised by Shri Hansraj G. Ahir.

श्री कुँवरजीभाई मोहनभाई बाविलया (राजकोट): आदरणीय सभापित महोदय, आज मैं आपका ध्यान फ्रेट सब्सिडी के दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तनों के विषय में करना चाहता हूं।

महोदय, यह सर्वविदित है कि गुजरात में सहकारी ढांचा अत्यधिक विकसित है और इस ढांचे का नेटवर्क गांव तक फैला हुआ है। इस कारण से कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री को किसानों के घर तक पहुंचाने की उत्कृष्ट व्यवस्था अस्तित्व में आयी है, किंतु उर्वरक विभाग के नए दिशा-निर्देश के अनुसार उर्वरकों के परिवहन की महत्तम सीमा को 500 किलोमीटर तक किया गया है।

गुजरात के राजकोट जिले को उर्वरक कृभको के हजारिया स्थित प्लांट से प्राप्त होते हैं। राजकोट जिले की उर्वरकों की कुल खपत 3.81 लाख मीट्रिक टन है एवं 1.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत के साथ यह जिला गुजरात के प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक है। कृभको के हजारिया प्लांट से राजकोट की दूरी 500.44 किलोमीटर है, जोकि डीओएफ के नए दिशा-निर्देश द्वारा तय की गयी 500 किलोमीटर की सीमा से केवल 0.44 किलोमीटर अधिक है।

रोड परिवहन द्वारा उर्वरक कम समय एवं कम मेहनत से सीधे किसानों तक पहुंचाये जाते हैं। ऐसा होने से किसानों एवं सहकारी संगठनों को सीधा लाभ पहुंचता है। राजकोट कम वर्षा का क्षेत्र होते हुए भी अधिक खाद्यान्न एवं तैलीय बीजों का उत्पादन करता है। अगर रोड परिवहन द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति न हो सकी तो राजकोट के किसानों की स्थिति गंभीर होने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि राजकोट को कृभको के हजारिया प्लांट से प्राप्त होने वाले उर्वरकों की परिवहन व्यवस्था को बरकरार रखा जाए एवं 500.44 किलोमीटर के इस अंतर को डीओएफ द्वारा स्वीकृत किया जाए।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजकोट है। वहां बारिश भी बहुत हुयी है। लेकिन आज कृषकों के लिए फर्टीलाइजर, यूरिया और डीएपी खाद की बहुत कमी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में यूरिया और डीएपी उर्वरक आसानी से किसानों को मिल पाए, ऐसा प्रबंध कराने की मेरी विनती है।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, my Parliamentary constituency Tiruchirappalli is surrounded by Karur, Tanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Pudukottai, Perambalur and Ariyalur districts from where a lot of people leave for main cities through train. At present there is only one train running from Bangalore to Myladuthurai *via* Tiruchirappalli which is not sufficient to cater to the needs of the public.

Tiruchirappalli and Tanjavur districts are having famous historical temples and Pudukottai district is having ancient historical places. Tiruchirappalli is a very big business centre also. The general public as well as the business people leave for Bangalore for business and personal purposes. The present train running from Myladuthurai-Bangalore-Myladuthurai is not provided with sufficient reservation quota for Bangalore at Tiruchirappalli. The people of my constituency are in urgent need of one direct train to be operated from Tiruchirappalli to Bangalore.

I, on behalf of my constituency people, urge the Ministry of Railways to introduce one new train from Tiruchirappalli to Bangalore.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman, Sir, I come from northern Karnataka where onion is one of the major Kharif produces. Unfortunately, due to delay in the monsoon rainfall and shortage of rainfall, sowing is very much delayed. It is also reported that the major producing regions of Maharashtra and Gujarat have also received rainfall very late and very little also.

Due to this, what is going to happen is that onions produced during Kharif, which are generally expected during September, is now expected to come to the market sometime during end-October and November. It is already reported that onion price is going up in the retail market. It is also reported that it is further going to reach the sky. When actually the Kharif produces, which are delayed because of the late sowing, come to the market afresh, prices will come down. Ultimately, the middleman is going to get benefited by this.

I, therefore, urge the Government to take necessary steps well in advance, so that at present when there is shortage, the price of onion in the retail market does not go up and when the fresh produce comes in October-November, prices will not fall down steeply and farmers are not made to suffer. I once again urge the Government to take appropriate steps in advance.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): धन्यवाद सभापित महोदय। मैं आप के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य में दो वर्ष से सूखा पड़ा है। इस वर्ष ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। उस राज्य का सौभाग्य या दूर्भाग्य कहे जब सूखाड़ पड़ा तो केन्द्र सरकार से जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। आज के तारीख में एक ही फसल उस राज्य में होता है। वह धान की फसल है। वर्तमान में जो खाद समय पर मिलना चाहिए, जैसे एपीपी, डीएपी, यूरिया ऐसी कोई खाद आज की डेट में केन्द्र सरकार झारखण्ड सरकार को मुहैया नहीं कर रही है। हम लोगों को यह पता भी नहीं है कि हमारे गिरिडीह जैसे लोकसभा क्षेत्र में तीन-तीन जिला है और वहां भारत सरकार का खाद की कहां दुकान है, कौन उसका डिलर हैं? जो वहां के प्राइवेट डिलर हैं, वे केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित सामान को भी नहीं उठा रहे हैं जिसके कारण वहां के किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। झारखण्ड सरकार के द्वारा भारत सरकार को अपना क्या डिमाण्ड है उसको भेजा गया है लेकिन यहां से वह खाद स्टेट में नहीं जा रहा है। जिसके कारण लगता है कि झारखण्ड तीसरी बार अकाल की चपेट में जाएगा। मेरा आप के माध्यम से आग्रह है कि अविलम्ब वहां पर खाद उपलब्ध करवाया जाए तािक वहां के किसानों को लाभ मिले। सिन्दरी जैसा फर्टिलाइजर कारखाना भी वहां बंद है उसे भी चाल करवाने का काम करें।

19.00 hrs.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of public importance in the 'Zero Hour'.

Sir, some financial assistance is extended to the families living Below Poverty Line whose bread-winner passes away, under the National Family Benefit Scheme. There is an urgent need to continue this scheme. I thank the Government for starting this scheme in 1995. Now, this scheme has ended on 28.04.2011. This has created a sense of insecurity among the BPL families in the country. However, this scheme has received some boost in the financial year 2011-12. Though four months have elapsed in this financial year, no allocation has been made. As a result of this, nearly two lakh families, who have lost their bread-winners, in the country are anxiously looking forward to the financial assistance.

BPL families, whose bread-winner passes away between the age of 18 and 64, are given a financial assistance of Rs. 10,000 and Rs. 5,000 are given to the BPL families whose bread-winner gets seriously injured. Since the beginning of the scheme, nearly 1.69 crore families have been benefited and an amount of Rs. 5,300 crore has been disbursed.

The financial assistance extended to the BPL families in Andhra Pradesh is disbursed as per norms. Sir, you know very well that Vizianagaram district is one of the most backward districts in Andhra Pradesh. For example, in my district alone, 660 BPL families are anxiously waiting for this assistance.

Sir, through you, I would humbly request the Government to enhance this amount to Rs. 15,000 in the case of seriously injured bread-winner and Rs. 30,000 in the case of death of the bread-winner of a BPL family.

There is a need to allocate funds to the National Family Benefit Scheme to extend financial assistance to BPL families under emergency.

On continuation of this scheme, the Central Government should not have second opinion, rather it should strengthen it. This is my humble request.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापित महोदय, किसी भी समाज के विकास में अन्य बातों के अलावा महत्वपूर्ण बिन्दु शिक्षा का होता है। यदि शिक्षा का समुचित विकास न हो तो उस देश का विकास होना ही संभव नहीं है, क्योंकि चाहे साइंस या टेक्नोलॉजी हो अथवा स्वास्थ्य या तकनीकी विषय हो, इनका बुनियादी बिन्दु शिक्षा ही है। यहां तक कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का ज्ञान भी हमें तभी हो सकता है जब हम शिक्षित रहें। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना सर्व शिक्षा अभियान के रूप में पूरे देश में शिक्षा के रूप में समुचित कार्य कर रही है तथा भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर देश के सर्वांगीण विकास में एक ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु स्थापित किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। परन्तु बहुत से राज्यों सिहत मध्य प्रदेश में तकनीकी तथा रोजगार से संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं समुचित नहीं हैं और यदि हैं भी तो प्रदेश के किसी एक भाग में बहुत अधिक इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं तथा उसी प्रदेश के किसी अन्य भाग में कई सौ किलोमीटर तक तकनीकी एवं रोजगार से संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं हैं तथा उसी प्रदेश के किसी अन्य भाग में कई सौ किलोमीटर तक तकनीकी एवं रोजगार से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं का अभाव है। इसका ज्वलंत उदाहरण मेरे लोक सभा क्षेत्र राजगढ़ का है जहां केवल एक पोलिटेक्निक तथा एक आईटीआई है तथा प्रदेश में केवल एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है जो कि प्रदेश के एक कोने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में बहुत अधिक शासकीय भूमि है। वह पथरीली होने के कारण कृषि के योग्य भी नहीं है तथा यहां का सबसे पिछड़ा क्षेत्र तंवरवाड़ है। अत: राजगढ़ जिले में सैनिक स्कूल तथा आईटीआई एवं पोलिटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने के बाबत् आवश्यक रूप से निर्णय करें तथा राज्य सरकार से भी इस आशय के प्रस्ताव मंगवाने हेतु समुचित पत्र लिखें तािक मेरे संसदीय क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में न्याय मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways, through the Chair, for granting sanction to the proposed ring road connecting NH-7 and NH-68. Salem city is the fifth largest city in Tamil Nadu with the population of 8.5 lakh. It is one of the fastest developing two-tier cities.

Three major National Highways (NH), namely, NH 7, NH 47 and NH 68 pass through the main city. These three NHs carry heavy traffic, and the existing roads passing through Salem are heavily congested resulting in frequent hold-up in traffic on the NHs as well as on the feeder roads of the city.

Extensive traffic survey was conducted by the Government of Tamil Nadu in order to ease the traffic congestion and also to ensure smooth flow of traffic, and a Master-plan was prepared to construct a Ring Road *vide* GO 105 (Urban Development) dated 22.03.2005. This will ease traffic from NH 7, which is now passing through Salem city. If the Ring Road is constructed, then all heavy vehicles will use the road to get connected with NH 7 without touching the city of Salem. This would save 80 per cent fuel and 50 per cent time. Further, free uninterrupted flow of fast-moving vehicles on the express-way will be ensured without any interference of the existing roads going through the proposed Highway.

The hon. Minister of Road, Transport and Highways may consider the importance of this proposal and sanction the Ring Road proposal at the earliest. MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 18th August, 2011 at 11.00 a.m.

19.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 18, 2011 / Sravana 27, 1933 (Saka)